खण्ड-282, अंक-1
मंगलवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1892
(5 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
विधायक निवास, नम्बर ३ व रायल होटल में जल कष्ट के संबंध में शिकायत (जारी)	५
श्री प्यारे लाल के अनशन के समर्थन में दर्शक दीर्घाओं से सदन में पर्चे फेंकने व नारे लगाने की घटना..	६
विधायक निवास, नम्बर ३ व रायल होटल में जल कष्ट के संबंध में शिकायत	६–७
प्रश्नोत्तर	७–२८
दर्शक दीर्घाओं से सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने वाले ४ व्यक्तियों के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न (दंड का प्रस्ताव स्वीकृत) ..	२९–५०
उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	५१
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	५१–५२
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के १९५९–६० से १९६७–६८ तक के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र (सदन के पटल पर रख गये)	५३
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया) ..	५३
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (जारी)	५३–७५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत सूचनायें ..	७५–७७
ग्राम परसरामपुर, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली की श्रीमती मुन्नी देवी के अपहरण के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	७७–८८
नत्थियां	८९–९२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ५ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३६४

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मुन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जय राम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल डिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदनमोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीराज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल बगार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल बेहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री

राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्बर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकरप्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडेय, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह वानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री

सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

विधायक निवास, नम्बर ३ व रायल होटल में जल कष्ट के संबंध में शिकायत

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की भीषण गरमी हो रही है और जिस कमरे में हम रहते हैं, उसकी छत भी टूटी हुयी है। पासबान भी टूटे हैं। जब इन्तजाम के लिए इंजीनियर्स से कहते हैं तो वे कहते हैं कि पानी की व्यवस्था तो वे ठीक कर सकते हैं। बार-बार कहने पर भी कुछ नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष---

आप कहां की बात कह रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

श्रीमन्, हम बहुत कठिनाई में हैं, इसकी आप व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष----

क्या आप दारुलशफा के बारे में कह रहे हैं ?

श्री राम कुमार शास्त्री---

श्रीमन्, ओल्ड कौंसिलर रेजिडेंस में आप ३ से ५ तक के कमरों को देखें। वहां पर इंजीनियर ठेकेदारों को एंगेज करके काम करवाते हैं। आज तो वहां पर पानी भी नहीं था तो आप ही बतायें कि हम कैसे आपकी सेवा में आ सकते हैं। आगे चलकर प्रबन्ध हो सकता है लेकिन इस समय बहुत परेशानी हो रही है। पहले इस काम की जिम्मेदारी उन श्रीमान, के ऊपर थी जो आपकी कुर्सी पर बैठते थे लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को सरकार को सौंप दिया। श्रीमन्, जब तक वहां पर इन सब चीजों की ठीक से व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम लोगों के लिए समय से आना दुरूह हो गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन, रायल होटल में भी पानी की दिक्कत है।

श्री प्यारे लाल के अनशन के समर्थन में दर्शक दीर्घाओं से सदन में पर्चे फेंकने व नारे लगाने की घटना

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैंने २७-४-७० को मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भेजा था जिसमें ८ मांगें थीं, गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में । उसमें यह भी निवेदन था कि अगर इन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय नहीं होता तो मैं ५ मई, १९७० को ११ बजे से अनशन प्रारम्भ करूंगा । तो इन मांगों को लेकर मैं अनशन करने जा रहा हूं ।

(इसी समय गैलरी से कुछ पर्चे फेंके गये और 'जिन्दाबाद' के नारे भी लगाये गये)

श्री अध्यक्ष—

कृपया इन्हें बाहर कर दें ।

(पर्चे फेंकने वालों को हाउस के गार्ड्स द्वारा पकड़ा गया ।)

विधायक निवास नम्बर ३ व रायल होटल में जल कष्ट के संबंध में शिकायत

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, रायल होटल में भी २-२ और ४-४ रोज पानी नहीं मिल पाता जिससे बड़ी कठिनाई होती है । कृपया आप इसकी तो व्यवस्था करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था करा दूंगा ।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

श्रीमन्, इस सदन के कार्य संचालन की यह प्रवृत्ति रही है कि प्रश्नों के घंटे में हम प्रश्नों से आरम्भ करते हैं और कार्य सूची में जिस क्रम में अधिकांश होते हैं, उसी में लेते हैं । मान्यवर, अब यह नयी प्रथा प्रारम्भ कर दी गयी है कि प्रश्नों के पहले ही कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं । अतः मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि प्रश्न प्रारम्भ करने से पूर्व ही जो कार्य, कार्य सूची में इंगित नहीं है, उस पर विचार करना कहां तक उचित बात है ? इसी प्रकार से ऊपर से जो पर्चे फेंके गये हैं, उससे सदन का अवमान हुआ है । इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, अगर यहां पर प्रश्नों के पूर्व कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो आप कह सकते हैं कि आप प्रश्नोत्तर के समय के उपरान्त यह व्यवस्था उठायें । यह श्रीमन्, सदन में नई परम्परा हो गई है कि मंत्री लोग आपको परामर्श देने लगते हैं । यह गलत परम्परा है । आप कह दें कि ये अपना काम करें । सदन और आपके बीच में कोई बाधा उत्पन्न न करें । आप कह दें कि ये तमीज सीखें और अक्ल सीखें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिवराज सिंह जी ने व्यवस्था मांगी है और यह सही है कि प्रश्नों के पहले कोई इस तरह के प्रश्न नहीं उठाने चाहियें । लेकिन कोई आवश्यक बात कही जाती है ऐसे विषय पर कि जहां पर वे रहते हैं, वहां गड़बड़ी होने की वजह से नहीं आ सकते हैं ऐसी कोई चीज

आ जाय तो मैं इजाजत दे देता हूं। मुझे इजाजत देने का अधिकार होने की वजह से कोई अनोखी बात हो जाये तो कोई आक्षेप नहीं होना चाहिये। बाकी साधारण नियम के अनुसार तो यह होना चाहिये कि प्रश्नों के बाद ऐसे सवाल उठाये जायं तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के संबंध में एक व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष---

इसे आप आखिर में उठायें।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ५ मई, १९७०

तारांकित प्रश्न

*१---श्री मंजूर अहमद---

[९वें गुरुवार के प्र० सं० १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२---श्री जगदीश गांधी तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी---

[४थे गुरुवार के प्र० सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३---श्री जगदीश गांधी---

[७वें बुधवार के प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४-५---श्री अनन्तराम जायसवाल---

[दि० २० मार्च, १९७० को प्र० सं० २४-२५ के अन्तर्गत उत्तरित]

*६---श्री मंजूर अहमद---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*७---श्री जगदीश गांधी---

[७वें बुधवार के प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८-९---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[१४ वें बुधवार के प्र० सं० १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०-११---श्री नौनिहल सिंह---

[४थे बुधवार के प्र० सं० १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुपर मार्केट, लखनऊ में लाभ-हानि

*१२---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ का सुपर मार्केट जब से चालू हुआ तथा तब से दिनांक ३१ मार्च, १९६९ तक इससे कितना लाभ हुआ है? क्या मंत्री जी इस माकट को लेटेस्ट बैलेंस शीट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

सहकारिता राज्य मंत्री (डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता)—

लखनऊ नगर में सुपर मार्केट दिनांक ३१-१२-६६ से खोला गया था । ३१-१२-६६ से ३०-६-६९ तक इस मार्केट में लाभ-हानि की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लाभ	हानि
	रु०	रु०
१९६६-६७	२०,२१५.०९	..
१९६७-६८	..	६,७०,२०५.३७
१९६८-६९	..	५,६१,६०७.८९

मार्केट की बैलेंस शीट सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा ।

*१३—श्री जगदीश गांधी—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस सुपर मार्केट के चालू होने की तारीख दिनांक ३१ मार्च, १९६९ तक की अवधि का कोई डिविडेंड इसके शेयर होल्डर्स में बांटा गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

सुपर मार्केट, लखनऊ के चालू होने की तारीख से ३१-३-६९ तक की अवधि का इसके शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं बांटा गया, क्योंकि इस मार्केट को वर्ष १९६६-६७ में केवल बीस हजार रुपया का नाम मात्रिक लाभ हुआ और वर्ष १९६७-६८ एवं १९६८-६९ में भारी हानि हुई है ।

श्री जगदीश गांधी—

माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि सुपर मार्केट की बैलेंस शीट बताना जनहित में नहीं होगा । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि क्या वे ऐसा कर सकेंगे कि यहां से प्रेस और सरकारी अधिकारियों को अलग करके केवल विधायकों की सभा में बैलेन्स शीट को सदन की मेज पर रक्खें । जनहित में बन्द कमरे में बैठकर वे चीजें सदस्यों को दिखाई जाती हैं जिन्हें जनहित में वे पत्रकारों और अधिकारियों को नहीं दिखाते । यह मसला केवल कुछ लाख रुपयों की हानि का नहीं है । यह बड़ा गम्भीर मसला....

श्री अध्यक्ष—

आप तो भाषण दे रहे हैं ।

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

जो माननीय सदस्य चाहें उनको बैलेंस शीट दिखाई जा सकती है, उसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या बैलेंस शीट पी० ए० सी० के सामने रक्खी जायेगी ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से जानता चाहता हूं कि सुपर मार्केट में जो हानि हुई है उन वर्षों में हानि के मुख्य-मुख्य कारण क्या थे ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

आय तो केवल एक साल हुई थी और बीस हजार रुपये की आय हुई है । आय का कारण यह था कि उस साल गल्ले की बहुत शार्टेज थी । ब्लैक में गल्ला ऊंचे दामों में बिक रहा था । पहले साल के ६ महीनों में ५० लाख की बिक्री हुई । उसके बाद लगातार बिक्री घटती चली गयी और इस वक्त स्थिति यह है कि ६ लाख का नुक्सान है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मने पूछा था कि हानि के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया कि बिक्री कम होती चली गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इस हानि को देखते हुए क्या सरकार सुपर मार्केट को बन्द करने का निर्णय लेगी ?

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता—

केंद्रीय सरकार के जो मंत्री आये थे उन्होंने इस मामले में यह सिफारिश की थी कि इनको ५ लाख रुपया और दे दिया जाय ताकि यह यूनिट बनी रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

५ लाख और दे दिया जाय, घाटे को पूरा करने के लिए ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

जी हां ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि न केवल लखनऊ में, बल्कि इलाहाबाद में भी सुपर माकट में १०–१२ लाख का घाटा है, बल्कि सभी में है, तो क्या इसकी कोई जांच माननीय मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे कि यह हानि क्यों होती है?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

जहां तक लखनऊ का सवाल है, १९६६-६७ में चूंकि सब जगह गल्ले की कमी थी, हमारे पास गल्ला था, वह हमने बाजार से कम भाव पर बेंचा, उसके कारण काफी बिक्री हुई । जो गल्ला लेने आता था वह और सामान भी लेता था । उसके बाद बाजार में गल्ले की कीमत बहुत घट गयी तो हमको भी यहां कम भाव पर फिर बेंचना पड़ा। पहले के ६ महीनों में तो ४८ लाख की बिक्री हुई थी । बाद को कीमत घट जाने के कारण लोग कम आने लगे और बिक्री बहुत कम हो गयी । हमारे यहां इस समय ५ सुपर मार्केट हैं जिसमें लखनऊ और इलाहाबाद की हालत खराब है, शेष तीन, कानपुर, मेरठ और देहरादून में यह मुनाफे पर चल रहे हैं ।

श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि लखनऊ के सुपर मार्केट में बहुत भ्रष्टाचार है, बैलेन्स शीट में चीजों का मूल्य बहुत कम दिखाकर अधिकारी लोग काफी रुपया कमाते हैं ? इस ओर क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इसकी जांच करवा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

देहरादून के सुपर मार्केट के संबंध में जो आडिट रिपोर्ट है उसमें माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है उसके खिलाफ रिपोर्ट है और काफी उसमें अनियमितता बतायी गयी है, क्या इसकी मंत्री जी जांच करायेंगे ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

कोई भी अनियमितता होगी तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, माननीन मंत्री जी की स्वीकारोक्ति के अनुसार ही जब इस मार्केट की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, तो इनको इसको बन्द करके सरकारी हानि रोकने में क्या हानि है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

सुपर मार्केटों का संचालन लाभ की दृष्टि से नहीं किया गया है। इनका प्रारम्भ, ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए किया गया था जिसमें ब्लैक मार्केटिंग होकर कंज्यूमर्स को तकलीफ में पहुंचती थी। अब चूंकि ज्यादातर चीजों में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है इसलिये इसकी उपादेयता समाप्त हो चुकी है और यह भी निश्चित है कि आज की परिस्थिति में इन्हें मुनाफे में नहीं चलाया जा सकता है। अब यह सरकार के और सदन के विचार करने का विषय है कि इन्हें चालू रखा जाये या इसे समाप्त कर दिया जाये, और इसे भी देखते हुये कि इसे ५ लाख रुपया देकर चलाने की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि उसकी बैलेंस शीट सदन में रखना जनहित में नहीं है, तो ऐसा क्यों है ? क्या उसका कारण बतायेंगे ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

जहां तक बैलेंस शीट की खास बात है वह बताई जा चुकी है। बाकी सब चीजें उस प्रकार से बताना, जैसे बैंक के बैलेंस शीट में बताया जाता है, उचित नहीं होगा। बैलेंस शीट को उसके मेम्बरों को ही जानने का अधिकार है तथा सरकार को भी अधिकार है क्योंकि वह भी शेयर होल्डर है। मैं यह बता चुका हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि अब यह प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

बदायूं अस्पताल में फोन एवं नर्सिंग सिस्टम

*१४—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला, जनाना अस्पताल में फोन लगाने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार समिति ने सिफारिश की है ? यदि हां, तो वहां फोन लगाने का कब तक विचार है?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

जी हां, की थी और तदनुसार वहां टेलीफोन लगाने के आदेश २० अप्रैल, १९७० को जारी कर दिये गये हैं ।

*१५—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं अस्पताल में नर्सिंग सिस्टम चालू करने के लिए जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार समिति तथा सिविल सर्जन ने सिफ़ारिश की है? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री धर्मदत्त—

जी हां । यह निश्चत रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है कि कब तक ।

रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, मेडिकल कौन्सिल की नियुक्ति

*१६—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, मेडिकल कौंसिल की नियुक्ति कब की गई एवं इस पद के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे ?

श्री धर्म दत्त—

वर्तमान रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी स्टेट, मेडिकल फैकल्टी, मेडिकल कौंसिल की नियुक्ति दिनांक १-६-६७ से की गयी एवं उस पद के लिये तेरह व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे।

श्री मंजूर अहमद—

मंत्री जी ने कहा कि १३ आदमियों की दरख्वास्तें आई थीं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन आदमियों के नाम क्या थे ?

श्री धर्म दत्त—

इनके नाम इस प्रकार हैं:—

सर्वश्री डा० बी० एन० याजनिक, डा० तुलसी प्रसाद, डा० बी० एस० सक्सेना, डा० सी० एन० भार्गव, डा० डी० सी० गुप्ता, डा० डी० एम० पंचोली, डा० के० पी० सक्सेना, डा० ए० सी० सूद, डा० जे० रहमान, डा० के० के० राय चौधरी, डा० एच० एम० लाल तथा वाई० पी० सिंह ।

श्री मंजूर अहमद—

इन १३ आदमियों में सबसे योग्य और सीनियर कौन था ?

श्री धर्म दत्त—

श्रीमन्, डा० माथुर की नियुक्ति इस जगह पर की गई, जिसके लिए मेडिकल कौंसिल ने सिफारिश की थी, और वही सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति थे ।

श्री मंजूर अहमद—

मेरा अभी उत्तर नहीं मिला । मैंने सवाल किया था कि मुझे यह बतलाने की क्या कृपा करेंगे कि उनमें सीनियर कौन था और उसकी काब्लियत क्या थी ? क्या यह सही नहीं है कि उनकी नियुक्ति दबाव से की गई है ?

श्री धर्म दत्त—

डाक्टर माथुर योग्य समझे गये और वह सीनियर भी थे और उनकी नियुक्ति केवल शासन ने ही नहीं की, बल्कि उनकी नियुक्ति की सिफारिश और प्रस्ताव किया गया था मेडिकल कौंसिल की तरफ से । इस पर खूब सोच समझकर उनकी नियुक्ति सरकार ने की है।

श्री बेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन १३ आदमियों में कोई हरिजन भी था ? यदि था, तो उसको क्यों नहीं लिया गया ? उसको क्यों प्राथमिकता नहीं दी गई ?

श्री धर्म दत्त—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री मंजूर अहमद का सवाल साफ था कि १३ में सबसे ज्यादा क्वालीफाइड और सीनियर कौन था ? माननीय मंत्री का उत्तर नहीं आया । कृपा करके उत्तर दे दें और एक चीज और बता दें कि जो मेडिकल कौंसिल की सिफारिश होती है क्या शासन उसके औचित्य, अनौचित्य पर विचार करता है या यों ही मान लेता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया कि सबसे अधिक क्वालिफाइड कौन था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह नहीं बताया । मंत्री जी का उत्तर आया है कि चूंकि मेडिकल कौंसिल ने सिफारिश की इसलिये नियुक्त कर दिया लेकिन यह नहीं बताया कि सबसे ज्यादा क्वालीफाइड और सीनियर कौन था ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

नियुक्ति के लिये जिन आधारों की आवश्यकता होती है उन्हीं आधारों को सामने रख कर इंडियन मेडिकल कौंसिल ने सिफारिश की । शासन ने उसे सही पाया । इसलिये नियुक्ति की गयी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सीधा-सीधा जवाब देने में एतराज क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री, वह यह पूछना चाहते हैं कि सबसे क्वालीफाइड और सीनियर कौन था ?

श्री अनवार अहमद—

मैंने अर्ज किया, ये सारी चीजें ध्यान में रखी गयी थीं कि सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन है और सबसे ज्यादा सीनियर कौन है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखने के बाद उनकी नियुक्ति की गयी थी। अगर माननीय सदस्य का मतलब डिग्रियों से है तो उसके लिए जानकारी करनी पड़ेगी कि कौन-कौन डिग्री किसके पास थी। उसके बाद जवाब दिया जा सकेगा।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जब उन १३ व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये तो क्या अपनी योग्यतायें नहीं लिखीं ह ? लिखी हैं, तो क्या उनको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इतने डिटेल में पढ़ने की बात नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया धर्मदत्त जी ने जवाब दिया कि सीनियर भी थे और योग्य भी थे तो इसके मतलब यह हैं कि क्वालीफाइड ज्यादा थे। आप जवाब देते हैं कि इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो जवाब परस्पर विरोधी मालूम पड़ते हैं। आपको मालूम हो तो ठीक जवाब दें।

श्री धर्म दत्त—

यह नियुक्ति स्वास्थ्य चिकित्सा निदेशक के आदेश पर होती है, उन्हीं के द्वारा की जाती है। जो प्रार्थना-पत्र आये उनको देखने के बाद उनको योग्य भी पाया और सीनियर भी पाया। इस आधार पर उनकी नियुक्ति की गयी। उसमें यह भी आधार रहा है कि मेडिकल कौंसिल ने भी उसकी सिफारिश की थी।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपके बार-बार कहने के बावजूद मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आता कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी और उनमें सबसे वरिष्ट कौन था?

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इसे समाप्त करता हूं। नियम ४६ में नोटिस दीजिये। उसके बाद आध घंटे की बहस हो जायगी।

रामकृष्ण मिशन चिकित्सालय, इलाहाबाद को अनुदान

*१७—श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें किसी विधायक ने अक्तूबर, १९६९ के प्रथम सप्ताह में इलाहाबाद के रामकृष्ण मिशन से चिकित्सालय के निर्माण हेतु ५०,००० (पचास हजार) का अनुदान चालू वित्तीय वर्ष १९६९–७० में देने की मांग की है ?

श्री धर्मदत्त—

जी हां।

*१८—श्री रामगोपास संड—

क्या यह सच है कि अपने अप्रैल, १९६९ के इलाहाबाद के दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया था ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय को अनुदान क्या सरकार देने जा रही है?

श्री धर्म दत्त—

जी हां ।

५०,००० रु० का अनुदान स्वीकार किया जा चुका है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह अनुदान कब स्वीकार किया गया ? और रामकृष्ण मिशन, इलाहाबाद के स्वामी जी को अनुदान भेजा गया या नहीं? यदि नहीं भेजा गया तो क्यों ?

श्री धर्म दत्त—

६-४-७० को अनुदान की स्वीकृति दे दी गयी । यह उनके पास पहुंच जायगा ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि चेक या रुपया स्वामी जी के पास कब पहुंच जायगा क्योंकि बिल्डिंग बनने लगी है ?

श्री धर्म दत्त—

जो विभाग का नियम है रुपया उसी प्रकार पहुंचेगा । स्वीकृति हो चुकी है। रुपया शीघ्र ही उनके पास पहुंचेगा ।

जिला स्वास्थ्य सलाहकार समितियों में विधायक

*१६—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलों में बनी जिला स्वास्थ्य सलाहकार समितियों में जिले के सभी विधायकों को सदस्य मनोनीत करने की क्या सरकार की योजना है ?

श्री धर्म दत्त—

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

यह समिति अधिक प्रभावशाली और उपयोगी हो सके इसके लिये क्या स्वास्थ्य मंत्री जिले के सभी विधायकों को इस समिति का सदस्य मनोनीत करेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

इसका एक नियम है और उसके अनुसार जिले के अन्य लोग भी रखे जाते हैं । यदि सभी विधायक उसमें रखे जायेंगे तो एक बड़ी लिस्ट हो जायगी । इसलिये यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक समिति में तीन विधायकों को प्रतिनिधित्व दिया जाय ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार के विचाराधीन ऐसे योजना है कि जिस विधायक के क्षेत्र में अस्पताल हो तो उस विधायक को अवश्य इस समिति में रखेंगे ?

श्री धर्म दत्त—

ऐसी कोई योजना तो नहीं है लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या यह सच है कि जो ये तीन विधायक रखे जाते हैं तो उनमें इंडिकेट, सिंडिकेट तथा बी० के० डी० के विधायक ही होते हैं ? या किसी अन्य दल के भी होते हैं ?

श्री धर्म दत्त—

माननीय सदस्य अगर सूची को उठा कर देखेंगे तो उनको ज्ञात होगा कि प्रत्येक दल को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता हो।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री ने गलतबयानी की है। इलाहाबाद से १४ विधायक चुन कर आये हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज तथा दो अस्पताल हैं और उनकी समितियों में इंडिकेट, सिंडिकेट तथा बी० के डी० के ही विधायक रखे गये हैं। ऐसा अन्याय न हो तथा सभी दल के विधायकों का प्रतिनिधित्व हो ?

श्री धर्म दत्त—

ये कमेटियां इस सरकार के पहले बनी हैं लेकिन कुछ जगहों पर सभी दल के विधायकों का प्रतिनिधित्व है। माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर उसे देख लें और तब उनको ज्ञात हो जायगा कि लगभग सभी दलों के सदस्य उनमें है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

बदायूं अस्पताल की जो समिति है क्या उसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है ?

श्री धर्मदत्त—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

वजीरगंज, बदायूं में महिला चिकित्सालय खोलने का आयोजन

*२०—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति, बदायूं, ने वजीरगंज में महिला चिकित्सालय खोलने की संस्तुति की है एवं उपरोक्त चिकित्सालय के लिये वजीरगंज निवासी, श्री राधेश्याम, ने अपनी भूमि में भवन तथा डाक्टरनी के लिये आवास बनवा दिया है ? यदि हां, तो सरकार वहां चिकित्सालय कब तक खोल रही है ?

श्री धर्म दत्त—

जी हां।

इसकी तिथि बताना अभी संभव नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि बदायूं जिले में सन् ७० में वजीरगंज में यह महिला चिकित्सालय बन जायगा ?

श्री धर्म दत्त—

तिथि बतलाना संभव नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जायगा।

श्री कृष्ण स्वरूप—

सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वहां पर सन् ७० में यह अस्पताल बन जायगा जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल के लिये इमारत बना दी है और डाक्टर के रहने के लिये क्वार्टर भी बना दिया है ?

श्री धर्मदत्त—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जब चयन किया जायगा तो स्थानों का तथा अन्य सारी बातों को ध्यान में रख कर इस पर विचार किया जायगा। आश्वासन देना संभव नहीं है। बहुत-सी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लिया जाता है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

प्रायरिटी पाने के लिये जब एक आदमी ने अस्पताल बनवाया, फिर वह ब्लाक का सेंटर है, इतना बड़ा कस्बा है, थाना भी वहां है तो वरीयता इस स्थान को माननीय मंत्री देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

माननीय सदस्य की भावनाओं का पूरा-पूरा खयाल रखा जायगा।

गल्ला मण्डी, रामनगर से चावल ले जाने के लिये परमिट

*२१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जिला गढ़वाल की पट्टी बंगारस्यूं, ढौंडियालस्यूं, साबली, खाटली व गुजुड़ू आदि की गल्ले की मंडी राम नगर (जिला नैनीताल) है ? यदि हां तो क्या इस मंडी से इन पट्टियों में बिना कंट्रोल का चावल ले जाने पर सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर द्वारा रोक लगाया गया है ? ऐसा किस कारण से किया गया ?

खाद्य उपमंत्री (श्री भगौती सिंह)—

जी हां। राम नगर (जिला नैनीताल) की मंडी से लेवी देने के बाद शेष चावल इन पट्टियों में ले जाने के लिये उत्तर प्रदेश धान तथा चावल (वहन पर निर्बन्ध) आदेश, १९६७ के खंड ३ (२) के अन्तर्गत वहन परमिट लेना अनिवार्य है।

कुछ सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, सुनने में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया जोर से बोलें, आवाज सुनने में नहीं आ रही है।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, कौन मंत्री बोल रहे हैं, कृपया परिचय करा दें।

श्री भगौती सिंह—

मैं खाद्य और रसद विभाग का उप मंत्री हूं। मेरा नाम भगौती सिंह है। यदि कुछ और मेरे विषय में जानने की इच्छा हो तो मेरे जिले बहराइच में आयें और जानकारी कर लें।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे व्यापारी भी थे जिनके पास परमिट भी थे किन्तु फिर भी उनको चावल ले जाने के लिये रोका गया ?

श्री भगौती सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी गोदाम म जो सड़ा हुआ गल्ला पड़ा हुआ है उसको चलाने के लिये यह रोक लगा दी गई ?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास यह सूचना थी कि लोगों को परमिट भी दे दिये गये थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, परमिट लेकर ले जाने का तो आदेश है ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि व्यापारियों द्वारा बिना कंट्रोल के चावल ले जाने पर जो रोक लगाई गई उस सम्बन्ध में जांच करवायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अगर ऐसी कोई शिकायत माननीय सदस्य के पास हो तो वे कृपया लिख कर दें उसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकारी कंट्रोल का जो राशन स्यूंसी में था उसकी हालत बहुत खराब थी और वहां पर सड़ता रहा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं, गल्ला सड़ने की किसी ने हमको खबर नहीं दी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर मेरी समझ में कुछ नहीं आया । यदि आप की समझ में आ गया हो तो कृपया हमें बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

हां, मेरी समझ में आ गया है । उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी ।

लखीमपुर खीरी के कृषि अधिकारी, श्री विशम्भर प्रसाद पाण्डेय तथा लेखाकार, श्रीराम तिवारी के विरुद्ध आरोप

*२२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने लखीमपुर खीरी के कृषि अधिकारी, श्री विशम्भर प्रसाद पांडेय और लेखाकार श्रीराम तिवारी, के भ्रष्टाचार और गबन के विरुद्ध एक शिकायती पत्र सितम्बर, सन् १९६९ में प्रेषित किया था जिस पर भूतपूर्व कृषि मंत्री, डा० सीताराम ने, जांच करने के लिये उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार की की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ?

कृषि उप मंत्री (श्री शिवबक्ष सिंह राठौर)—

जी हां। माननीय सदस्य के पत्र दिनांक १-९-१९६९ में उल्लिखित आरोपों के विषय में सतर्कता विभाग द्वारा गुप्त जांच कराई गई थी। श्री बिशम्भर प्रसाद पाण्डेय, जिला कृषि अधिकारी, खीरी के विरुद्ध प्राप्त कुछ अन्य शिकायती पत्रों पर जिलाधिकारी, खीरी तथा कृषि निदेशक द्वारा भी जांच कराई गई थी। उक्त जांचों के फलस्वरूप जिला कृषि अधिकारी एवं लेखाकार, श्रीराम तिवारी, के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन के आरोप सिद्ध नहीं हुये, परन्तु जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं का पता चला है, जिनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९ पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी उन मुख्य तीन अनियमितताओं को पढ़ने की कृपा करेंगे, जिनका उन्होंने जिक्र किया है ?

श्री शिवबक्ष सिंह राठौर—

तीन मुख्य अनियमिततायें इस प्रकार से हैं—

१—दिनांक १६-३-६९ धौरेहरा खाद भिजवाये जाने के प्रसंग में की गई अनियमितता।

२—श्री चन्द्रभूषण पांडेय की बिना रोजगार दफ्तर से नाम मांगे नियुक्ति करने के संबंध में अनियमितता।

३—दिनांक ५ अगस्त, १९६८ के शासकीय आदेशों के अनुसार जिला कृषि अधिकारियों को इतनी मात्रा में राइट आफ करने के अधिकार नहीं रह गये थे। स्थिति का स्पष्टीकरण न होने के कारण जिला कृषि अधिकारी ने क्षति संबंधी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और राइट आफ कर दिया। इस रिपोर्ट को गल्ती से उन्होंने स्वीकार कर लिया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस अनधिकृत राइट आफ कर देने से सरकार को कितनी क्षति हुई ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

नुकसान का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह सिर्फ एक अनियमितता है जिसको रेगुलराइज करने के लिये कागजात मंगाये गये हैं और कृषि निदेशक राइट आफ करने के अपने अधिकार को बरतेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल —

जो धनराशि राइट आफ की गई, वह क्या है ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर में तीन अनियमिततायें बतायीं। इसका संबंध तीसरी अनियमितता से है। सन ४७ में आर्डर्स यह थे कि ३ प्रतिशत तक जिला कृषि अधिकारी राइट आफ कर सकता है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर था लेकिन बाद में खाद की मात्रा बहुत बढ़ जाने के कारण सरकार ने यह समझा कि यह अधिकार बहुत ज्यादा है। अतः उन अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन यह अनियमितता इस प्रकार से हुई कि जिला कृषि अधिकारी ने पहले अधिकारी के अनुसार राइट आफ कर दिया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर के पत्र संख्या ७३३३/ए० एस० ओ० (१)–७७, दिनांक १८ सितम्बर, १९६७ जो खाद की यातायात, आदि के बारे में दर तय करने के संबंध में थी, उसमें यह था कि उसके लिये टेंडर मांगे जावेंगे और वह एक कमेटी के सामने जायेंगे। किन्तु इसके जो आरोप हैं वे स्पष्ट हैं कि कृषि अधिकारी ने मनमाने ढंग से दरें तय कीं और नाजायज रुपया कमाया ?

श्री शिवराज सिंह—

इस अधिकारी का कहना यह है कि इससे पहले वर्षों में जो टेंडर मांगे गये थे वह भी साढ़े चार रुपये के थे और उसी हिसाब से उन्होंने खाद ढुलवाया था। यह बात सही है कि उसको टेंडर मांगने की चेष्टा करनी चाहिये थी और जब टेंडर प्राप्त हो जाता तब उनके रेट के अनुसार खाद ढुलवाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। इसीलिये उत्तर में कहा गया है कि अनियमितता बरती गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये उस पत्र में से पढ़ देना चाहता हूं कि जिसका जिक्र माननीय शंभूनाथ जी ने किया। यह पत्र डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर का है। उसकी संख्या है ७३३३/ए० एस० ओ० (१)–७७, दिनांक १८ सितम्बर, १९६७। वह इस प्रकार है —

Fixation of Transport and other rates—

18. (*a*) The rate of Transportation Palledari and mixing charges in each district and Regional Buffer Godown should be fixed after calling proper tenders. Such tenders in the districts should be opened in the presence of a Committee consisting of district Planning Officer, District Agricultural Officer and Additional District Agricultural Officer (Supplies).

मान्यवर, इसमें यह दिया हुआ है कि टेंडर मांगे जायेंगे और उनको एक कमेटी के सामने खोला जायेगा। उस कमेटी में नियोजन अधिकारी होगा, जिला कृषि अधिकारी होगा और उप कृषि अधिकारी (पूर्ति होगा) इस नियम का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। टेंडर नहीं मांगे गये। ऐसा किस कारण से किया गया। मंत्री जी को बाजार रेट में और जो रेट दिया गया उसमें कुछ फर्क मिला या नहीं ?

श्री शिव राज सिंह—

मान्यवर, जब नियमों का पालन नहीं किया जाता है तभी अनियमितता होती है, और प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार कर लिया गया है कि जिला कृषि अधिकारी से अनियमितता हुई है और जो अनियमितता नं० २ पढ़ी गयी वह यही पढ़ी गयी थी कि जो नियम माननीय सदस्य ने बताया उसका पालन नहीं किया गया। साथ में मैंने यह भी कहा कि जो रेट उसको दिया है वह वही था जिस पर पिछले वर्ष भी खाद उन गोदामों को ढुलवाई गयी थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पिछले वर्ष उन्होंने क्या रेट दिया और इस साल क्या रेट दिया यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि बाजार में किराये पर ट्रक उपलब्ध हो सकते थे। क्या उससे यह मेल खाता है, इस की आपने जानकारी की या नहीं ?

श्री शिवराज सिंह—

जांच से यह मालूम हुआ कि यह सारा माल बैलगाड़ी से ढुलवाया गया, ट्रक से नहीं। जिला कृषि अधिकारी ने यह बताया। इसलिये उस प्रकार का कोई रेट वहां पर उपलब्ध नहीं है। ट्रकों के रेट्स तो हो सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, आपके नोटिस में मैं एक तथ्य लाना चाहता हूं कि यह निश्चित सबूत है कि यह माल ट्रक से ढोया गया और उस पर एक पुल क्रास करना पड़ता है जिस पर एन्ट्री होती है। यह बैलगाड़ी से नहीं ढोया गया। मंत्री जी ने गलत सूचना सदन को दी है।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास चिट्ठी लिख कर भेज दें।

*२३—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२४—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ, के ट्रैक्टरों का बंटन

*२५—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को पता है कि यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा किसानों को देने के लिये एक सौ ट्रैक्टर ५० हार्स पावर के व्हील टाईप जीटर ५५११ विदेशों से कब तक प्राप्त होने की सूचना है और उक्त ट्रेक्टरों को किस तिथि से किस तिथि तक के आवेदन पत्रों पर कारपोरेशन द्वारा ट्रैक्टर दिये जायेंगे ?

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ, को ५० हार्स पावर के १०० जीटर ट्रेक्टर (५५११) का केन्द्रीय सेरकार से आवंटन किया गया है जिनकी मई, १९७० के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है। ८५ ट्रैक्टरों को १ मार्च, १९७० से ३१ मार्च, १९७० तक प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर दिया जायेगा। शेष १५ ट्रैक्टरों में से १० सैनिकों एवं भूत-पूर्व सैनिकों तथा ५ संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर देने के लिये सुरक्षित हैं।

*२६—श्री महरम सिंह तथा श्री इन्द्रलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त प्रकार के ट्रेक्टरों को किसानों को देने की क्या नीति निर्धारित की गयी है, और कौन अधिकारी अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी हैं ?

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—

प्रत्येक मंडल को उस मंडल के अन्तर्गत कृषि के उपयोग में आने वाली भूमि के अनुपात में ट्रैक्टर आवंटित किये जाते ह। तदोपरान्त मंडल के प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या के अनुपात में संबंधित जिले के किसानों को ट्रेक्टर देने की नीति निर्धारित की गई है। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कारपोरेशन के निदेशक मंडल को है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री को ज्ञात है जैसा कि उन्होंने प्रश्न संख्या २५ के उत्तर में कहा है कि ८५ ट्रैक्टर १ मार्च, १९७० से ३१ मार्च, १९७० तक प्रार्थना–पत्रों के आधार पर दिया जायगा, तो पहली मार्च से पहले के जो प्रार्थना–पत्र हैं उनको न दिये जाने का कोई कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—

यह विज्ञापन किया गया था कि पहली मार्च से और ३१ मार्च तक जो प्रार्थना-पत्र आयेंगे उन पर विचार किया जायगा । इसलिये इसके आधार पर जो प्रार्थना-पत्र आये उन्हीं–पर विचार किया जायगा ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह ऐग्रो–इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के पास प्रत्येक जिले से कितनी दरख्वास्तें रिजर्व पड़ी हुई हैं जिन पर कोई विचार नहीं हुआ है ?

श्री शिवराज सिंह—

इस वक्त प्रश्न प्रस्तुत है व जिटर ५० हार्स पावर से मुताल्लिक है । पहली मार्च से ३१ मार्च तक ५१३ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनमें से जैसा कि उत्तर दिया गया है ८५ को ट्रैक्टर अलाट कर दिये जायेंगे ।

श्री महरम सिंह—

जो ये ट्रैक्टर दिये जा रहे हैं तो निदेशक मंडल को जो अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने कोई ऐसे निर्देश दिये हैं जिस पालिसी के मुताबिक वह ट्रेक्टर आलट करेंगे और उस मंडल में कौन-कौन लोग हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

राज्य सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये हैं । कुछ संकेत केन्द्रीय सरकार से अवश्य मिलता है जिसका जिक्र प्रश्न के उत्तर में है । इस निदेशक मंडल ने यह निर्णय लिया है जो कि २६ के उत्तर में दिया हुआ है । जहां तक कि डायरेक्टोरेट का सवाल है इसमें दो गैर–सरकारी सदस्य हैं और शेष सरकारी अधिकारी हैं, वित्त सचिव हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर है ए० पी० सी० हैं, और भी सरकारी अधिकारी है जो निदेशक मंडल में अपने परामर्श देते है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

५१३ में से जो ८५ को ट्रैक्टर्स दिये जायेंगे उसके संबंध में मंत्री जी ने कोई नियम निर्धारित किये हैं जिनके अन्तर्गत दिये जायेंगे और क्या डिस्क्रीशन उसी समिति को होगा जिसका जिक्र किया गया है ?

श्री शिवराज सिंह—

बड़ा आम–फहम नियम है कि " पहले आया, पहले पाया", "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ड" । जिनके प्रार्थना-पत्र पहले आये हैं उसी क्रम से ट्रैक्टर्स के अलाटमेंट होंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि " पहले आया, पहले पाया", तो क्या मार्च के पूर्व जितनी दरख्वास्तें थीं निदेशालय में वह सभी की सभी निवृत्ति हो चुकी हैं या उनमें से काश्तकारों ने लेने से इन्कार कर दिया है ताकि नयी दरख्वास्तें मंत्री जी को लेने की जरूरत पड़ी ?

श्री शिवराज सिंह—

जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं वह ट्रैक्टर विशेष के संबंध में प्राप्त होते हैं। इस वक्त जो ट्रैक्टर का प्रश्न है वह जिटर ५५११, हार्स-पावर ५० है जिसके संबंध में, जैसा कि उपमंत्री महोदय ने बताया, २३ फरवरी और २६ फरवरी १९७० को विज्ञापन किया गया था और प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे और वह १ मार्च से ३१ मार्च तक जितने प्राप्त हुए उन्हीं में उनका बंटन होगा। पहली मार्च से पहले हमने कोई प्रार्थना-पत्र मांगा ही नहीं था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसमें नियम ४९ पर बहस दे दीजिये, संतुष्टि नहीं हुई।

श्री इन्द्र लाल—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या २६ पर कृषि मंत्री जी ने यह सूचना दी है कि किस आधार पर ट्रैक्टरों का आवंटन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुमाऊं मंडल और उत्तराखंड मंडल में जितनी कृषि भूमि है उसके आधार पर इन दोनों मंण्डलों के लिये कितना कोटा फिक्स किया गया है?

श्री शिवराज सिंह—

कितना कोटा निर्धारित किया है, उसकी सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर और अक्तूबर, १९६९ में जो ट्रैक्टरों के देने में गड़बड़ हुई है उसकी जांच होगी?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, पूर्व सरकार के कृषि मंत्री के ऐसे बयान की मुझे जानकारी नहीं हुई। माननीय सदस्य अगर जानकारी करायेंगे तो मैं अवश्य उसकी खोज करूंगा।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी रुचि सदस्यों की देखते हुए वह कोई जांच कमेटी बिठायेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, हमारे समक्ष कोई आधार ऐसा नहीं रखा गया जिससे कमेटी बैठाने की आवश्यकता मालूम होती हो।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ट्रैक्टरों के देने में ऐग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने १०५ वाले नम्बर को काट दिया है और उसके बाद १५५ के नम्बर को ट्रैक्टर दिये गये हैं और १०५ नम्बर वाले को ट्रैक्टर नहीं दिया गया है? क्या माननीय मंत्री जी इसकी तहकीकात करायेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है वह अपूर्ण है। वह निश्चित सूचना दे दें तो अवश्य छानबीन हो जायेगी और यदि कोई ट्रैक्टर मिलने का अधिकारी है तो उसको ट्रैक्टर अवश्य दिया जायेगा और जो दोषी पाये जायेंगे उनको सजा देने में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी।

श्री महरम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि १ मार्च से ३१ मार्च, १९७० के बीच जो प्रार्थना-पत्र आये हैं उनको ट्रेक्टर अलाट किये जायेंगे और जिसने पहले दरख्वास्त दी है उसको पहले और जिसने बाद में दी है उसको बाद में दिया जायेगा, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा भी राज्य सरकार का नियम है कि जिसकी एप्लीकेशन पहले दर्ज हो जाय, चाहे उसकी एप्लीकेशन में कोई तथ्य न हों और वह चाहे काश्तकार भी न हो, तो क्या पहले दरख्वास्त आने से और उसका नाम दर्ज होने से उसको ट्रेक्टर मिल जायेगा? इससे क्या मंत्री जी की राय में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता है? क्या माननीय मंत्री जी नियम बताने की कृपा करेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, जो पहले प्रार्थना-पत्र देते हैं उनको पहले ट्रेक्टर दिया जाता है, लेकिन अगर उसमें आवश्यक क्वालिफिकेशन नहीं होती है तो उसको नहीं दिया जाता है। क्वालिफिकेशन्स यह हैं :—

(१) प्रमाणित खतौनी की नकल कि आवेदक के पास अथवा उसक सम्मिलित परिवार में खेती की भूमि १२॥ एकड़ से कम नहीं है।

(२) एक हलफनामा कि आवेदक के पास १ मार्च, १९६४ के बाद खरीदा हुआ कोई भी ट्रेक्टर नहीं है।

(३) १० रु० का इन्डियन पोस्टल आर्डर यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के नाम बतौर फीस के।

(४) यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डिस्ट्रियल कारपोरेशन, लिमिटेड के हित में एक सौ रुपये का बैंक ड्राफ्ट बतौर अग्रिम धन के।

परिगणित जातीय मलेरिया इन्स्पेक्टर

*२७—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में मलेरिया विभाग में मलेरिया इन्सपेक्टर, सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर तथा असिस्टेन्ट यूनिट आफीसर की संख्या क्या है? उनमें परिगणित जाति वालों का क्या प्रतिशत है?

श्री धर्मदत्त—

इन कर्मचारियों की संख्या क्रमशः ६८, ६८ तथा २३ है तथा इनमें से परिगणित जाति वालों का प्रतिशत क्रमशः १०.२९ प्रतिशत, १.४७ प्रतिशत तथा ४.३४ प्रतिशत है।

*२८—श्री सियाराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में मलेरिया विभाग के अन्तर्गत सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर तथा असिस्टेन्ट यूनिट आफिसर के स्थान कहां-कहां रिक्त हैं और कितने? और क्या इन स्थानों पर परिगणित जाति के मलेरिया इन्सपेक्टर्स को प्रोमोशन देने का विचार है? यदि हां, तो यह प्रोमोशन कब तक दिये जायेंगे?

श्री धर्मदत्त—

सीनियर मलेरिया इन्सेपक्टर का एक-एक स्थान झांसी तथा बस्ती में रिक्त है। असिस्टेन्ट यूनिट आफिसर का एक स्थान सहारनपुर यूनिट में रिक्त है। मलेरिया इन्सपेक्टर के प्रोमोशन का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री सियाराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो परसेन्टेज परिगणित जाति का १८ परसेन्ट का है वह पूरा नहीं है तो उसको पूरा करने के लिये उनका कोई इरादा है ?

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, भविष्य में जब कभी भी इन स्थानों के लिये भर्ती की जायगी तो इस बात का विचार रखा जायगा ।

श्री सियाराम—

दूसरा प्रश्न जो २८ है और जिसके बारे में अभी बताया गया कि झांसी और सहारनपुर और तीन, चार जगहों पर स्थान रिक्त हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इन रिक्त पदों पर शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको प्रोमोशन देने का अभी विचार क्यों नहीं है ?

श्री धर्मदत्त—

मान्यवर, मलेरिया उन्मूलन का संचालन जिस प्रकार से होता है उसमें एक स्टेज पर बहुत से कर्मचारी सरप्लस हो जाते हैं इसलिये कुछ स्थानों को रिक्त रखा जाता है जिससे जो कर्मचारी सरप्लस हों उनको हटाना न पड़े । इसलिये यह आवश्यक है कि कुछ स्थान रिक्त रहें ।

श्री सियाराम—

जो परिगणित जाति का परसेन्टेज अधूरा है उसको पूरा करने के लिये जो जगहें खाली हैं उन पर प्रोमोशन करने का कब तक विचार है ?

श्री धर्मदत्त—

पदोन्नति के कुछ नियम हैं जैसे वरीयता, शैक्षिक योग्यता और उनके चरित्र संबंधी रिपोर्ट । प्रोमोशन के समय इनका ध्यान रखा जायगा और परिगणित जाति के जो लोग इन नियमों के अन्तर्गत आ जायंगे तो उनके प्रोमोशन में अवश्य ध्यान दिया जाय ।

देहरादून दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ में भ्रष्टाचार की शिकायत

*२६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को देहरादून दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, लि० के तीन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित संघ के बारे में गम्भीर आरोप लगाते हुये एक प्रतिवेदन, दिनांक २६ अगस्त, १९५९ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ नहीं पाया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी यह बतावेंगे कि उनके पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ द्वारा केवल ५ प्रतिशत दूध का वितरण हुआ है और यह भारी हानि पर जा रहा है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ जो बनाया गया था इसकी कैपेसिटी रोजाना २० हजार लीटर दूध सप्लाई करने की थी लेकिन इसने करीब करीब १ हजार लीटर दूध की ही सप्लाई की । यह अपनी क्षमता का १/२० भाग ही काम करता है, इसलिये लास पर चल रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित कि यह संघ १/२० भाग कैपेसिटी का काम कर रहा है और यहां भ्रष्टाचार के आरोप है इसलिये आप इस सारी योजना के बारे में कुछ विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वहां का व्यवस्थापक मंडल समाप्त करके प्रशासक नियुक्त किया गया है और वहां के मैनेजर को भी हटा दिया गया है और एक इंजीनियर और कुछ और जगहों को कम किया जा रहा है जिससे खर्चा कम हो और ऐसी आशा है कि प्रशासक के समय में सुधार होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो लोग इस बात के लिये जिम्मेदार हैं कि वहां दुग्ध का उत्पादन कम हुआ और हानि हुई और भ्रष्टाचार हुआ क्या उन पर मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

छानबीन हो रही है और जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी हो तो वह भी बतला दें और उसके अनुसार भी हम जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

कई सदस्य—

आधा मिनट बाकी है ।

श्री अध्यक्ष—

इतने में उत्तर क्या आयेगा ?

उपनिदेशक, पौध सुरक्षा के कार्यालय में गबन

*३०—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौध सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का विभागीय आडिट (लेखा परीक्षा) गत सात माह से हो रहा है ? यदि हां, तो उसमें अब तक आर्थिक अनियमितता एवं गबन की कितनी शिकायतें प्रकाश में आयी है ?

श्री शिवराज सिंह—

उपनिदेशक, पौध सुरक्षा , के कार्यालय के हिसाब किताब का वर्ष १९६३–६४ से मई, १९६८ तक का विभागीय आडिट (लेखा परीक्षा) पूरा हो गया है । इस लेखा परीक्षा के फल स्वरूप कुल २९,०४७.१९ रुपये का गबन प्रकाश में आया है । इस गबन का आरोप कार्यालय के कैशियर श्री मोती लाल पर है । उन्हें निलम्बित कर दिया गया है । इस गबन की रिपोर्ट जिलाधीश, लखनऊ, को भी कर दी गई है । पुलिस द्वारा मामले की जांच हो रही है ।

आडिट रिपोर्ट में दर्शायी वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है । उनका पूरा स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही यह कहना संभव होगा कि वास्तव में क्या-क्या वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न २९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३१—श्री मैनेजर सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कष्ट करेंगे कि पौध सुरक्षा विभाग के भतपूर्व उपनिदेशक के विरुद्ध जांच हुई थी ? यदि हां तो क्या परिणाम निकला ?

श्री शिवराज सिंह—

उप निदेशक के विरुद्ध जांच संबंधी कार्यवाही अभी चल रही है ।

*३२—३३—श्री दीपनारायण मणि—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ में प्रशासक नियुक्त करने की प्रार्थना

*३४—श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ, के प्रबन्ध संचालक (पी० एम० जी०) की ओर से रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को इस आशय का कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है कि उक्त बैंक के लिये सरकार प्रशासक नियुक्त कर दे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

जी हां । मामला विचाराधीन है ।

*३५—श्री कल्यान सिंह तथा श्री गोविन्द सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

भूमि संरक्षण अधिकारियों का प्रत्यावर्तन

*३६—श्री महरम सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १७ जिला भूमि संरक्षण अधिकारियों को मार्च, १९७० में ही रिवर्ट करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उन्हें रिवर्ट किन-किन कारणों से किया है ?

श्री शिवराज सिंह—

फरवरी, १९७० में तदर्थ तथा अस्थायी रूप से नियुक्त १७ भूमि संरक्षण अधिकारियों के प्रत्यावर्तन के आदेश प्रसारित किये गये थे ।

लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित रूप से चुने गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति के फलस्वरूप अस्थायी एवं तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारियों को प्रत्यावर्तित करना अनिवार्य हो गया ।

*३७-३८—श्री जयराम यादव—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

श्री रामआसरे तिवारी, हाट निरीक्षक, किच्छा के विरुद्ध जांच

*३९—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६६-६७ में श्री रामआसरे तिवारी, ज्येष्ठ हाट निरीक्षक, किच्छा (नैनीताल) में नियुक्त थे उन पर भ्रष्टाचार की जांच के लिये (सी० आई० डी०) बैठाई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

१९६६-६७ में श्री राम आसरे तिवारी किच्छा, (नैनीताल), में तैनात थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में विभागीय जांच कराई गई थी। सी० आई० डी० द्वारा कोई जांच आवश्यक नहीं समझी गई। जो आरोप इनके खिलाफ लगाये गये थे निराधार थे।

जनाना अस्पताल, २७७ शाहजहांपुर का आपरेशन थियेटर

*४०—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, शाहजहांपुर, के जनाने अस्पताल के आपरेशन थियेटर की दीवारें चटखी हुई हैं? और असुरक्षित हैं? यदि हां, तो क्या उसे शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

जनाना अस्पताल, शाहजहांपुर, के आपरेशन थियेटर की दीवारों का केवल प्लास्टर चटख गया था जिसकी मरम्मत करवा दी गई है।

*४१—श्री विश्वनाथ कपूर—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, फतेहपुर, का स्थानान्तरण न होना

*४२—श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या यह सही है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी फतेहपुर, फतेहपुर जिले में लगभग ४ साल से रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां।

हृदय रोग से पीड़ित होने के कारण इनको एक साल और रहने दिया गया।

कृषि निदेशालय के अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि

*४३—श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के किन्हीं पदाधिकारी को ५८ वर्ष से अधिक कार्य करने की आज्ञा दी गयी है ? यदि हां, तो वे कौन हैं और उन्हें अधिक समय देने का क्या कारण है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां। कृषि निदेशालय के दो अधिकारियों—डा० आर० आर० अग्रवाल, भूतपूर्व कृषि निदेशक एवं डा० कुंवर किशन, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) को ५८ वर्ष से अधिक कार्य करने के लिये आज्ञा दी गई है। यह दोनों अधिकारी अपने अपने विषय के अनुभवी एवं लब्ध प्रतिष्ठा विशेषज्ञ हैं। अतएव इनके ज्ञानएवं परिपक्व अनुभव से लाभ उठाने के लिये इन्हें ५८ वर्ष की आयु के बाद कार्य करने की आज्ञा दी गई।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री राम प्यारे—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित]

२---श्री जयराम यादव---

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

राज्य कृषि मार्केटिंग कार्यालय, लखनऊ में नियुक्तियां

३---श्री जगदीश गांधी---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि मार्केटिंग कार्यालय, लखनऊ, में माह सितम्बर, १९६८ से दिनांक ३१ मार्च, १९७० तक कितने लिपिकों की नियुक्तियां, पदोन्नतियां एवं स्थानान्तरण किये गये हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

नियुक्तियां	२७
पदोन्नतियां	शून्य
स्थानान्तरण	१९

४---श्री जगदीश गांधी---

क्या कृषि मंत्री यह भी कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त लिपिकों को पदोन्नतियां देने का क्या कोई आधार व मापदन्ड रक्खा गया था ?

श्री शिवराज सिंह---

चूंकि पदोन्नति कोई नहीं की गई इसलिये उसके आधार व मापदन्ड का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशक के अधीन सीनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट

५---श्री रामकुमार शास्त्री---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशक के अधीन सीनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंटों के कितने स्थान हैं और उनके कार्य और जिम्मेदारियां क्या हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

सीनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेन्टों के २१ स्थान हैं । उनके कार्य और जिम्मेदारियां निम्न प्रकार हैं :

१---सर्वेक्षणों की न्यादर्श योजना बनाना । संगणकों द्वारा किए गए सांख्यिकीय विश्लेषण का परिनिरीक्षण करना ।

२---प्रयोगों, न्यादर्श सर्वेक्षणों, कृषि सांख्यिकी, आदि के विषयों के प्राविधिक पत्र व टिप्पणी के आलेख्य प्रस्तुत करना ।

३---सांख्यिकों के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में विभिश्र फसलों के क्षेत्रफल एवं पैदावार के अनुमान तैयार करना ।

४---फसलों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये किए जाने वाले विभिन्न न्यादर्श सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में राजस्व कृषि व अन्य विभागों के क्षेत्रीय कार्य कर्ताओं को प्रशिक्षण देना एवं प्रगति के कार्यों का मूल्यांकन सम्बन्धी सर्वेक्षणों और क्षेत्रीय कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।

६---७---श्री रामचरण---

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

दर्शक दीर्घाओं से सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने वाले ४ व्यक्तियों के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब कि प्रश्नों का समय आरम्भ हुआ था तो उस समय सदन की गैलेरी से कुछ पर्चे सदस्यों के सिर पर आ गिरे। सदन के सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वे कौन से लोग हैं जिन्होंने पर्चा यहां पर इस प्रकार से गिराये ह और वे पच किस किस्म के थे? श्रीमन्, यह भी जानकारी चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग कोई रिप्रेजेन्टेशन लेकर मुख्य मन्त्री जी के पास या सरकार के पास गये हों और वहां पर उनकी सुनवाई न हुई हो और किसी कारण से विधान सभा में इन पर्चों को गिरा दिया। सदन यह जानना चाहेगा कि जो पर्चे यहां पर गिराये गये हैं उन पर्चों में क्या विषय लिखा था तथा उन्होंन एसा क्यों किया? हो सकता है कि जब उन की सुनवाई सरकार में न हुई हो तब उन्होंने बिधान सभा को कोरम बना कर इस प्रकार के पर्चे गिराये। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप सदन इसकी सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि जो हमारे पास मार्शल की रिपोर्ट आई है इस सम्बन्ध में। मैंने मार्शल से कह दिया था कि उन लोगों को जिन्होंने यहां पर पच फेंके हैं दीर्घा से हटा दिया जाय। उन लोगों को वहां से हटा दिया गया है और वे लोग कस्टडी में हैं। इन पर्चों को ४ व्यक्तियों ने फेंका था। यहां पर एक माननीय सदस्य ने अनशन जारी करने के लिये कहा था। जिन माननीय सदस्य ने अनशन जारी करने के लिये यहां पर कहा था वे हैं माननीय प्यारे लाल जी। उन्हीं के सम्बन्ध में यह पर्चा ऊपर दीर्घा से आया है। जिन लोगों ने ऐसा किया उन व्यक्तियों को कस्टडी में ले लिया गया है। यह पर्चा ११ बज कर २ मिनट पर सदन में गिराया गया। इस सम्बन्ध में मार्शल की जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, उसको मैं यहां पर पढ़े देता हूं।

"आज दिनांक ५ मई, १९७० को प्रश्नोत्तर काल के आरम्भ होते ही लगभग ११ बजकर २ मिनट पर दशक दीर्घा से कुछ व्यक्तियों ने जोर-जोर से नारे लगाकर सदन में नीचे पच फेंकने शुरू किये जिससे कि सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। मेरे नीचे से इशारे पर ऊपर दर्शक दीर्घा में खड़े विधान भवन रक्षक, सर्वश्री लक्ष्मी दत्त तिवारी, हिम्मत सिंह व शारदाबख्श सिंह ने उन व्यक्तियों को पकड़ा, तथा साथ ही नीचे से ३, ४ रक्षकों को लेकर मैं स्वयं भी घटना स्थल पर पहुंच गया और उन्हें अपने साथ नीचे ले आया। घटना की मौखिक रिपोर्ट तत्काल ही मैंने सचिव, विधान सभा, को दी। इन चार व्यक्तियों के नाम व जिनके द्वारा उनको पास जारी कराया गया, वह इस प्रकार :

	जिनके द्वारा जारी हुआ
१—श्री रिछपाल सिंह चौहान पास सं० १६५ (दर्शक)	श्री प्यारे लाल, सदस्य
२—श्री कुन्दन लाल गुप्त पास सं० ४९१ (दर्शक)	श्री अनीसुर्रहमान, सदस्य।
३—श्री हरी सिंह चावला पास सं० ४९२ (दर्शक)	श्री प्यारे लाल, सदस्य।
४—श्री शंकर नानाजी कुलकर्णी पास नं० ४९९ (दर्शक)	भगेलू सिंह, सदस्य।

उपरोक्त चारों प्रवेश-पत्र तथा सदन में फेंके गये पर्चे की एक प्रति संलग्न है। उपरोक्त चारों व्यक्ति इस समय वि० स० रक्षकों की हिरासत में हैं।" ऐसा उन्होंने कहा है कि अगर पांच तारीख तक कोई कार्यवाही न हुई तो मैं अन्शन करूंगा। तो यह परिस्थिति है।

एक सदस्य—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं जिस वक्त खड़ा हूं उस वक्त व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता, आप कृपया बैठिए।

लोकसभा में इसी तरह से एक बार कार्यवाही हुई थी। ९ अप्रैल, १९६९ को जब कि हाउस में कोई डिमान्ड डिस्कस हो रही थी उस वक्त। मैं इसको पढ़े देता हूं।

"On the 9th April, 1969 at 2.23 p.m., when the House was discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation, two persons from the Visitors' Gallery threw some pamphlets on the Floor of the House. They were immediately removed from the Visitors' Gallery by the Watch and Ward staff. Some time thereafter, the Minister of Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) moved the following motion :

"This House resolves that the two persons calling themselves (1) Shri Rambir Singh and (2) Shri Dhirendra Kumar Sharma, who threw pamphlets from the Visitors' Galarey on the Floor of the House at 2.23 p.m. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately, have committed a grave offence and are guilty of the contempt of this house.

This House further resolves that they be sentenced to simple imprisonment till 7.00 p.m. on Friday, the 11th April, 1969, and sent to Tilhar Jail, Delhi."

श्री कृष्णानन्द राय—

इस खुले पत्र में लिखा है, इसको पढ़कर सुना दें ताकि सदन में उस पर विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इस विषय में आप को सोचना चाहिए कि कोई इस तरह से पत्र अगर फेंकें तो उस को प्रोत्साहन न दें। इस तरह से तो उन को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं सदन की अवमानना का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सदन के सामने घटना घटी है। नियमों के अनुसार सदन पूरी सजा दे सकता है। हमारी नियमावली के नियम ८२ में इसका प्राविधान है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन ४ व्यक्तियों ने पर्चे फेंके हैं उन्होंने सदन का अवमान किया है और सदन तत्काल उसमें आवश्यक कार्यवाही करके उन को दंडित करे।

श्री अध्यक्ष—

क्या दण्ड दें ?

श्री दीपनारायण मणि—

आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं एक सूचना चाहूंगा। चीनी मिलों के लिए एक समिति बनी थी। जिसने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी या नहीं और वह विधेयक कब हाउस में आएगा ? आजकल चीनी मिल के मालिकों ने बड़ी ज्यादती कर रखी है, गन्ने की सप्लाई स्लो कर रखी है।

(शोर)

श्री दीपनारायण मणि---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं जैसे कि लोकसभा ने सजा दी वैसे ही इनको दो महीने की सादी सजा दी जाय।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

यहां माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, उनसे आप कहें यह बहुत ही जरूरी चीज है वह बतायें कि इस संबंध में कब तक विधेयक सदन में आ जायगा ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

जो प्रस्ताव आया है उसी के मुताल्लिक मैं अर्ज करना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप ने यह आदेश दिया था कि उन लोगों को जिन्होंने यह पर्चे सदन में फेंके हैं दीर्घा से बाहर भेजा जाय आप का आदेश उन को कस्टडी में रखने का नहीं था इसलिये उन को फौरन रिहा किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उनको उस वक्त वहां से हटाने की आज्ञा दी थी.....

श्री गोविन्द सिंह---

लेकिन कस्टडी में रखने के आपके आदेश नहीं थे इसलिये वह लोग कस्टडी में अवैध रूप से रखे गये हैं, उन को फौरन रिहा किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष जी, यह बात सही है

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आप तो बोलते रहते हैं पूरे सदन की कार्यवाही में हमारा तो नम्बर ही नहीं आता।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जो भी घटना यहां हुई उस से किसी को भी सन्तोष नहीं होगा और हममें से कोई भी इसको उचित नहीं समझेगा और इस तरह से सदन में पर्चे फेंकना लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है लेकिन यह भी सही है कि यह कोई ऐसा अपराध नहीं है कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी सजा दी जाय जो श्री दीप नारायण जी ने प्रस्तावित की है। इस सदन में सम्भवतः यह पहला मौका है, यदि पहले यहां ऐसा कोई अवसर आया होता तो, श्रीमन्, अपने सदन की ही कोई रूलिंग यहां पढ़ते लेकिन आप ने अभी लोकसभा की एक रूलिंग पढ़ी। मैंने पहले ही कहा कि इस को कोई भी उचित और न्यायसंगत नहीं कहेगा कि ऐसा व्यवहार किया जाय। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि सजा देते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि यह पहला मौका है और हमारे ही वे अपने नवयुवक हैं जिन्होंने भावना के वशीभूत होकर ऐसा किया है, उन के साथ हम एक लीनियेंट एटीट्यूड लें ताकि उन को भी हिदायत हो जाय और सदन की भावनायें भी व्यक्त हो जाय, मैं चाहता हूं कि उनको कोई इतनी बड़ी सजा न दी जाय।

श्री गोविन्द सिंह—

मैंने तो व्यक्तिगत प्रश्न उठाया है कि वे अभी भी गैर कानूनी तरीक़े से हिरासत में हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो माननीय दीपनारायण त्रिपाठी ने रखा है उस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है। आप जानते हैं कि आजकल समाचार-पत्रों में पिछले दस, पन्द्रह दिन से निकल रहा है कि इस सरकार के कुछ मंत्री लोग अपने-अपने पीपुल्स कोर्ट आयोजित कर रहे हैं जैसे सहारनपुर, शाहजहांपुर, हरिद्वार.....

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह—)

श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, आप कृपया इन मंत्री जी को मना कर दीजिये वह इस तरह से बीच में न बोलें, हमें आप से अपनी बात कहने का पूरा हक है और अगर हम कोई अनियमितता करते हैं तो आप हमें डाट कर बिठा सकते हैं, लेकिन बीच में इस प्रकार मंत्री जी का उपदेश हमें बरदाश्त नहीं हो सकता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस सरकार के मंत्री लोग गोरखपुर हरिद्वार, शाहजहांपुर और सहारनपुर, आदि में पीपुल्स कोर्ट्स आयोजित कर रहे हैं और वहां एक नाटक कर रहे हैं कि हम जनता की शिकायत सुनते हैं। हमारे प्रदेश के ही यह ३-४ नौजवान मुख्य मन्त्री जी के पास गये और जैसी कि उन की आदत है उन की बात उन्होंने नहीं सुनी और उनको निराश कर दिया और ऐसी दशा में यदि उन्होंने पत्र फेंक दिये तो इसमें गलती क्यों की .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप ने जो व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न किया इस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो प्रश्न चल रहा है उसके बारे में आप ने मुझे लिख कर भेज दिया है कि इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री या दूसरे कोई मन्त्री नियम ५१ के अनुसार वक्तव्य दें। और वह आज की कार्य सूची पर मौजूद है। ग्राम परसरामपुर, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली की श्रीमती मुन्नी देवी के अपहरण के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मन्त्री का वक्तव्य होगा। दूसरा यह है कि मन्त्रि मंडल के सदस्यों द्वारा कथित जन न्यायालयों के आयोजन के सम्बन्ध में श्री कृष्णानन्द राय द्वारा दी गई सूचना पर सिंचाई मन्त्री का वक्तव्य होगा। यह आप ने पढ़ा नहीं है और यहां पर व्यवस्था उठा दी। यह आप का ही प्रश्न है। मैं चाहता हूं जब यह प्रश्न आप के सामने आने वाला है तो आप दूसरे प्रश्न को उठा कर क्यों अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने पहले भी कहा था और उस विषय में आप ने कुछ नहीं कहा। वे चारों आदमी १।। घंटे से गैरकानूनी तरीके से कस्टडी के अन्दर हैं। आपने आदेश केवल यह दिया था कि उनको हटा दिया जाय उन को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दिया था। मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि आप ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उस विषय में कह चुका हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, यहां पर दर्शक दीर्घा से कुछ सामग्री फेंकी जाय यह उचित नहीं है और हम से कोई इसका समर्थन भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप ने उन लोगों को दीर्घा से हटाने का आदेश दिया था तो उन को हटा दिया गया। अब उसके बाद श्रीमन्, ने यहां पर लोक सभा का कुछ उद्धरण पढ़ा जिससे हमारे मित्र का उत्साह वर्द्धन हुआ और सारे हाउस के सामने वह कह गये कि इनको दो महीने की फांसी दे दी जाय। बाद में वह दो महीने की सजा की बात हुई। तो मैं आप के द्वारा उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि कृपा कर इस पर विचार करें। यह सदन सर्वोपरि है। और प्रभुता सम्पन्न है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह जो दंड की व्यवस्था है इस को हास्यापद न बनायें जिसका विरोध हो। आप ने एक आदेश दिया जैसा कि गोविन्द सिंह जी ने कहा कि उन को वहां से हटा दिया जाय तो उन को हटा दिया गया। इसी दंड को पर्याप्त समझा जाय। मैं यह संशोधन अपने मित्र के प्रस्ताव में उपस्थित करता हूं कि जो दंड उनको दीर्घा से हटा कर दिये जाने की आपने आज्ञा दी उसको पर्याप्त समझा जाय।

श्री जगदीश गान्धी (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो घटना हुई है बहुत ही अप्रिय है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं यह भी समझता हूं कि प्रजातंत्र में यह जो हमारा सदन है सर्वोच्च है। यहां पर इस तरह की घटना माननीय सदस्य करायें यह भी अनुचित है। मैं यह समझता हूं कि इसकी भर्त्सना खूब की जानी चाहिये। मैं यह भी देख रहा हूं कि आज जो हमारे माननीय सदस्य पार्टी की राजनीति के आधार पर यहां पर बोले हैं मेरा ऐसा विचार है कि उन को इस प्रश्न पर सदन की मर्यादा की दृष्टि से विचार करना चाहिये न कि किसी पार्टी पालिटिक्स के आधार पर। मैं ऐसा समझता हूं कि इधर के लोग यदि सरकार में होते तो शायद वह भी इस तरह की बात न कहते जो आज ऐसी घटना के होने पर यहां पर कह रहे हैं। उधर के माननीय सदस्यों को भी यह देखने की बात है कि उनको भी इस घटना पर ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि दूसरी पार्टी की ओर से ऐसा हुआ है, इस प्रकार की घटना हुई है तो उस को दूसरी तरह से सोचें। इसलिये मेरा ऐसा विचार है कि यह दोनों बातें ही गलत हैं। यह सदन सर्वोपरि है। इसलिये संविधान की रक्षा के लिये हमको ऐसा निर्णय लेना चाहिये जिससे संविधान की रक्षा हो और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भी न हो। हम व्यवस्था क साथ सदन को चलायें इस प्रकार से हम को यहां पर निर्णय लेना चाहिये। ये लोग दूसरे हैं या हम दूसरे हैं इस प्रकार से विचार कर यहां पर वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास न करें।

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष जी, अभी आचार्य जी ने जो कहा कि दंड की व्यवस्था को हास्यास्पद न बनाय यह तो सही बात है। दंड की व्यवस्था ठीक हो जो दंड दिया जाय वह मुनासिब हो और जिसका पालन हो। साथ ही साथ हाउस को भी हास्यास्पद बनाने की कोशिश न की जाय। यह प्रथा बन गई है कि सदन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा के प्रतिकूल होती हैं और उसके बाद फिर कुछ न कुछ अगर मगर लगा कर उस के इम्पोर्टेंस को खत्म करने की कोशिश की जाती है, कुछ क्षमा याचना की जाती है और फिर पुनरावृत्ति होती है, फिर क्षमा याचना की जाती है। तो यह समझ में नहीं आता कि सदन को इससे ज्यादा क्या हास्यास्पद बनाया जा सकता है। इस प्रकार की कठिनाई सदन के अन्दर भी बहुत कुछ हो चुकी है और यह नयी चीज जो हमारे सामने आयी है, कि गैलरीज में से पर्चे फेंके गये हैं। आप देखें कि कुछ लोगों के ऐसे आचरण के कारण और ऐसे आचरण के संदेह के कारण कभी कभी आप को आदेश देने पड़ते हैं कि दीर्घाओं को खाली रखा जाय। गैलरीज में जो व्यक्ति

[श्री जगनप्रसाद रावत]

सदन की कार्यवाही देखने आते हैं, उनमें से एक या दो फीसदी ही ऐसे होते हैं जिनक ऐसे आचचरण का सन्देह किया जाता है लेकिन उनके कारण हजारों व्यक्तियों को सदन में आने से वंचित रखा जाना पड़ता है, जब कोई गम्भीर समस्या होती है। अगर इस बुराई को पैदा होते ही नष्ट न किया जाय तो जो जनता सदन की कार्यवाही को देखने आती है, उस के साथ, श्रीमन्, बड़ा अन्याय होगा और उन को जो वंचित रखा जाता है, वह अधिक बार वंचित रखना पड़ेगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि जिन व्यक्तियों ने यह आचरण किया है, उनको कठोर से कठोर दंड देने की आप व्यवस्था करें और साथ ही साथ जिन्होंने इन व्यक्तियों को पास दिए हों, उनके बारे में भी कुछ कार्यवाही करें, मेरी आप से यह प्रार्थना है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जितने हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब लोगों की इच्छा है कि सदन की मर्यादा रहे। सदन की मर्यादा का भार, सरकारी पक्ष, विरोधी पक्ष और श्रीमन्, के ऊपर है और यह भी निश्चित है यदि कोई भी व्यक्ति इसमें से या बाहर से कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे सदन की मर्यादा घटती है तो कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ-साथ श्रीमन्, आप के सामने मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं इसलिये कि मुझे ऐसा आभास हो चला है कि यहां पर लखीमपुर खीरी के कृषि अधिकारी का प्रश्न उठा जिसने ५० हजार रुपया खा डाला है। तो यह सदन जो है वह गरीबों के दुःखों को दूर करने के लिए है। माननीय सदस्य गाजियाबाद के रहने वाले हैं। वहां पर चुनाव नहीं हो रहा है और जो प्रश्न उठाये गये हैं.....

श्री जगन प्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

पर्चे में क्या लिखा है अथवा क्या नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, इसका सम्बन्ध गाजियाबाद इम्प्रूवमट ट्रस्ट से है। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया जो हमारे सामने आया। सरकार ने अभी तक उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। मैं नहीं समझता कि हमारे जनतंत्र में अहिंसात्मक तरीका और क्या रह जाता है। वह यही रह जाता है कि अपनी बातों को मनवाने के लिए अनशन करें। मैं यहां पर उनके कार्य का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन श्रीमन्, यह देखना चाहिए कि किस भावना से यह हुआ है। एक ओर उनके प्रतिनिधि अनशन की बात करते हैं तो उस भावावेश में लोगों ने वे पर्चे फेंक दिए और "प्यारे लाल जिन्दा बाद" के नारे लगाये। लेकिन कार्य तो उन्होंने बुरा किया। इस लिये मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा कि ऐसे नौजवानों की भावना को ठेस न पहुंचा कर कड़े से कड़ा दंड देंगे इस ताड़ना के रुप में जो सुधार की हो सकती है, वही दंड दें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नारायण दत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, हमको पहले सुन लेते। बाद में पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मंत्री जी जवाब देते तो अच्छा था।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

यह बड़े खेद का विषय है कि सदन को एक बार फिर अपने अपमान के विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं और इसमें कोई लेशमात्र भी संशय नहीं है कि सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के प्रत्येक माननीय सदस्य बिना किसी वलगत भावना के इस सदन के मान की रक्षा के इच्छुक हैं और सदन की प्रतिष्ठा के बारे में उनकी यही भावना है। मैं यह आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न पर भी निर्व्यक्ति होकर विचार करें। प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही चल रही है और माननीय सदस्य उसमें भाग ले रहे हैं और कोई भी अजनबी जिसे स्ट्रेन्जर कहा जाता है, कोई बाधा डालता है तो यह सदन का घोर अवमान है। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहित कर हम अपनी कार्यवाही में स्वतः बाधा डालने के भागी तो नहीं होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन माननीय सदस्यों ने इन अजनबियों को पास दिया, जिस समय उन्होंने पास दिया उस समय उनकी धारणा नहीं रही होगी। तो जिन माननीय सदस्यों ने पास दिया मैं उनके प्रति कोई शंका नहीं करता और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हम इस विषय पर शंका न करें। जिन्होंने पास दिये उनके पास देने के बाद आवेश में आकर ऐसा निर्णय कर लिया हो। लेकिन इस मामले में एकमत होना चाहिये कि दर्शक दीर्घा में प्रवेश पाने के बाद अगर किसी ओजस्वी भाषण के प्रभाव में कोई नारा लगा बैठे या और कोई कार्य कर बैठे तो हमें क्या करना चाहिये। जो आपने निर्णय लिया उनको बन्दी करने का, पहले तो हमें इसका ही अनुमोदन करना है। बन्दी कर लेने का निर्णय आपका अधिकार है। अगर सदन का अवमान हो रहा है तो उस अवमान की रक्षा करें कि अवमान न हो। पहली बात यह है कि आपके निर्णय का हमें अनुमोदन करना है। आपने स्वतः रिपोर्ट में कहा है कि वे बन्दी हो गये हैं। उन्हें बन्दी बना लिया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वे बन्दी बना लिये गये हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

आपने यह कहा कि मैंने नहीं बन्दी किया। मैंने हटाने की आज्ञा दी थी। वे इस समय बन्दी के रूप में हैं। आपने यह नहीं कहा कि मैंने बन्दी किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वे अधिकृत अधिकारों के अन्दर ही बन्दी हैं। मैंनें जहां तक समझा वह आपके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मार्शल के द्वारा ही बन्दी हुए हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि सदन की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिये वे बन्दी हो गये हैं। उस बन्दी होने का हमें अनुमोदन करना है। और दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें बहुत ज्यादा दंड नहीं देना चाहिये। दो महीने का दंड, माननीय सदस्य देवरिया से मैं आग्रह करूंगा कि वह दंड सम्भवतः कुछ ज्या । है। इसलिये जो संशोधित प्रस्ताव है इसमें कल शाम तक के लिये बंदी बनाये रखने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के पृष्ठ १०९ पर आप देखें—

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इसमें किसी विवाद की जरूरत है, यह तो ठीक है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पार्लियामेन्ट ने भी एक दिन का ही दंड दिया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पृष्ठ १०९ पर जो मैं पढ़ रहा था वह इस प्रकार है—

"Any disorderly, contumacious or disrespectful conduct in the presence of either House or any committee thereof, whether by strangers present or by persons attending as parties or witnesses, will constitutee a contempt....."

अतः यह बिलकुल स्पष्ट है और यह संशोधित प्रस्ताव जो आया वह सदन स्वीकार करे।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह घटना.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय रियासत हुसैन को बुलाया है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो घटना आज घटी है वह बड़ी लज्जाजनक है, लेकिन यह जो प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है और इस पर जो कार्यवाही हो रही है वह इन एब्सेन्शिया हो रही है। इस सदन में पहले भी जब कभी इस तरह का वाकया हुआ है तो जब भी दंड देने की बात आयी है तो संबंधित लोगों को यहां सदन में बुला कर खड़ा किया गया है और उनसे पूछा गया है कि तुमने यह किया या नहीं और क्यों किया ? उसके बाद निर्णय लिया गया है। यही परम्परा रही है। इस समय वे कस्टडी में आपको हैं। इस समय हमें यह भी नहीं मालूम कि वे वही लोग हैं जिन्होंने पर्चे फेंके या उसमें दूसरे लोग भी हैं। किसी दूसरे को तो नहीं पकड़ लिया है। इसलिये उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये। उनको आप चार्ज शीट दीजिये, उसके बाद सदन निर्णय ले कि क्या दंड दिया जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मान्यवर, यह घटना अपने देश में पहली बार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अपने प्रदेश में कहिये ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं इस देश में कह रहा हूं। प्रदेश में बाद में कहूंगा। इससे भी गम्भीर किस्म की घटना संसद में हो चुकी है। उसकी निन्दा भी हुई है, प्रशंसा भी हुई है (व्यवधान) ..... माननीय सदस्य नैनीताल ने अभी कुछ मेज पार्लियामेन्टरी किताब से पढ़ दिया। अभी जो पर्चे छपे हुये फेंके गये उसमें क्या था यह भी हमें नहीं मालूम। और एक मुकदमा खड़ा कर दिया गया। देखना तो यह था कि उसमें क्या लिखा था ? किस भावना से प्रेरित होकर यह काम किया गया ? यह सही है कि सदन में इस तरह की घटना न हो। यह परम्परा बहुत अच्छी है। लेकिन यह भी देखना चाहिये कि इसके बैकग्राउन्ड में क्या चीज हो रही है ? इधर उधर समाचार पत्रों में भी आप देखते हैं, आप से भी लोग मिलते जुलते रहते हैं, जिसको जैसा मौका होता है जनहित में, वह वैसी बातें करता है, वैसी बातें प्रकाशित करता रहता है। लेकिन बिना उन पर कोई खास इल्जाम लगाये, बिना उसको सुने, बिना उनकी बात जाने, इस सदन में एक मुकदमा खड़ा हो गया है। मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की तरफ जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, सदन का ध्यान दिलाया जाता है, उसका हवाला दिया जाता है रोज बरोज। दुनिया इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, किन्तु आज यहां पर सदियों पुरानी दास्तान का जिक्र किया जाता है। जिस समय में वह मेज लिखी गई उस समय की राजनैतिक व सामाजिक सभी परिस्थितियां दूसरी थीं और आज दूसरी हैं। इसलिये उनका हवाला देना कोई समझदारी की बात नहीं है। माननीय सदस्य नैनीताल ने जो कहा है, उसमें चूल पर चूल नहीं बैठती है, आज के समय में और परिस्थिति में उनकी बात कुछ जंचती नहीं है। तो श्रीमन्, पहले आप उस पर्चे को पढ़ें, उस पर बहस हो। उस पर हम देखें कि कौन गिल्टी पड़ता है, कौन मुजरिम साबित हो सकता है। और उसका जुर्म कितना संगीन है, इसे देखते हुये उसके दंड की व्यवस्था सदन को करनी चाहिये। तो यह सारी प्रक्रियाएं आप बनाएं, फिर हम आपके साथ होंगे। यह कोई हल्का फुलका केस नहीं है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस चीज की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

मैं श्री जगन प्रसाद रावत की भावनाओं का हृदय से स्वागत करता हूं, लेकिन देखना यह चाहिये कि यह घटना क्यों हुई। इसलिये मेरा आप से साग्रह निवेदन है कि उस पर्चे में क्या है ? यह देखा जाए। उसमें कौन सा मर्ज है और उसका क्या निराकरण है, उसकी क्या दवा-दारू होनी चाहिये, उसका क्या उपाय होना चाहिये, ये सब हमें देखना चाहिये। इस सब पर इस सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

जनाबे आला, जहां तक इस सदन की मर्यादा, उसके हक-हकूक और इज्जत का सवाल है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के, सभी को इस बात का ख्याल है कि कोई ऐसी बात यहां पर न हो जिससे इसकी इज्जत या मर्यादा कम हो। इस वक्त जो सवाल हमारे सामने है, उसका एक मामूली पहलू भी है। जहां तक मुझे याद है कि कुछ साल पहले यहां पर, शायद जनाब की अध्यक्षता के समय में ही, ऐसा वाकया हो चुका है और उस वक्त भी दोषी व्यक्तियों को सजा मिली थी। लेकिन इस वक्त सवाल यह उठता है कि यह भी मुमकिन है जिन लोगों ने पर्चा फेंका उन्होंने नादानी में, लाइल्मी में गिराया हो, उन्हें यह पता न हो कि यहां क्या कायदे हैं ? क्या कानून है ? इसमें दो रायें नहीं हैं कि इस सदन को हक है कि वह सजा दे, लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें सजा देते वक्त बहुत ही गम्भीरता से सोच समझकर सजा देना चाहिये और बहुत कम ऐसा वाकया लाना चाहिये, जिसमें सजा देने की जरूरत पड़े। जिन लोगों को बन्दी बनाया गया है, मैं समझता हूं यह मार्शल ने सही ही किया है, और मेरा खयाल है कि उनसे असलियत जानने के लिये ही उनको अभी यहीं रोका गया है। इसलिये उचित होगा उन्हें या तो आप अपने चैम्बर में बुला लें और उनसे पूछ लें कि उन्होंने ऐसा कार्य लाइल्मी में किया है या जानबूझ कर किया है। यदि उन्होंने जानबूझ कर किया है तो उनको सजा मिलना चाहिये। किन्तु यदि उनसे यह अपराध लाइल्मी में हुआ है तो ऐसा जरूरी है कि उनको सजा नहीं देनी चाहिये। क्योंकि यह डिस्कशन अखबारों में निकलेगा कि सदन के जो हकूक हैं उनको इस तरह से पामाली नहीं की जा सकती है।

इसलिए मैं अर्ज करना चाहती थी कि ख्वाह आप पूछिए बुला कर, या सदन के सामने उनको बुलाया जाय, लेकिन अगर उनको सजा दी जाय तो आज शाम तक जब तक यह हाउस बैठा हुआ है उस वक्त तक उनको बन्दी किया जाय उसके बाद रिहा कर दिया जाय क्योंकि आज कल जमतन्त्र के जमाने में जनता अपने हकूक को ज्यादा समझती है, और उनके हकूक को मनवाया जा रहा है और उनके हकूक को ज्यादा से ज्यादा वसीअ करने की कोशिश की गयी है। वह जरूरी है कि जनता को ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो कि इस सदन की मर्यादा के खिलाफ हो लेकिन जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वजीरों के पास गये और उनकी सुनवायी नहीं हुई उन्होंने सोचा हो कि हम अपनी बात किस तरह से सदन या सरकार के सामने लाएं, तो उनको वार्निंग दे कर या आज शाम तक बन्दी रखना इस बात की काफी सजा है कि आइन्दा के लिये इस बात का ख्याल रखा जाय कि इस तरह की घटनाएं सदन में न हों। उनसे बुला कर जरूर पूछ लिया जाय। उन्होंने लाइल्मी में किया हो तो छोड़ दिया जाय वरना आज शाम तक सजा दे देना काफी होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सब से पहले मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब यह घटना घटी, इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में नेता सदन प्रस्ताव ले आते हैं लेकिन नेता सदन ने इस मामले में कोई नोटिस नहीं ली। आप ने जो रेफरेंस दिया है लोक सभा का उसमें भी जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है वह संसदीय कार्य मंत्री हैं और यहां नेता सदन के पीछे संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने भी उसकी कोई नोटिस नहीं ली। श्री प्यारे लाल शर्मा इस सदन में यह कह कर बैठे कि हम अनशन शुरू कर रहे हैं। तो इतनी नाराजगी हो जाय, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर नाराजगी न हो, तो हो सकता है कि आपने उपेक्षा की। प्रस्ताव किसने पेश किया ? माननीय मणि जी ने। उन्होंने यह कहा कि इस पर विचार किया जाय। इसके बाद कहा, दो महीने की सजा दे दी जाय। दो हिस्से में प्रस्ताव हुआ। फिर मैंने तिवारी जी की जबानी सुना की कोई संशोधित प्रस्ताव भी सरकारी बेन्चेज से आपके पास आ गया है किसी ने दिया हो लेकिन अगर यह बात सही है कि इस सदन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

मानमर्यादा का ध्यान है तो सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि सदन की मानमर्यादा का ख्याल करे। उस परचे में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। लेकिन क्या वजह है कि इस सदन के सम्मानित सदस्य इस सदन में आते आते, प्रश्नों का समय प्रारम्भ होने से पूर्व खड़े होकर सारे सदन की नोटिस में ले आएं कि वह आज अनशन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसके खिलाफ है? हमारे, आपके? यह नहीं होगा? नहीं होगा तो सरकार के खिलाफ होगा। अगर सरकार इतनी बेलगाम हो जायगी, कि इस सदन के माननीय सदस्य भी अनशन करने के लिए मजबूर हो जायेंगें तो मैं नहीं समझता कि इस सदन में सरकार को रहने का कोई नैतिक औचित्य है।

उन पर्चे फेंकने वालों को बुलायें, पूछें। पहले वह अपना जुर्म तसलीम कर लें तब आप उनको सजा दें। अगर उन्होंने कह दिया कि मैंने नहीं फेंका, यह कह दें कि माफी मांगता हूं या अनजान में गलती हुई तो इस सदन को उस प्रकार का निर्णय लेने का पूरा हक है। लेकिन जब तक वे इस सदन के सामने न आयें, उनको जुर्म ना सुनाया जाय और उसके बाद उनका बयान न हो जाय, तब तक अध्यक्ष महोदय, आप कोई सजा न दिलवाएं। सदन तो सक्षम है। उन्होंने गलती की। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि इस सदन की मान मर्यादा में कोई आंच आये, लेकिन यह हुआ कैसे? प्यारे लाल शर्मा जी को इस सरकार की वजह से अनशन पर बैठना पड़ा। अगर यह स्थिति हो सकती है तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन से बाहर निकलने के बाद हम एक साधारण नागरिक की हैसियत में हैं और हमारे सारे क्रिया-कलापों का असर बाहर भी पड़ता है। इसलिये निवेदन है कि हमेशा गुस्से की अथवा दबाव की राजनीति नहीं करनी चाहिये। मुलजिमों को आप भले ही सजा दे दें लेकिन प्यारे लाल शर्मा को क्यों अनशन करना पड़ा इस पर बहस होने दें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। मैं रास्ता निकाले देता हूं।

(व्यवधान)

पहले मेरा सुझाव सुन लें।

एक तो बात यह है कि नेगी जी ने एक प्रश्न उठाया कि मैंने क्या आज्ञा दी थी। मैंने यह कहा था कि उनको यहां से हटा दिया जाय। तो यह सत्य बात है। जिन लोगों ने पर्चे डाले हैं उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन उनका यह भी कर्तव्य होता है अगर वह हटा देते ह और उनको ज्ञात है कि सदन का अवमान हुआ है तो उनको यह आज्ञा लेनी होती है कि सदन क्या चाहता है और यह वह मुझ से पूछ सकते हैं यानी जो आपके मार्शल हैं वह उन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक दूसरी आज्ञा न ले लें। मैंने इसीलिये सदन के सामने यह प्रश्न रखा। मेरे दिमांग में यह कल्पना नहीं आई थी कि आप उनको जेल भेजने वाले हैं। मेरे दिमाग में यह बात थी कि उको हटा दिया जायगा। यह भी आप कर सकते हैं कि उन को आप तम्बीह दे सकते हैं। बात यह है कि बाहर के जो आदमी हैं उनको सजा देते वक्त मुझे जुरिस्प्रुडेंस से यह जरूरी मालूम पड़ता है कि सदन में उन को बुलाना चाहिये और बुला कर उन से यह पूछना चाहिये कि तुमने यह किया या नहीं आप या तो इस निर्णय पर आयें अथवा मार्शल का यकीन करके ही उन को सजा दे दें। वह बात आप कर सकते हैं। तो मैंने खास तौर से उन को यह आर्डर नहीं दिया कि हिरासत में ले लें। अब उनको यहां बुला भी नहीं रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में रास्ता यही है कि जितनी उन को सजा मिल गयी यहां हिरासत में रह कर वह काफी है। वैसे ६ तारीख की शाम तक का भी संशोधित प्रस्ताव आया हुआ है। लोक सभा में ११ त रीख का आया था। दूसरे रोज वह प्रस्ताव संशोधित किया गया। कि ११ नहीं, १० कर दिया जाय। तो आखिर में यह हुआ कि १ रोज कम कर दिया गया मेरा ख्याल यह है कि जब आप नहीं बलाते ह तो वह हो सकता था कि शाम तक हिरासत

में रहें। यह हो सकता है। मैं कहता हूं कि यदि उन को नहीं बलाया गया तो ऐसी हालत में इतनी देर तक जो उन को सजा हुई या उनको हिरासत में ले लिया गया .....

(व्यवधान)

उतना काफी है, यह निर्णय करने का इस सदन को पूरा अधिकार है। मैंने भी अपना यह सुझाव दिया है। जो आप ने प्रस्ताव रखा है उसी के बारे में मैंने भी एक सुझाव आप के सामने रखा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में वोटिंग होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

श्री दीपनारायण मणि जी ने अपना संशोधित प्रस्ताव यह दिया है कि कल शाम ६ बजे तक उन्हें जेल की सजा कर दी जाय।

श्री दीपनारायण मणि—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने रक्खा है उसे सदन के समक्ष लिया जाना चाहिए। मान्यवर, आप धारा २०७ देखें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप के प्रस्ताव पर सुझाव दिया है कोई तर्क नहीं दिया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, आप की रूलिंग है कि यदि कभी सदन का सदन के समक्ष अवमान होता है तो दण्ड देने से पूर्व उसे सदन में बुलाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव के अनुसार मैंने सुझाव दिया है। आप प्रस्ताव रखें।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, आप इस पर निर्णय दे चुके हैं .....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जो माननीय अध्यक्ष ने अपने विचार प्रकट किये हैं और उन्होंने जो रूलिंग दी है, मैं समझता हूं कि यह इस सदन की मान-मर्यादा का प्रश्न है। तो मैं माननीय नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें। मैं उनको उसी भावना का समझता हूं। माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है और जो विचार प्रकट किये हैं उन विचारों से आप सहमति प्रकट करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आप मुझे बोलने का मौका नहीं देते। क्या वे ही बोलते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपको समय दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस सम्बन्ध में मान्यवर, जो व्यवस्था आप देंगे वह शिरोधार्य होती है। इस विषय पर जो आप ने मार्शल की रिपोर्ट पढ़ी और प्रिविलेज डाइजेस्ट की रूलिंग दीं। तो जहां तक मैंने सुना कि आप ने इस बात का उल्लेख किया और कहा कि ऐसा ही प्रस्ताव आयेगा....

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि उन्होंने यह दिया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

पहले तो प्रक्रिया यह है कि जिस समय कोई घटना हो, उसी समय उनको इंगित करना चाहिये था। ऐसा नहीं हुआ। जब उसके बाद यह बात ध्यान में आयी और रिपोर्ट यह आयी कि वे लोग बंदी है। उसके बाद डायजेस्ट में से आपने पढ़ा कि इतने दिन की सजा दी गयी। उसके बाद आपने कहा कि ऐसा ही प्रस्ताव यहां आ सकता है। उसके बाद वह प्रस्ताव भी आया। आपका इतना कहना ही उस प्रस्ताव का आधार है। उसके बाद जैसा कि कहा जाता है आपने कुछ डायरेक्शन दिया कि उस प्रस्ताव के आधार पर काम कर सकते हैं। इतना कहने के बाद फिर आपने दुबारा उसको संशोधित किया। वैसे आप जो भी व्यवस्था देंगे, वह शिरोधार्य होगी। लेकिन पहले आपने जो संकेत दिया और दूसरी बार जो संकेत दिया, उन दोनों संकेतों में अन्तर है। इसलिये व्यवधान होता है।

श्री अध्यक्ष---

कोई अन्तर उनमें नहीं है। मैंने यह पढ़ कर सुनाया था कि इस प्रकार की कार्यवाही लोकसभा में हुई थी। आप चाहे जो कुछ कर सकते हैं। सवाल यह था कि पहले आपने कहा कि सदन का अवमान हुआ। दीपनारायणमणि जीने पहले सजा के लिये कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने दो महीने की सजा के लिये कहा। उसके बाद एक संशोधन यहां पर भेज दिया कि वह कल ६ बजे शाम तक हिरासत में रहें, प्रिजन में रहें, बन्दी रहें। ३ बातें हो गयीं। उसके बाद डिस्कशन हुआ। डिस्कशन तब सार्थक होता है जब मै सब की बात सुन लूं और उसके बाद न्याययुक्त कौन-सी बात है इसके विषय में अपना सुझाव दूं। लेकिन फिर भी सदन को सजा देने का पूरा अधिकार है। कुछ लोगों की इस प्रकार की भावनायें थीं कि उनको भी सुनना चाहिये। लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि सदन का अवमान हुआ है और सदन जो सजा चाहे दे सकता है। इस प्रकार की बातें हो गयीं। सब लोगों की भावनाओं के बारे में विचार करते हुए मैंने कह दिया। अगर आपको पसंद हो तो मैं इसको वोट के लिये रख दूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

हमें तो पहले आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

पहले मैं नेता सदन को सुन लूं। उनकी भावनाय अभी किसी ने नहीं सुनीं। दो-एक बार उन्होंने उठने का भी प्रयत्न किया। उनकी भावना अगर सदन को मालूम हो जाय तो उचित होगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

श्रीमन् फिर हम लोगों को भी मौका दीजिये। हम लोग भी नियमों के अन्तर्गत कुछ सुझाव देना पसंद करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अध्यक्ष महोदय, हम लोग माननीय नेता सदन की राय सुनना चाहते हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य इस बारे में सभी एक मत है। जो कुछ आज हुआ है, जो पर्चे वगैरह गेलेरीज से डाले गये, यह अनुचित है, नहीं डालने चाहियें थे, ऐसा मैं मान कर चलता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

मैं नहीं मानता ।

श्री चरण सिंह—

एक साहब ऐसे निकले जो यह मानते हैं कि उनको पर्चे फेंकने का अधिकार था और इस प्रकार सदन की कार्यवाही में उनको बाधा डालने का अधिकार था ।

श्री अध्यक्ष—

कहने वाले हंस रहे हैं । वह केवल मजाक कर रहे हैं ।

श्री चरण सिंह—

मैंने यह कहा कि मैं यह मान कर चलता हूं कि इस सदन के सार माननीय सदस्य, जो कुछ आज सदन के सामने हुआ है, उसको अनुचित मानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मानता हूं। आप इसको कहते हैं कि मजाक है। तो आपको मुबारक हो यह इन्टरप्रेटेशन । सदन के साथ इतनी सीरियस बात में मजाक । अफसोस की बात है कि आप इसका यह इंटरप्रेटेशन करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं यह मान कर चलता हूं। इसके साथ ही साथ मुझे दो माननीय मित्रों के तर्क सुन कर ताज्जुब हुआ। एक तो हमारे रामकुमार जी शास्त्री का। उनका कहना यह है कि पहले यह देख लिया जाय कि जो पर्चे डाले गये हैं उनमें क्या लिखा है। और माननीय कृष्णानन्द जी राय का भी यही आग्रह था, वह मिनिस्टर रह चुके हैं लीडर हैं, कि पहले यह देख लिया जाय कि पर्चे में क्या लिखा है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्चे में जो लिखा है अगर उस पर पहले बहस हो तो उस बहस के लिये भी तो जरूरी है कि सदन की कार्यवाही में कोई विघ्न न हो। क्यों कि मान लो हम उस पर आज बहस करते हैं और यहां नारे लगते हैं तो बहस नहीं हो सकेगी। इसीलिये फंडामेंटल बात जो है, जिसको वजह से यह रेजोल्यूशन हुआ कि हाउस का अवमान हुआ वह यह है कि हाउस को फ्रीडम आफ डिबेट है। इसीलिये यहां पर किसी की नीयत पर हमला करने की बात अगर कोई कहता है तो उसको असंसदीय करार दिया जाता है क्योंकि अगर शख्स दूसरे की नीयत पर हमला करे या अनपार्लियामेंटरी बात कहे और वह आवेश में उस तरह का जवाब दे तो ठंढे दिल से बहस नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर गैलरीज से कोई नारा लगाये, पर्चे डाले और आज पर्चे डाले गये, कल को कुछ और डाले तो यहां बहस नहीं हो सकेगी। लिहाजा पर्चे में क्या लिखा है यह इर्रेलेवेन्ट बात है।

दूसरे, माननीया सदस्या बेगम साहिबा का कहना यह है कि हो सकता है कि उनको यही न मालूम हो कि पर्चे डालना खिलाफ कानून है। वल्लाह। यह तो हर आदमी हाई कोर्ट में कह सकता है कि हमको यह मालूम ही नहीं था कि हमने जो कुछ किया है वह खिलाफ कानून है। यह कोई दलील नहीं है। जुडिशियरी फर्ज यह कर के चलती है कि कानून जो हमारी स्टेट का या यूनियन का है उससे हर नागरिक वाकिफ है और उसको मान कर सजा वगैरह या ट्रायल होता है। तो दोनों दलीलें गलत ।

अब, अध्यक्ष महोदय, आपने उस रूलिंग को पढ़ा। क्यों पढ़ा ? आप गाइडेन्स देना चाहते थे हाउस को। आपने चाहे शब्द कुछ न कहे हों। उसका मतलब ही यह था कि लोक सभा में एक बार पर्चे डाले गये तो तीन दिन के लिये प्रस्ताव हुआ। उन्होंने शायद दो दिन के लिये घटा दिया। यहां दो महीने के लिये प्रस्ताव हुआ और उसको उन्होंने दो दिन कर दिया। मैं आपकी इत्तला के लिये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ७ दिन के लिये सजा दी गयी। राजस्थान में भी शायद ऐसे ही दी गयी थी। और यहां दो दिन का प्रस्ताव आता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आप माफ करेंगे मगर मैं यह कहूं कि मैं अचरज में डूब गया जब इस सब के बाद खड़े होकर आपने यह कहा कि मैं कुछ रास्ता निकालना चाहता हूं।

[श्री चरण सिंह]

क्या रास्ता निकालेंगे आप इस मामले में ? रास्ता निकालने का क्या सवाल हो सकता है। फिर तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने पर्चे ही तो डाले कोई बम तो नहीं डाला। कोई काम में हर्ज नहीं हुआ ? थोड़े नारे लगे, आपने क्यों हटवा दिया। हटवाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कुछ नारे लगा दिये और पर्चे डाल दिये। अब दलील दी जा सकती है कि उदारता का तकाजा है, नौजवान हैं, कोई खास बात नहीं कही है, कोई खास विघ्न नहीं हुआ है, अभी समय बहुत पड़ा है आज के दिन। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो प्रस्ताव संशोधित माननीय त्रिपाठी जी ने पेश किया है वह स्वीकार होना चाहिये। उससे सदन की ही नहीं, आपके मान की रक्षा होगी।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

क्या इंडियन कांस्टीट्यूशन में यह प्रावीजन है कि अगर मुलजिम के खिलाफ सजा दी जाय तो उसे सुनवाई का मौका न दिया जाय ?

श्री कृष्णानन्द राय—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से इस सदन से और खास तौर से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और अपील करूंगा कि जब हमारी ओर से बोलने एक माननीय सदस्य खड़े हुए तो उधर से इस प्रकार से हल्ला मचाने की कोशिश की गयी उनके सामने। अगर यह व्यवहार करना शुरू करें तो यह उचित नहीं होगा। तो वे माननीय सदस्यों से कह दें कि इस प्रकार शोर करके किसी को बोलने से न रोकें। हम उनसे ज्यादा हल्ला कर सकते हैं और चौधरी साहब तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार से प्रसन्न नहीं होंगे। उनके प्रसन्न होने के दूसरे तरीके हैं, जो हम जानते हैं।

श्री चरण सिंह—

माननीय मित्र ने व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया। उन्होंने मुझसे कुछ जानना चाहा था और मैं बैठ गया। अगर व्यवस्था का प्रश्न किया हो और इधर से विघ्न डाला गया हो तो ठीक है।

एक सदस्य—

यह हरकत उनकी ठीक नहीं।

श्री चरण सिंह—

आपकी हरकत ठीक है ? छोड़िये हरकतों को। हम ४२५ आदमी हैं। आप अध्यक्ष हैं इस हाउस के। हमसे गलतियां होंगी, हमसे नियम टूटेंगे। बाहर के दर्शक लोग, विजिटर्स गलती करेंगे। तो यह एक संगठन है, उसके कुछ नियम हैं। अगर उनका पालन नहीं होगा और आप इतनी मामूली-सी कठोरता के लिये तैयार नहीं होंगे कि डायरेक्शन दे सकें, रेगुलेशन कर सकें और हर बात में यही बात सोचने की कोशिश करेंगे—माफ कीजियेगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए कह रहा हूं.....(व्यवधान)

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। यह बार-बार कहना कि आप इस तरह संकेत कर रहे थे, आप यह चीज कह रहे थे, यह लचर दलील दे रहे थे, आप कमजोरी जाहिर कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, यह सदन के सामने अध्यक्ष का अपमान किया गया है और इडायरेक्ट यह धमकी दे रहे हैं। यह सदन का अवमान है और वह अपने शब्द वापस लें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था नहीं है। उनको बोलने दीजिये, उन्होंने कह दिया।

श्री चरण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह अर्ज कर रहा था कि हाउस को चलाने के लिये भी कुछ रूल्स रेगुलेशन्स होंगे जिनके आब्जर्वेन्स की जरूरत होगी और वह आब्जर्वेन्स करने और कराने का आपके हाथ में है। इसलिये आपको सजा देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

सदन का प्रस्ताव हो जाने पर।

श्री चरण सिंह—

तो सदन का प्रस्ताव हो जाय।

श्री रामधारी शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, मैंने नेता सदन को सुना और माननीय सदस्यों को भी सुना। जहां तक सदन के अपमान का प्रश्न है इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती। यहां प्रश्न यह है कि जब हम कोई व्यवस्था करते हैं तो मौलिक प्रश्न यह उठता है कि हम नियमों का पालन करें या नहीं। मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का भी और जो संविधान बना हुआ है उसकी हम अवहेलना करेंगे या पालन करेंगे यह प्रश्न भी हमारे सामने है। मान्यवर, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि बिना हम सुने हुए छोटे से छोटे कर्मचारी को कोई दण्ड नहीं दे सकते। हम सुप्रीम बाडी हैं उत्तर प्रदेश के, तो हमें भी संविधान की मर्यादा का उलंघन नहीं करना होगा। हमने सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली बनाई है। श्रीमन्, नियम ८३ को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि सदन के परिसर के भीतर अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जायगी। मान्यवर, जब श्रीमन्, ने आदेश दिया तो यह आदेश दिया कि उनको दीर्घा से हटा दिया जाय। माननीय गोविन्द सिंह नेगी ने स्पष्ट आज्ञा जाननी चाही कि आपकी आज्ञा बिना उनको बन्दी क्यों बनाया गया। श्रीमन्, अधिकारियों के लिये आवश्यक था कि जब उन्होंने दर्शक दीर्घा से हटा दिया तो आपकी आज्ञा लेते। उन्हें कुछ समय तक के लिये बन्दी बनना पड़ा। मैं इस सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ७० की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें है कि मूल प्रस्ताव कैसे होंगे। वह इस प्रकार है :—

७०—मूल प्रस्ताव—जब सदन इस प्रस्ताव से—

(१) कि विशेषाधिकार भंग अथवा अपमान, जो सदन के प्रत्यक्ष ही किया गया हो, प्रश्न पर विचार किया जाये, या

श्री रामधारी शास्त्री]

(२) कि नियम ६७ के अन्तर्गत विषय पर तत्काल विचार किया जाय, या

(३) कि नियम ६९ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन विचारार्थ लिया जाय।

मान्यवर प्रस्ताव के तीन रूप इसमें दिये हुए हैं। मैं समझता हूं कि हमें इन से ऊपर उठकर किसी प्रकार का सदन में प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि नियम बना हुआ है। मान्यवर मैं जानता हूं कि सत्ता का नशा है और उस नशे में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। सदन में एक बार इसी प्रकार का प्रस्ताव आया कि एक सदस्य को सजा के लिये सदन की सदस्यता से हटा दिया जाय। वह भी हमारे जिले का था। यह दूसरा प्रस्ताव आ गया कि दो महीने के लिये उन्हें बन्दी बना दिया जाय। मान्यवर यह ठीक है कि भावावेश में हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम बहुत साइस्तगी से और नियमों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिये। तो श्रीमन् ने कोई आदेश नहीं दिया कि किस तरह हो तो प्रस्ताव का जो मूल रूप है उस पर विचार किया जाना चाहिये। मान्यवर, मैं आप से अदब से कहना चाहता हूं कि अगर कोई चीज ठीक नहीं है जिस प्रकार से प्रस्ताव आना चाहिए उस प्रकार से नहीं आया है तो इस प्रस्ताव को लेना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक माननीय सदस्य ने श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट किया कि यह प्रस्ताव शरारतन किया गया है। श्री प्यारे लाल जी ने एक नोटिस पढ़कर सुनाया कि मैं इन मांगों को लेकर फलां फलां जगह गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे लिये और कोई चारा नहीं है कि हम ५ मई को ११ बजे से अनशन करें। तो श्रीमन्, उनकी विवशता यह है जिससे उन्होंने यह घोषणा की और उनकी घोषणा को सुनकर ऊपर बैठे हुए कुछ लोग जिनके बारे में निश्चित है कि वह माननीय प्यारे लाल जी के सहयोगी हैं ऊपर से पर्चे फेंके और नारे लगा दिए। उनका इस काम में इरादा देखना होगा और यह देखना होगा कि उनका इरादा सदन के अवमान करने का या सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का था या नहीं था। नवयुवकों का इरादा केवल अपनी बातों को कहने का था, प्यारे लाल जी के अनशन की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का था और अवमान करने का नहीं था।

इसलिए श्रीमन् जो आपके द्वारा व्यवस्था हुई, वह श्रीमन् की बिना आज्ञा के बन्दी बनाए गये और जितनी देरी तक वह बन्दी रहे वह काफी है। वर्तमान परिस्थितियों में मैं माननीय सदन के नेता से श्रीमन् आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से और प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि जो श्रीमन् के द्वारा अन्तिम सुझाव आया कि अब तक जो वह बन्दी बनाये रखे गये वह काफी है और वह सदन की मर्यादा के अनुकूल है। श्रीमन् दंड देने की जो व्यवस्था है उसमें दंड देने का एक क्रम दिया हुआ है। नियमावली के नियम ७३ में दिया है सदन को निम्न-लिखित दंड देने की शक्ति होगी : १—भर्त्सना, २—शास्ति, ३—सदस्य का निलम्बन, ४—जुर्माना, ५—सदस्य का निष्कासन, ६—कारावास, जिसकी अवधि सदन के प्रसाद पर निर्भर है, परन्तु सत्रावसान या विघटन के उपरान्त आगे नहीं बढ़ सकती और ७—कोई अन्य दंड जिसे सदन अनुच्छेद १९४ के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित और ठीक समझे। तो श्रीमन्, इन सब क्रमों से यह धारणा बनती है कि जब बहुत गम्भीर आरोप हों तो इस तरह से दंड दिए जायेंगे। तो श्रीमन् जो आपने सुझाव दिया वह काफी है और उस पर ही सदन को सहमत हो जाना चाहिए।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

इस दंड के बारे में जो बहस चल रही है इस समय उसका कोई औचित्य नहीं है। यह कहा गया कि आपने जो हटाने का आदेश दिया उस हटाने के बाद मार्शल ने अगर अपनी गिरफ्तारी में रखा तो यह अवैधानिक कार्य है। मैं श्रीमन् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने

कोई कार्यवाही नहीं की तो मार्शल ने जो किया उसमें आपकी कांसेंट इम्प्लाईड है। श्रीमन् आप्टा फौजदारी को ११४ धारा में साफ लिखा है :

"That there is reason to fear the commission of a breach of the peace and that such breach of the peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person, the magistrate may any time issue a warrant for his arrest."

तो श्रीमन् अगर मार्शल ने यह देखा कि उस आदमी को केवल हटा देने से काम नहीं चलेगा बल्कि गिरफ्तारी जरूरी है तो निश्चित रूप से उसको अरेस्ट कानून के अन्तर्गत है और अगर वह अब तक बन्दी है तो वह संवैधानिक रूप से बन्दी है। इसके अलावा श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि पहले यह दो महीने की सजा के बारे में था और उसके बाद हमने संशोधन रखे और वह भी इस बिना पर कि श्रीमन् ने लोक सभा की कार्यवाही का उल्लेख किया और हमने अपनी भावनाओं को श्रीमन् की भावनाओं से सम्बन्ध करते हुए यह संशोधन रखे और अब हमारे और आप के पीछे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

यह निश्चित रूप से सदन की अवमानना का प्रश्न है और अव मानना में यह जरूरी नहीं कि उनको हाउस के सामने बुलाया जाय। ऐसा मालूम हो रहा है कि अवमानना का रूप पार्टी का रूप दिया जा रहा है। हम को निश्चित रूप से इसमें पार्टी को नहीं लाना चाहिये क्योंकि सदन की प्रतिष्ठा और अवमानना में पार्टी का प्रश्न नहीं आता। आज हमारी सरकार है और कल आपकी सरकार थी। इस कारण हमको इस प्रश्न पर दिल और दिमाग से सोचना चाहिये। यह कोई वाद विवाद का प्रश्न नहीं है। जो प्रस्तावक महोदय ने सजा का रूप बताया है वह कम से कम है और मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चहूंगा कि एक ही बल के एक ही व्यक्ति को इस विषय पर बार-बार बोलने क्यों दिया जा रहा है। मुझको भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

एक ही विषय पर एक ही माननीय सदस्य कितने बार बोल सकते हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। यद्यपि मुझको कानून की बहुत अधिक जानकारी नहीं है परन्तु यह तो एक साधारण बात है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह सदन का हो या बाहर का हो अगर वह किसी प्रकार से भी सदन की कार्यवाही में बाधा डालना चाहता हो तो वह सजा पाने का हकदार हो जाता है और उसको सजा मिलनी चाहिये। तो मैं तो चाहे हमारे इधर के बैठने वाले साथी कुछ रुष्ट भी हो जायं अपना विचार रखता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति को सजा कड़ी मिलनी चाहिये। जहां तक कि इस बात का प्रश्न है मैं नेता सदन की राय से इत्तिफाक करता हूं कि उसको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन साथ ही मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सजा किस प्रकार की दी जाय इस विषय पर सदन को देखना चाहिये। जब हम सजा देने पर विचार करते हैं तब यह सदन एक कोर्ट, जुडीशरी बाडी का रूप धारण कर लेता है। जुडीशियल प्रोसीडिंग्स में यह बात बहुत आवश्यक है कि जो अभियुक्त है उसको भी आपनी सफाई देने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये। उनको अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका अवश्य मिलना चाहिये। मान लीजिये कि १ या २ ही व्यक्तियों ने पर्चा को फेंका हो परन्तु मार्शल ने ४ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया हो और आप चारों को ही सजा दे देंगे। मान लीजिये कि वह कहता है कि हमारा कोई इरादा नीचे पर्चा

[श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)]

फेंकने का नहीं था और किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझको धक्का दे दिया, जिससे मेरे हाथ में जो पर्चे थे वे नीचे जाकर गिरे। इस कारण उसको सफाई देने का आप को अवसर अवश्य देना चाहिये।

मान लीजिये कि आप उनको २ ही दिनों की सजा दे दें लेकिन कल जब यह जुडीशरी में जायेगा तब तो यह विषय लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का वाद-विवाद बन कर रह जायगा। इस कारण मेरा यह निश्चित मत है कि उन को सफाई देने का मौका दिया जाना चाहिये, यह मेरा निवेदन है। आप को यह मौका देकर इस कमी को अवश्य पूरा कर लेना चाहिये फिर जो भी सजा आप देना चाहें उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब जुडीशरी और लेजिस्लेटिव में किसी स्टेज पर झगड़ा अवश्य होगा। इसलिए मैं ही सुझाव देता हूं कि जिस तरह एक जुडीशियल बाडी बैठकर फैसला लेती है उसी तरह से सदन अपनी कार्यवाही करे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा—फतेहाबाद)—

श्रीमन, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आप एक व्यवस्था दे रहे हैं तो उसको चैलेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है। आप जिस व्यक्ति को पीठासीन करा दें हमें उस के आदेश का पालन करना पड़ेगा। जब आप की व्यवस्था का उल्लंघन होगा, तो हाउस कैसे चलेगा? इस बात पर विचार किया जाना चाहिये। आप ने फैसला दिया और उसका उल्लंघन किया गया। सत्ताधारी पार्टी ने उल्लंघन किया। तो आप को अपनी पोजीशन पर विचार करना चाहिये। अगर आप की पहली व्यवस्था कायम नहीं रहती है तो आप को सोच-समझ कर व्यवस्था देनी चाहिये कि सरकारी पक्ष और दूसरा पक्ष मानेगा या नहीं। नहीं तो आप को कोई भी व्यवस्था आगे नहीं देना चाहिये। जब तक कि सरकारी पक्ष उसको मानने के लिए वचनबद्ध न हो जाय।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन, आज जिस प्रकार सदन का अवमान हुआ, पहले भी ऐसी घटना घटी है। एक घटना घटी, सदन का अवमान हुआ और उस की महत्ता को मानते हुए भी कुछ लोगों ने अपराधी की रक्षा करने की कोशिश की। लेकिन यह तय है कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को आप माफ करते रहे तो कोई प्रतिबन्ध नहीं रह जायगा कि सदन का अवमान न हो। आप हमारे इस सदन के अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग हैं और इस नाते आप की बड़ी भारी छाप हमारे मन पर है। आप ने हमारी बात सुनने के पहले जो अपना सुझाव रखा, उसका असर सदस्यों पर पड़ता है और हम उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात पैदा हो तो आप अपने सुझावों को हम लोगों की बात सुनने के बाद दिया करें तो हम सही दिमाग से और स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं। आप की एक गरिमा है। आप ने जो सुझाव दिया अगर उस को न मानें तो ठीक नहीं होगा। जहां तक सजा देने का सवाल है, मैं इससे सहमत हूं कि सजा देनी चाहिये। अगर आप नियमों से भी ज्यादा वरीयता हृदय को देना चाहते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है। आप उन लोगों को बुलाकर सफाई ले सकते हैं। लेकिन आप बुलायें भी नहीं और सफाई भी न लें और सजा भी न दें, केवल यह कह दें कि अब जो कुछ हो गया उसे जाने दिया जाय, यह उचित न होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं मार्शल को बुलाकर उन लोगों को यहां उपस्थित करता हूं। वह लोग आ जायं और आप उनकी बात सुन लें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

दो-चार माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। उनको सुन लेते, उसके बाद बुलाते। यह बहुत गलत परम्परा है कि माननीय सचिव बराबर आप के दायें से, बायें से, आप के कान में कुछ कहा करते हैं। यह बिलकुल गलत परम्परा है आप सचिव को ठीक कीजिये, वह आप के आसन के दायें-बायें आ जा रहे हैं यह गलत परम्परा है, यह सदन की मर्यादा के बिलकुल विपरीत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह सदन के सामने उसके अवमान का प्रश्न है, यह सदन ४२५ माननीय सदस्यों से गठित होता है और मैं मानता हूं कि माननीय सदन का अवमान माननीय सदस्यों का अवमान है और यहां के सदस्यगण कोटि-कोटि जनता जो प्रदेश की है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसका भी यह अवमान है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो घटना यहां घटी है उस की एक स्वर से निन्दा की जा रही है लेकिन आप से मैं यह जानना चाहूंगा...अध्यक्ष महोदय, आप अपने इन सचिव को बिठायें...।

श्री अध्यक्ष--

मैं उनसे बात पूंछ सकता हूं।

श्री मैनेजर सिंह--

जो घटना आज घटित हुई और जो पर्चे सदन में गिराये गये वे क्यों गिराये गये, और क्या यह भी सदन के माननीय सदस्यों का अवमान है कि एक माननीय सदस्य जो जनता का प्रतिनिधत्व करता है और वह यदि जनता की शिकायत को लेकर सरकार के समक्ष या मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य के पास जाय और उसको वह उचित आदर न मिले और वह असन्तुष्ट रहे, उसे आवश्यक सहानुभूति तक न मिले तो क्या यह सदन का अवमान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो घटना घटित हुई वह क्यों घटी इस पर हमें गौर करना चाहिये.....।

(इस समय चारों व्यक्तियों को सदन के समक्ष उपस्थित किया गया।) जिन चार व्यक्तियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है केवल वही अपराधी नहीं हैं बल्कि मुख्य मन्त्री जी और मंत्रिमण्डल के वह सदस्य जिन्होंने उनकी दुखद कहानी को सुना तक नहीं वे भी...।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें। यह लोग आ गये हैं सदन के समक्ष, मैं उन से पूछ लूं.....।

श्री मोतीलाल यादव---...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही जो हो रही है यह अवैधानिक है क्योंकि जब एक बार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन के निर्णय के लिए और वोटिंग के लिए प्रस्ताव कर दिया और वह प्रक्रिया के खिलाफ था कि दोबारा और पुनः इन अभियुक्त व्यक्तियों को सदन में बुलाकर उनको सजा दिलाने की कार्यवाही की जाय।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, जो बात अभियुक्तों से आप कर रहे हैं और जो हम सदस्यगण हैं और जो निर्णायक हैं वह अभियुक्तों की बात नहीं सुन पा रहे हैं और न अभियुक्तों की बात सदन के सदस्यों को सुन सकने की कोई सुविधा ही दी गयी है, यह भी अवैधानिक है क्योंकि सदस्यों को मुलजिमों के मुख से फर्स्ट हैन्ड सूचना नहीं मिल रही है। यह सब अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। अब मैं इन लोगों से पूछता हूं। (पहले अभियुक्त से) आप का नाम क्या है ?

पहला अभियुक्त--

मेरा नाम शंकर नाना जी कुलकर्णी है।

श्री अध्यक्ष—

(दूसरे अभियुक्त से) आप का नाम क्या है ?

दूसरा अभियुक्त—

मेरा नाम रिछपाल सिंह चौहान है ।

श्री अध्यक्ष—

(तीसरे अभियुक्त से) आप का नाम क्या है ?

तीसरा अभियुक्त—

मेरा नाम हरि सिंह चावला है ।

श्री अध्यक्ष—

(चौथे अभियुक्त से) आप का नाम क्या है ?

चौथा अभियुक्त—

मेरा नाम कुन्दन लाल गुप्ता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बतायें कि आप में से किस-किस ने ऊपर से पर्चे फेंके ?

चारों अभियुक्त एक साथ—

हम चारों ने ही फेंके थे ।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन की यह व्यवस्था रहती है कि यहां पर जो दर्शक बाहर से दीर्घाओं में आते हैं वे इस तरह से कोई पर्चे सदन में न डालें और इस तरह से पर्चे डालना सदन का अवमान समझा जाता है लेकिन आपने कहा कि आप ने पर्चे डाले हैं तो वह कार्य जो आपने सदन के अवमान का किया है क्या उस के लिए आप को अब खेद है ?

चारों अभियुक्त एक साथ—

हमें खेद नहीं है ।

(अभियुक्त का बयान)

श्री रिछपाल सिंह चौहान—

मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह यहां पर बैठे हैं । उनसे हमने बहुत बार कहा कि मुआविजा किसानों को मिलना चाहिये । विकल जी भी यहां पर बैठे हुये हैं उनसे भी कहा लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप लोग यह बतायें कि आप लोगों ने जो यहां पर ये पर्चे फेंके थे उनके लिये आपको खेद है ? क्योंकि इससे सदन का अवमान हुआ है ।

श्री रिछपाल सिंह चौहान—

हमारा इरादा सदन का किसी तरह से अवमान करने का नहीं था । यह हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सभा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह बतायें कि आपने जो यह काम किया इसके लिये आपको खेद है और इ के लिये खेद प्रकाशन करते हैं ?

श्री रिछपाल सिंह चौहान—

नहीं ।

(शेष तीनों ने मिल कर कहा कि "नहीं" ।)

श्री अध्यक्ष—

ये लोग कहते हैं कि हम खेद प्रकाशन नहीं करते हैं । अब आगे यह सदन फैसला करेगा कि उनके लिये क्या निर्णय लिया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं उस समय बोल रहा था तो मुझको अवसर दिया जाय। जो पर्चे यहां पर फेंके गये हैं, उसमें केवल यह बात कही गई है कि सरकार उनकी जमीन को, गरीब किसानों की जमीन को जिस कीमत पर लेती है वह बहुत कम होती ह और उनको उचित मुआविजा नहीं दिया जाता है। इसलिये वह यह चाहते हैं कि उस प्रश्न पर विचार करके उनको मुआविजे की अदायगी होनी चाहिये।

(शोर)

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, यहां पर जो पर्चे फेंके गये हैं उसके लिये उन लोगों को उभारा गया है। यह भी उन लोगों ने ही उनको कहा है कि तुम खेद प्रकाश न करो । इस सम्बन्ध में मेरा भी यह प्रस्ताव है कि उनके खिलाफ भी वही कार्यवाही होनी चाहिये जो उन बाहर के आदमियों के प्रति की जा रही है ।

(शोर)

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

सन् ६७ में जब मैं यहां पर पहली बार चुन कर आया तो उस समय भी यहां पर मुख्य मंत्री चरण सिंह ही थे। उनको चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि गाजियाबाद नगरपालिका और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो जमीन ली है उसके मुआविजे का प्रश्न अभी पड़ा हुआ है गरीबों की सभी बस्तियां अधिग्रहीत हैं, हजारों डिमोलिश आर्डर मकानों के प्रेसक्राइब्ड अथारिटी ने कर रक्खे हैं। १० वर्ष से नगरपालिका जब्त है । लाइन पार की ५० हजार जनसंख्या को नागरिक अधिकार नहीं हैं । उनके सामने सभी बातें रखी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद फिर चिट्ठी लिखी। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ और मैं यहां चुनकर आया तो यह सवाल उनके सामने फिर रखने का मैंने प्रयत्न किया और उनसे बार-बार कहा कि इस प्रश्न को हल करने की बहुत आवश्यकता है ।

(शोर)

८, ९ बार विधान सभा में अपने भाषण में सभी कठिनाइयां रक्खीं (शोर) नियम ५१, ५२ व सवालों के द्वारा सदन का ध्यान खींचा परन्तु कोई सुनवाईन हीं हुई । उन किसानों व मजदूरों के साथ यह ज्यादती हो रही है। मैंने अपनी बात सदन के सामने रखी।

(व्यवधान)

उन गरीबों, मजदूरों, शोषितों, किसानों की झोपड़ियां कल इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा गिरा दी गईं और जिन किसानों की जमीन को ले लिया गया उन्हें ७, ८ वर्ष से मुआवजे का कोई पैसा उन गरीबों को नहीं दिया गया। सरकार जमीन पर कब्जा कर लेती है और ८, १० साल उसका मुआविज़ा नहीं देती है तो किस तरह से वे अपनी गुजर कर सकते हैं और किस तरह से वे अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। यह तो वे किसान ही जानते हैं कि उन पर क्या बीतती है। यदि मंत्री, अधिकारियों और विधायकों को ८, १० वर्ष वेतन ना मिले तब इन्हें किसानों का दुःख मालूम हो सकता है। मैंने हर सम्भव प्रयत्न किया जब समस्याओं का कोई हल नहीं

[श्री प्यारे लाल]

निकला तो मजबूर होकर मैंने अनशन का निश्चय किया है। मैंने २७-५-७० को एक पत्र आपको, एक उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी व स्वायत्त शासन मंत्री जी, को लिखा। इससे पूर्व नगर की समस्याएं गाजियाबाद में अधिकारियों के सामने रखीं, अनशन भी किया, जुलूस निकाले लेकिन उचित उत्तर नहीं मिला। उसके बाद एक नोटिस भी भेजा, और पत्र में यह कहा कि अगर ५ मई, १९७० तक कोई नगर की समस्या पर कोई निर्णय नहीं होगा तो मुझे मजबूर होकर अनशन करना पड़ेगा। सो मुझे आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है, अतः आज ११ बजे से मैं अपना अनशन शुरू कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है वह इस प्रकार है :—

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्री रिछपाल सिंह चौहान, श्री कुन्दनलाल गुप्ता, श्री हरीसिंह चावला व श्री शंकर नाना जी कुलकर्णी ने आज प्रश्नोत्तर काल में ११ बज कर २ मिनट पर प्रातः सदन पर दर्शक दीर्घा में पर्चे फेंक कर व नारे लगा कर सदन के कार्य में बाधा डाली एवं सदन का प्रत्यक्ष अवमान किया। सदन निणय करता है कि इस अवमान के दण्ड स्वरूप उपर्युक्त चार व्यक्तियों को कल ६ मई की सायंकाल तक साधारण कारावास में बन्दी रखा जाय। सदन इस प्रसंग में माननीय अध्यक्ष द्वारा उनके गिरफ्तार किए जाने सम्बन्धी आदेश का अनुमोदन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब इन्होंने खेद प्रकट नहीं किया तो हम भी इस प्रस्ताव के साथ आ गये हैं। और हम पहली लिनिएन्सी की बात को विदड्रा करते हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं भी यही बात कहने को खड़ा हुआ था।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठे आगे की कार्यवाही होगी।

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, नियमों के इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

यहां नहीं, आप मेरे कमरे में मुझ से बात कर लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, आपने जो फैसला दिया है वह नियमानुकूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें। जो आपको कहना है मुझसे मेरे कमरे में बातचीत कर लें।

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का यह चतुर्थ प्रतिवेदन जो तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६२-६४) के विद्युत विभाग से सम्बन्धित पांचवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, सदन में प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने मई ४, १९७० की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(१) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जिसके लिये पहले केवल मई ५, १९७० का ही दिन निर्धारित किया गया था उसके लिये अब मई ५ तथा ६, १९७० निर्धारित किये जायं।

(२) यदि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०, मई ६ को सायंकाल ५ बजे से पूर्व समाप्त हो जाय तो उसी दिन, निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर विचार प्रारम्भ किया जाय जो मई ७, १९७० को सायंकाल तक चले अन्यथा इन प्रतिवेदनों पर मई ७, १९७० को ही विचार हो :—

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन,

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण १९६७-६८ तथा द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण १९६८-६९।

(३) मई २५ और जून १५, १९७० को सदन की बैठकें न हों।

(४) श्री रियासत हुसैन द्वारा किसानों की गिरती हुई आर्थिक दशा के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मई ७, १९७० को सायंकाल अन्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त दो घंटे विवाद हो।

(५) (क) मई ८, १९७० को असरकारी कार्य हो जिसकी सूचना पृथक से दी गई है,

(ख) मई ८, १९७० को ५ बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण होगा।

(६) मई ११ से १५ तक वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हो।

(७) मई ११, १९७० को सायंकाल अन्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त मेरठ में हाई कोर्ट की शाखा खोलने के बारे में श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर विवाद हो।

---

†छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

(८) मई १८ से मई २२ तक, मई २७ से मई २९ तक, जून १ से जून ५ तक जून ८ से जून १२ तक और जून १७ से जून १९ तक और जून २२ को वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान हो।

(९) यदि राज्यपाल ने नियत किया तो जून १७, १९७० को ५ बजे अपराह्न को वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदानों का प्रस्तुतीकरण हो।

(१०) जून २२, १९७० को सायंकाल ४ बजे से उत्तर प्रदेश के विनियोग विधेयक, १९७० का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण हो।

(११) मई २७ और २८, १९७० को ५ बजे सायंकाल से एक-एक घंटा विधायी कार्य हो।

(१२) जून २३, १९७० को ढाई बजे अपराह्न तक वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद एवं मतदान हो।

(१३) जून २३, १९७० को अपराह्न ढाई बजे से जून २५, १९७० के ५ बजे सायंकाल तक विधायी कार्य हो।

(१४) जून २६, १९७० को असरकारी दिवस होगा।

(१५) जून २९, १९७० को विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर और यदि समय बचे तो लोक-लेखा-समिति के प्रतिवेदनों पर विचार हो।

(१६) मई २२, १९७० के असरकारी दिवस के स्थान पर जून ३०, १९७० को असरकारी दिवस हो।

(१७) जून १२, १९७० के असरकारी दिवस के स्थान पर जुलाई १, १९७० अथवा अगले अधिवेशन के पहले दिन असरकारी दिवस हो।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम स्वीकार करता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन है आईटम नं० ८ पर। मई १८ या १९ जिस दिन भी बारावफात पड़ता हो उस दिन सदन न बैठे।

श्री अध्यक्ष—

यह संशोधन आप भेज दीजिये। कार्य-मंत्रणा समिति कई बार बैठेगी, उस पर विचार कर लेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

हम कई सदस्यों ने आज एक प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था कि प्रदेश के गन्ना के किसानों की खड़ी फसल सूख रही है और किसान मजबूर हो रहा है अपनी खड़ी फसल जलाने के लिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि आपने जो कार्य-मंत्रणा समिति के सिलसिले में समय निश्चित किया है, आज ही उस प्रस्ताव को ले लें ताकि उस प्रस्ताव पर भी बहस हो जाय। वह प्रस्ताव आज दिया गया है। आपकी सेवा में पहुंचा होगा। वह नियम ५२ का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—

अभी वह एडमिट नहीं हुआ है। उस पर बहस आज नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के १९५९–६० से १९६७–६८ तक के वार्षिक लेखा विवरण पत्र †

विद्युत् उपमंत्री (श्री राम प्रसाद वेशमुख)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इलेक्ट्रिसिटी (सप्लायी) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६९ की उपधारा (१५) के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के १९५९–६० से १९६७–६८ तक के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०–९२ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० ††

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

श्रीमन, ३–४ ऐक्ट की कुछ धाराओं को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ की धारा २१ को हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करने के कारण अवैध घोषित कर दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ को भी अवैध घोषित कर दिया क्योंकि उससे भी संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन

(इस समय १ बजकर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

होता था। इसमें यह पहले प्राविधान था कि अगर कोई किराया न दे तो उसके खिलाफ सक्षम अधिकारी चाहे तो समरी प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ कर सकता था और चाहे तो सिविल कोर्ट में मुकदमा भेज सकता था। यह दो तरह का जो डिस्क्रीशन दिया गया था

---

*छापे नहीं गये।

†† १ मई, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा

हाई कोर्ट की राय में यह डिक्रीशन संविधान के अनुच्छेद १४ के विरुद्ध था। तो इन धाराओं को ठीक करने के लिये तथा कुछ अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिये यह विधेयक लाया गया है, जिससे कि किसी के साथ भेदभाव न बरता जा सके। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ के तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, १९६५ के अन्दर भी कुछ कमियां रह गयी थीं जिन पर हाई कोर्ट ने आपत्तियां की थीं। उनको भी इस विधेयक द्वारा ठीक किया जा रहा है। अब हमने समरी ट्रायल की ही व्यवस्था रखी है। इसमें सिविल प्रोसीजर कोड का काफी हिस्सा रखा गया है। अपील को भी प्रोवाइड किया गया है। दूसरे जो इन्क्रोचमेंट वगैरह होते थे उनको रोकने तथा उनसे जल्दी खाली कराने के लिये भी प्राविधान किया गया है। कुछ हमने इसमें लोगों को सहूलियतें भी दी हैं। तो यह विधेयक जो आपके सामने है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं की गयी है जो नयी हो। जो पुराने अधिनियम यह सदन पास कर चुका है, और जिनकी कुछ धारायें अवैध हो गयी हैं, उन्हीं को ठीक करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें इसका फायदा हमने अवश्य उठाया है कि वैधीकरण करने के लिए सरकारी बिल्डिंग्स आदि में जो दिक्कतें थीं, उन्हें दूर किया गया है। हमने इसको ऐसा इम्प्रूव कर दिया है, ताकि यह कानून ज्यादा प्रभावकारी हो सके और जल्दी से जल्दी सही कार्यवाहियां हो सकें। श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो पब्लिक प्रापरटी है, जो मकानात हैं, उस जनता के खर्चे से, जो एक छोटे वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गये हैं उसमें अगर कोई अनाधिकृत चेष्टा करता हो, तो उसे रोका जा सके। अब तक जो तरीका था उससे ऐसा लोगों को नुकसान पहुंचता था और कानून का मकसद पूरा नहीं होता था। तो अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि अनाधिकृत कब्जा करने वालों के साथ ज्यादा हमदर्दी नहीं हो सकती है। फिर भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि यदि उनके कोई हक हैं, अधिकार हैं, तो उनकी पूरी रक्षा होनी चाहिए, इसी दृष्टि से उनको अदालत में जाने और अपील करने आदि का हक दिया गया है। उन्हें इन सब का फायदा उठाने का मौका दिया गया है।

अब मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करे और जो माननीय सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे उसका जवाब मैं उत्तर देते वक्त तफशील में देने की कोशिश करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर दे दें और उसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।

मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो अपने विचार सदन के समक्ष प्रकट किए हैं, उनका इस विधेयक में पूर्णतया ही अभाव है। जब मैं इसके विस्तार में जाऊंगा तो उन्हें मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। इस विधेयक के द्वारा जनता का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, चूंकि इस विधेयक के द्वारा सरकार लोगों को नौकरशाही के शिकंजे में खींचकर उनके साथ अफसरशाही द्वारा काम कराना चाहती है। हाई कोर्ट द्वारा जो भेदभाव की बात रखी गई है और समरली ट्रायल कोर्ट में इन विवादों को ले जाना चाहिए यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार का यह कार्य था कि सिविल कोर्ट के अन्दर इन सब बातों को ले जाने की आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। सरकारी पक्ष ने अपना जो उद्देश्य और कारण बताए हैं, उसमें स्पष्टतया मालूम पड़ता है कि सरकार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए ही इसे बनाया है। हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि—"इन दोनों मामलों में निर्णय का आधार यह था कि उपर्युक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य को इस बात का विकल्प था कि वह किसी प्रविष्टी या अनधिकृत अध्यासी को या तो किसी दीवानी न्यायालय में नियमित वाद दायर करके या सरसरी प्रक्रिया का अनुसरण करके बेदखल

कर सकती है।" मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों को ही विवाद उनको दीवानी अदालत के सामने ले जाना चाहिए, तभी व्यक्ति विशेष को सही निर्णय मिल सकता है नहीं तो हम उनसे सही निर्णय पाने की आशा नहीं करते। क्योंकि प्रशासन स्वयं ही पार्टी है और सरकार के ही अधिकारी निर्णय देंगे तो हम उस निर्णय में कैसे न्याय की आशा कर सकते हैं, वे सरकारी पक्ष में निर्णय ले जाने का प्रयास करेंगे।

पिछले दिनों में बैंक राष्ट्रीयकरण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अल्टावायरस डिक्लेयर किया गया, उसमें हमारी प्रधान मंत्री ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, उस में हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ इस प्रकार का स्टेमेन्ट दिया जो दुर्भाग्यपूर्ण था। न्यायपालिका के लिए इस प्रकार के शब्द कहना, इससे प्रजातन्त्र प्रणाली को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया वह समाजवाद के लिए एक रोड़ा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि चाहे केन्द्र या कोई भी राज्य हो अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जल्दबाजी में निर्णय लेगा तो न्यायपालिका का अगर इंटरफेरेंस होगा, वह उसे अवैध घोषित करेगी तो हमारे देश के हित में होगा। जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण के सामने स्पष्ट नीति आयी है। वही बात यहां पर लागू होती है। हमारी मौजूदा सरकार न्यायपालिका को अलग करके समरी ट्रायल को स्थान दे रही है जिससे अधिक से अधिक सरकारी पक्ष को लाभ मिल सके। इन सब विधियों से नौकरशाही का बोलबाला बढ़ेगा। उसका कारण स्पष्ट है। मंत्री महोदय उस अधिकारी को जिसके सामने मुकदमा होगा अन्दर से आदेश कर सकते हैं और वह अधिकारी मंत्री महोदय के आदेश का पालन करेगा। न्यायपालिका में इस तरह की बातें नहीं मालूम पड़तीं। इस प्रकार की शासन की जो गतिविधियां चल रही हैं इनसे निरंकुश शासन को जन्म देने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं। इसलिए मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है उसका सदन समर्थन करेगा यदि इस विधेयक का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जाय तो लगभग सभी विधायक यह समझेंगे कि इसके अन्दर वास्तविकता क्या है।

मैं आपके माध्यम से जो इस विधेयक के अन्दर संशोधन रखे गये हैं उनकी सविस्तृत विवेचना करना चाहता हूं। धारा २ के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा गया है—

"समर्थ अधिकारी का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए या ऐसे सरकारी भू-गृहादि अथवा ऐसे वर्ग के सरकारी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अधीन समर्थ-अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया हो।" मान्यवर, समर्थ अधिकारी की कोई परिभाषा नहीं दी है। मैं चाहूंगा कि इसके अन्दर डी० एम० या ए० डी० एम० के स्तर के अधिकारी का नाम जोड़ दिया जाना चाहिए अन्यथा किसी भी छोटे अधिकारी को समर्थ अधिकारी रखा जा सकता है। समर्थ अधिकारी के स्तर का कोई उल्लेख नहीं है। मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर जो धारा रखी गयी है, उसकी उपधारा २ में कहा गया है—"आदेश की एक प्रतिलिपि सरकारी भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकवायेगा।" इस प्रकार जिस व्यक्ति को सूचना देना चाहते हैं उसको सूचना देने का यह ठीक माध्यम नहीं है। मैं चाहता हूं कि सूचना नियमानुसार किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा दी जाय और उस व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर वह व्यक्ति १५–२० दिन के लिए घर से बाहर चला जाता है तो उसके अपील करने का समय निकल जायगा। तो इसकी सूचना नियमानुसार दी जानी चाहिए और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। मान्यवर, इसी अध्याय में धारा ७ की नई उपधारा (३) के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है "यदि कोई व्यक्ति, बेदखली के आदेश का, उपधारा (२) के अधीन उसके प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, अनुपालन करने से इनकार करे या अनुपालन न करे तो

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

समर्थ अधिकारी, अथवा समर्थ अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को सरकारी भू-गृहादि से बेदखल कर सकता है और उस पर दखल ले सकता है।" मैं निवेदन करूंगा कि इसमें "प्रकाशित होने के दिनांक" को समाप्त करके यह रखा जाय, "नोटिस के साथ व्यक्तिगत तामील की जाय।" प्रकाशित होने के स्थान पर व्यक्तिगत तामील होनी चाहिये और १५ दिन के स्थान पर एक माह का समय होना चाहिये।

इसके आगे ५ में जिसमें मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्न धारा रखने का जो प्रस्ताव किया गया है, वह इस प्रकार है :—

"कोई व्यक्ति जो धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उक्त उपधारा के अधीन आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील कर सकता है, जो समर्थ अधिकारी से रिपोर्ट मांगने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह ठीक समझे।"

इसमें मेरा निवेदन है कि १५ दिन के स्थान पर एक माह का समय कर देना चाहिये और अपील करने का जो अधिकार उसे दिया गया है १५ दिन अथवा एक माह का उस दिन तक उसे बेदखल करने का अधिकार नहीं होना चाहिये जब तक कि वह अन्तिम दिन का लाभ उठा कर न्यायालय के सामने अपील न कर ले।

अब ८—क के अन्तर्गत यह रखा गया है, "इस अधिनियम के अधीन जांच करने या अपील का निस्तारण के प्रयोजन के लिये, समर्थ अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट जज को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया, संहिता, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हैं।" आगे उपधारा (६) के अन्तर्गत यह रखा गया है, "मूल अधिनियम की धारा (९) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) यदि सम्बद्ध भू-गृहादि छोटी दूकान (स्टाल), खुला हुआ छोटा खेमा (छतरी या कियारिक) या इसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण हो, या (२) ऐसे प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जिनका आज्ञा में उल्लेख किया जायगा, सिवाय इस शर्त पर कि अपीलार्थी भू-गृहादि का उपयोग या अधिवास करने के लिये किराया या क्षतिपूर्ति की सभी बकाया धनराशि तथा ऐसे किराया या क्षतिपूर्ति का, जिसके स्थगन-आज्ञा के दौरान देय हो जाने की सम्भावना हो, भुगतान करने के लिये, पर्याप्त प्रतिभूति दे,

कोई भी ऐसी स्थगन आज्ञा नहीं दी जायगी।"

मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि जिला जज को इस प्रकार का अधिकार नहीं होगा कि वह उसको स्टे दे दे। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह अधिकार उसे होना चाहिये कि यदि जज उचित समझे तो वह उसको स्थगन आज्ञा दे दे। न्यायपालिका के जज के सामने इस प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिये कि वह कोई स्टे आर्डर न दे सके। समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार अगर छोटी-छोटी दूकान अथवा छोटे खेमा लगाने वालों के साथ अन्याय करेगी तो किस प्रकार वह समाजवाद की स्थापना कर सकेगी? इसमें सब से अधिक हानि होगी तो गरीब लोगों की क्योंकि अधिकारियों के पास उनकी कोई एप्रोच नहीं हो सकेगी अगर माननीय मंत्री इसमें न्याय चाहते हैं तो जिला जज को स्टे आर्डर का अधिकार इसमें दिया जाना चाहिये। वह जिस प्रकार से उचित समझे, उसी प्रका से स्टे दे। मान्यवर, इससे पूर्व मैं कह चुका हूं कि जिस दिन उसके अपील करने की अन्तिम तिथि हो उससे पूर्व उसकी

बदखली का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। अपील की अन्तिम तिथि के अगले दिन उसको बेदखल किया जाना चाहिए। मान्यवर, अध्याय २, पृष्ठ ४, धारा १४ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन— इस अधिनियम के अधीन समर्थ अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायेगा।

मान्यवर, इन पंक्तियों को पढ़ने से सरासर स्पष्ट होता है कि यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। अगर यही शब्दावली इस विधेयक में जुड़ी रही तो गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष को नीचे की अदालत से संतुष्टि नहीं होती तो वह ऊंची अदालत में मुकदमा करता है। तो इससे उसके साथ अन्याय होगा। अतः इन शब्दों को परिवर्तन करने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता मालूम पड़ती है।

मान्यवर, इसी पृष्ठ पर नई धारा १४ क, ख, ग तथा घ का रखा जाना, जिसमें उपधारा १०—मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें रख दी जायं अर्थात्—१४—क (१) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी भू-गृहादि से बेदखल किया गया हो .....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, दिखवा लिया जाय कि सदन में कोरम भी है अथवा नहीं।

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

घन्टी बजाई जाय।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से इन पंक्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी भू-गृहादि से बेदखल किया गया है, उस भू-गृहादि पर इस प्रकार अधिवास करने के लिये बिना किसी अधिकार के फिर से अधिवास कर ले तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपय तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, कि इस प्रकार की व्यवस्था आई० पी० सी० के अन्तर्गत हुई है। मन्यवर, इन पंक्तियों को समाप्त किया जाय। मान्यवर, जो ट्रेस-पासर है उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। उस व्यक्ति पर आई० पी० सी० में प्रोसीक्यूशन किया जाय और इस धारा के अन्तर्गत उसके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए। मान्यवर, आप के माध्यम से पूरे सदन से और खास कर माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसके आगे धारा १४ (ख) के अन्तर्गत अन्तिम पंक्ति में यह लिखा हुआ है—"और प्रत्येक व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा।" मान्यवर, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा अथवा कोर्ट द्वारा बाध्य किया जाना उचित न होगा, अवैधानिक होगा। अगर वह उचित समझता है तो गवाही दे

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

सकता है। जो बात उस को मालूम है वह स्वयं बता सकता है, लेकिन यह बाध्य किये जाने का जो प्राविधान किया गया है, वह अवैध है। इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

इसी के उपखंड (२) में दिया हुआ है—"यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देने में जानबूझ कर चूक करे तो वह अर्थ दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

यह तो सरासर अन्याय होगा। मंत्री जी स्वयं भी इस बात को समझ रहे होंगे लेकिन न मालूम उन्होंने किस कारण से विधेयक में इन पंक्तियों को रख दिया है। किसी भी व्यक्ति पर गवाही देने के लिये कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिये और फिर उसको दंड दिया जाना तो सरासर अन्याय है।

पेज ५ के ऊपर दिया हुआ है—"१५—क—निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात (क) किसी सरकार भू-गृहादि के अध्यासन की बाबत बकाया किराये की वसूली करने, (ख) ऐसे भू-गृहादि से बेदखल करने, (ग) ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग या अध्यासन की बाबत क्षति पूर्ति का निर्धारण या उस की वसूली करने के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जायगी, यदि तत्सदृश्य अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध्य हो।"

जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि समरी ट्रायल न रख कर दीवानी अदालत में जाना चाहिये। इसलिये इसमें भी दीवानी न्यायालय की बात रखी जानी चाहिये।

इसी प्रकार से अध्याय ४ में खंड २२ के उपखंड (२) में दिया हुआ है—"गृह के संबंध में देय कोई कर चाहे उसका कुछ भी नाम हो।" यानी चाहे किसी भी प्रकार का कर हो "भी सम्मिलित है, जहां ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जैसी भी दशा हो, देय हो।"

इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि करों के बारे में परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिये। उसकी एक परिधि रहना चाहिये। जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स आदि। इसमें जो हर प्रकार के कर जो स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाये जायेंगे उनके बारे में जो व्यवस्था की गयी है, इसको समाप्त कर देना चाहिये।

अब मान्यवर, पृष्ठ ८ पर आ जाइये। इसमें (४) (ख) (१) व (२) में यह दिया हुआ है—श्रम आयुक्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी नोटिस द्वारा जिसकी तामील (१) डाक द्वारा, या (२) उक्त गृह के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य प्रमुख भाग पर उसकी एक प्रतिलिपि चिपकवा कर, करना चाहिये।

यह नहीं होना चाहिये। तामील जो होनी चाहिये, वह व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिये, डाक द्वारा नहीं। व्यक्ति द्वारा तामील हो और उस के हस्ताक्षर कराये जायं। जिससे उसके हस्ताक्षर मिल सकें। इसी की उप धारा (३) के अन्तर्गत दिया है—

"ऐसी अन्य किसी रीति से, जो नियत की जाय, होगी, समस्त संबंधित व्यक्तियों को, अर्थात उन सभी व्यक्तियों को जिनके अध्यासन में गृह हो या हो सकता हो, अथवा जो उसमें हित रखने का दावा करते हों, ऐसे दिनांक तक जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय और नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो,....."

जैसा कि इससे पूर्व भी मैंने कहा "पन्द्रह दिन" के स्थान पर "कम से कम एक माह का" रखा जाना चाहिये।

धारा २४ के अन्तर्गत दिया है :—

"मूल अधिनियम की धारा २४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय।"

इसका मैं घोर विरोध करता हूं। इसका मतलब यह होगा कि अदालत के द्वारा जो निर्णय पहले दिये जा चुके हैं उन पर भी यह विधेयक लागू होगा। यह अवैधानिक नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। मंत्री महोदय, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। अदालत द्वारा पहले दिये गये निर्णयों पर इसको लागू करना सरासर अन्याय होगा। "किसी गृह के अध्यासन की बाबत बकाया किराया की वसूली करने, किसी गृह से बेदखल करने, किसी गृह के प्रयोग या अध्यासन की बाबत हर्जे का निर्धारण या उस की वसूली करने के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जायगी. . ." यही बात इसमें दी गई है कि दीवानी न्यायालय के सामने न कर सरसरी प्रक्रिया द्वारा किया जायगा। मैं चाहूंगा कि सरकारी प्रक्रिया को समाप्त कर के दीवानी न्यायालय के द्वारा ही प्रत्येक निर्णय होना चाहिये और इन पंक्तियों को समाप्त कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का संशोधन और है और आप खंडों पर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मैंने तो पूरे का दिया है आप देखिये। उसमें सम्पूर्ण कवर हो जाता है। उपधारा (२) पृष्ठ ६ पर दिया है :—

"यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देने में जानबूझ कर चूक करे तो वह अर्थ दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

यह सरासर अन्याय है और अवैधानिक है। इस शब्दावली को समाप्त कर देना चाहिये और मन्त्री महोदय को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस प्रजातंत्र के युग में किसी व्यक्ति को पांच सौ रुपये का दंड देना कहां तक न्यायोचित है ?

धारा २४–ङ में दिया है :—

".....इस अधिनियम के अधीन श्रम आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय म आपत्ति नहीं की जा सकेगी, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।"

इन पंक्तियों से स्पष्टतया इस बात का आभास होता है कि जिस व्यक्ति को श्रम आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश से संतोष नहीं होता उसे उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस विधेयक के अन्तर्गत अधिकतर वही लोग आयेंगे जो गरीब और छोटे लोग हैं। यदि हम उन को अपील करने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो यह उन के साथ अन्याय होगा। इसलिये मंत्री महोदय इसमें संशोधन करने की कृपा करें। मान्यवर, धारा २५ के अन्तर्गत पृष्ठ ६ पर—

"यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी गृह से बेदखल किया गया हो, उस गृह पर इस प्रकार अध्यासन करने के लिये बिना किसी प्राधिकार के फिर से अध्यासन

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

कर ले, तो उसे कारावास का दंड दिया जायगा जो कि एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दंड दिये जायंगे।" तो मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि यदि वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है इस प्रकार का कोई कार्य करता है जिसे ट्रेसपास कहा जाय तो उस पर आई० पी० सी० के अन्तर्गत जो धारा उपलब्ध है उस पर केस चलाना चाहिये। इस प्रकार से दोबारा उस स्थान पर जाने पर एक वर्ष का दंड या १ हजार रुपये का फाइन—यह अनुचित होगा और औचित्य से बहुत परे है। इस प्रकार से इसकी शब्दावली परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि इस पैराग्राफ पर विशेषरूप से ध्यान दें।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन में यह कहना चाहूंगा कि अध्याय ५ के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ का संशोधन" उसके अन्दर भी वही शब्दावली जोड़ दी गयी है जो पूर्व के अध्यायों में थी—धारा २७ के अन्तर्गत—

"निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात् :—

(क) परिषद् के किसी भू-गृहादि के अध्यासन की बाबत बकाया किराए की वसूली करने,

(ख) ऐसे भू-गृहादि से बेदखल करने,

(ग) ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग या अध्यासन की बाबत क्षति मूल्य की वसूली करने के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जायगी....."। हमको इसमें जोड़ना चाहिए कि "दीवानी न्यायालय में ही की जायगी। और सारे के सारे इसके उद्देश्य और कारण के अन्तर्गत सारी की सारी प्रक्रिया का पालन न कर के दीवानी न्यायालय की बात इसमें जोड़ देनी चाहिए।"

"उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ का संशोधन" के अन्तर्गत भी वही बात कही गयी है। दूसरी बातें जो मैंने प्रस्तुत की हैं वही इसमें भी स्वीकार की जायं और उसको जोड़ दिया जाय।

अध्याय ७ के अन्तर्गत "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का संशोधन" में भी जो बातें कही गयी हैं उनका मैं विरोध करते हुये, इसके पूर्व जो मैंने बातें जोड़ी हैं उन सब को जोड़ दिया जाय, उसी में जनता को न्याय मिल सकेगा।

इसी प्रकार अध्याय ८ के अन्तर्गत "यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ का संशोधन" में जो बातें रखी गयी हैं उनका मैं विरोध करता हूं और उनके स्थान पर उसी प्रकार से पूर्व के अध्यायों के अन्तर्गत जो मैंने अपने विचार रखे हैं उनको इसमें जोड़ दिया जाय और इसकी शब्दावली में परिवर्तन करना चाहिए।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय का विशेष रूप से इस अध्याय ९ पर ध्यान ले जाना चाहूंगा—"विचाराधीन वादों तथा कार्यवाहियों का निस्तारण" खंड ३५ के अन्तर्गत "धारा ११, धारा १९ और धारा २४ की उपधारा (१) में निहित किसी बात के होते हुये भी, अध्याय २, ३ व ४ में मूल अधिनियम के रूप में अभिदिष्ट अधिनियमों की, क्रमानुसार, धारा १५-क, १०-क व २४-क में उल्लिखित किसी भी अनुतोष के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी न्यायालय में संस्थित कोई वाद या अन्य कार्यवाही, यथास्थिति, समर्थ अधिकारी सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त, को संक्रमित हो जायगी और तदुपरान्त समर्थ अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त उनका निस्तारण उक्त अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही के रूप में करेगा।"

मान्यवर, इसकी शब्दावली से स्पष्ट होता है कि इस विधेयक के पारित होने के पूर्व जो अदालतों में वाद या कार्यवाही चल रही हैं इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद उनको इन अदालतों में जिनके नाम दिये हुए हैं उनमें समरी ट्रायल कराया जायेगा। यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको उन्हीं अदालतों में कराया जाय जिनमें चल रहे हैं। मान्यवर, इसके उप खंड (२) में लिखा है—

"किसी ऐसी कार्यवाही में समर्थ अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त उस स्तर से, जहां से वह संक्रमित किया जाय, अग्रेतर कार्यवाही कर सकता है तथा इस प्रयोजन के लिए संक्रमण के पूर्व वाद या कार्यवाही के संबंध में जारी किये गये किसी सम्मन, प्रस्तुत किये गये लिखित बयान या प्रस्तुत साक्ष्य को उक्त अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन अपने द्वारा या समक्ष जारी किया गया नोटिस, संदर्शित वाद, कारण या प्रस्तुत साक्ष्य मान सकेगा।"

इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर सरकार विशेष रूप से विचार करे और इसको प्रवर समिति को भेजा जाय। मान्यवर, मैंने जो प्रस्ताव आपकी आज्ञा से प्रस्तुत किया है वह मैं चाहूंगा कि उस को सदन के दूसरे माननीय सदस्य देख कर अपने विचार व्यक्त करें। इससे हमारे प्रदेश का हित ही होगा।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक विशेष बात की ओर ले जाना चाहता हूं। मुझे भय है, जब मैंने इस बिल को पढ़ा कि कानपुर में जो लगभग ८,००० सरकारी मकान बने हुए हैं उनमें से करीब ७,००० मजदूरों को, क्लर्कों को और अन्य लोगों को जो उनमें रह रहे हैं उन को नोटिसेज दी गई हैं कि वह उन मकानों को छोड़ दें क्योंकि अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसी प्रकार से इलाहाबाद में नैनी और करेलाबाग के भी मामले हैं। उन श्रमिक बस्तियों में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन को भी नोटिसें दी गई हैं। कानपुर में लोगों ने उच्च न्यायालय से आदेश ले लिये हैं। जो इन मकानों में रह रहे हैं, इस विधेयक के पास हो जाने से चाहे वे केन्द्र के कर्मचारी हों, चाहे वे राज्य कर्मचारी हों चाहे वे अध्यापक हों या अन्य कोई लोग हों सब के दरवाजे पर नोटिसें जबरदस्ती लगा दी जायेंगी और उन को निकाल दिया जायेगा। चाहे वे कोई लोग हों, वे वर्षों से उनमें रहते चले आ रहे हैं और अब उन को अवैध रूप से निकाला जाय यह कहां तक उचित है?

इसी प्रकार से जिन्होंने छोटे-छोटे मकान बना लिये हैं, छोटी-छोटी दुकानें बना ली हैं, उनके नक्शे पास हो गये हैं, फिर भी उनके झगड़े चल रहे हैं और उन को एक बड़ी मात्रा में अवैध घोषित किया जा रहा है। इसलिये मैं इनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे डर है कि इन श्रमिक बस्तियों से जब लोगों को निकाला जायेगा तो शासक लोग अपनी मनमानी करेंगे और अपनी पसन्द के लोगों को उनमें रखेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को अवश्य भेजा जाय और जो ३ साल से या ५ साल से इन मकानों में रह रहे हैं उन को अवैध रूप से बेदखल न किया जाय। यह बड़ी जल्दबाजी में बिल पास किया जा रहा है। इसलिये मैं समर्थन करता हूं कि इसे १५ दिन के लिये प्रवर समिति को भेजा जाय।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो हमें समय दिया है उसके लिये मैं आप का आभारी हूं। हमारे मित्र जो सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० है उसके अन्दर जो प्रस्ताव श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने रखा है कि इसे सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय और प्रवर समिति इस पर विचार करे और फिर यह इस सदन में उपस्थित हो मैं उसके इस संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं।

[श्री शंकरप्रसाद जायसवाल]

श्रीमन्, आज समस्त देश के अन्दर पिछले लगभग एक वर्ष से एक हवा दिल्ली से चल कर सारे देश में फैल रही है। उसने हमारे प्रदेश को भी प्रभावित किया है। वह हवा है कि भारत वर्ष में न्यायपालिका है जिससे हमें न्याय मिलता है संवैधानिक तौर पर, जब हमने गणतन्त्र को स्वीकार किया है, भारत के संविधान को स्वीकार किया और हमारे मौलिक अधिकारों की, हमारी सम्पत्ति के अधिकारों की, हमारी मूलभूत भावनाओं की रक्षा के लिए संविधान ने हमें जो अधिकार दिए उन की रक्षा के लिए सरकार यदि कभी उदासीन हो जाय, सरकार के कदम यदि कभी गलत पड़ जायं तो हम भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त उन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संरक्षण ले सकते हैं और यह बात किसी भी गणतान्त्रिक देश के लिये आवश्यक है और उसी प्रकार भारत के लिए भी यह आवश्यक है लेकिन जैसा कि हमने कहा एक वर्ष के लगभग से इस देश में, इस देश के प्रधान मन्त्री के द्वारा, इस देश के राष्ट्रीय नायकों के द्वारा जो दूसरी प्रकार की विचारधाराओं से प्रभावित होकर या दूसरे लोगों के सहारे पर अपने शासन को बनाये रखने की बात सोचते हैं उन्होंने देश में इस प्रकार की विचारधारा पैदा की कि यह न्यायपालिका हमारे कार्य में बाधक हो रही है और इन न्यायपालिकाओं के बारे में विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उन्हीं के दल के सहारे से चलने वाली यह सरकार, मुख्य मंत्री और मंत्रिमण्डल के लोग आज उसी विचारधारा से प्रभावित होकर इस प्रकार का काला विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं जिससे मौलिक अधिकारों को खत्म कर के उत्तर प्रदेश की जनता को केवल कार्यपालिका के ऊपर आधारित करने की बात की गई है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह मूलभूत, आधारभूत और सैद्धान्तिक बातें हैं जिनके बारे में सदन को विचार करना चाहिए। यह विधेयक इस प्रदेश को एक नई दिशा देने जा रहा है और यह डिक्टेटरशिप की भावना से प्रेरित और प्रजातन्त्र के खिलाफ न्यायपालिकाओं के अस्तित्व को समाप्त कर केवल सत्ता के अन्दर, प्रशासन के अन्दर सारी शक्तियों को निहित करने के लिए यहां उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस प्रकार की तानाशाही का श्रीगणेश करेगा। अतएव इस सदन को बड़ी गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिए।

मैं श्रीमन्, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इसके उद्देश्य और कारण में जो यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय में जो केसेज चले उनमें इस प्रकार के फैसले हुए कि उनसे संविधान की मंशा का उल्लंघन हुआ है। मान्यवर क्यों हुआ? वह इसलिए हुआ कि इनके पूर्व जो सज्जन मंत्रिमंडल में थे उन्होंने जो विधेयक बनाया था उसमें उन्होंने इस प्रकार की त्रुटि खड़ी कर दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो लोग सरकार में हैं वही इस विधेयक को बनाते हैं और उनसे भी त्रुटि होती है। मेरा अनुभव है कि हिन्दुस्तान के न्यायाधीशों और कानून के जानकारों की हमेशा इस प्रकार की आलोचना रही है। विधान सभा और लोक सभा जो कानून बनाती है उसमें इस प्रकार की त्रुटि निकाली जाती है जिससे जनता की बहुत हानि होती है साथ ही सरकार की भी हानि होती है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो विधेयक बना था वह वास्तव में बहुत अधिक भेदभाव पूर्ण था। जहां पर यह प्राविधान किया गया था, जहां न्यायालय में किसी के ऊपर केस चल सकता है अगर किसी सरकारी भूमि में अथवा सरकारी भवन में कोई अनधिकृत रूप से कब्जा करता है, इन्क्रोचमेंट करता है तथा जबरदस्ती वह उसमें प्रवेश कर जाता है या उसमें अनिधिकृत रूप से बैठ जाता है और उसका कोई किराया नहीं देता है। साथ ही वह उसको छोड़ कर निकलता भी नहीं है। इनके अन्तर्गत एक प्राविधान किया गया था। पूर्व के मंत्रिमंडल ने भी इसमें दो प्राविधान किये थे। न्यायालय द्वारा होगा तथा प्राधिकारी द्वारा भी होगा। इन दो प्रकार के डिसीजन्स के कारण ही न्यायालय ने इस प्रकार का निर्णय लिया कि यह भेदभावपूर्ण नियम है और संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करता है और उसका लाभ दूसरे पक्ष को दिया। यदि यें बातें थीं तो हमारे वर्तमान मंत्रि मंडल के वर्तमान मंत्रियों को इस पर विचार करना चाहिये था क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो

सरकार के ऊपर ही है क्योंकि जहां उनको न्यायपालिका के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिये वह उन्होंने उससे हटाकर कार्यपालिका पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी और न्याय-पालिका को इससे अलग कर दिया। क्या इससे जनतंत्र की रक्षा हो सकेगी, क्या हमारे संविधान के अन्तर्गत जो हमारी रक्षा के अधिकार हैं क्या उन अधिकारों की रक्षा हो सकेगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका प्रशासन इतना स्वच्छ है कि वह न्याय दे सकेगा, क्या यह कानून न्यायलय में न्याय के पलड़े पर खड़ा रह सकेगा?

मैंने इस विधेयक को पढ़ा है और इसके अन्तर्गत बहुत-सी मूलभूत त्रुटियां हैं और हमारे मूलभूत अधिकारों पर यह कुठाराघात ही है। मेरी यह निश्चित धारणा है कि अगर यह विधेयक इसी रूप में पास कर दिया गया तो यह अपनी त्रुटियों के कारण फिर वापस आएगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह गारेन्टी कर सकते हैं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे अधिकारों का इन्क्रोचमेंट नहीं करता है। अगर फिर भी वह समझते हैं कि इस विधेयक में कोई त्रुटि नहीं है तो पास करने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी वर्तमान मंत्रिमंडल पर ही होगी। अगर वह आश्वासन देते हैं कि यह ठीक है तो मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करना होगा। उनको इमानदारी के साथ इसको सोचना है कि अगर वास्तव में इसमें त्रुटियां हैं तो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और वहां पर इस विधेयक पर विस्तार के साथ, डिटेल में विचार हो और जो संशोधन है उस पर भी डिटेल के साथ विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो यह कहा गया है कि समर्थ अधिकारियों द्वारा इस पर विचार होगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे समर्थ अधिकारियों की योग्यता क्या है? उनका स्तर क्या होगा? इसमें इसकी कोई भी विवेचना नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई। राष्ट्रीयकरण की बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हमारे प्रदेश में जो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का कार्य हुआ उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। उत्तर प्रदेश में २२ मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की बात हुई, उसमें रिसीवर्स नियुक्त किये गये, और बन्धुओं को पता चला कि शासन के प्रमुख और मुख्य मंत्री के रिश्तेदार रिशीवर नियुक्त किये गये। उनके सगे रिश्तेदार को रामपुर में रिसीवर नियुक्त किया गया। और उनके द्वारा दो आंख देखा गया। रामपुर के लोगों का गन्ना लिया गया लेकिन बगल के जिलों का इसलिए नहीं लिया गया कि उनको खुश नहीं कर सके। यदि हमने राष्ट्रीयकरण की बात के साथ और बातों का विचार किया होता कि किस आधार पर करेंगे, किस व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित करेंगे, इन सारे डिटेल्स पर विचार किया होता तो कोई बल या मंत्रिमंडल उससे लाभ उठाने या अपने हित की रक्षा के लिये सक्षम न हो पाता।

श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं कि समर्थ अधिकारी की योग्यता तय होनी चाहिये कि एस० डी० एम० के स्तर का होगा या डी० एम० के स्तर का होगा। इसका उल्लेख होना चाहिये। इस विधेयक को देखकर मुझे आश्चय हुआ। एक स्थान पर कहा गया है कि सरकारी भूमि में सही या गलत तरीके से प्रवेश कर गया हो उसको निकालने के लिये या किराया न देता हो उसके लिए। श्रीमन्, रेन्ट कंन्ट्रोल कानून के अन्तर्गत आज भी नियम है कि तीन महीने का किराया न दे तो नोटिस दिया जाएगा, लेकिन इस विधेयक में दो महीने का किराया कह दिया। इसमें गरीबों और मजदूरों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। यह सरकार जो अपने को गरीबों की सरकार कहती है, समाजवादी और गांधीवादी कहती है, पता नहीं समाजवादी है, गांधीवादी है या जातिवादी है। श्रमिकों के लिए जिन क्वार्टरों का निर्माण हुआ है, जिनमें श्रमिक रहते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो श्रमिक नहीं रहेगा उसको क्वार्टर से निकालने की व्यवस्था है। श्रीमन, एक श्रमिक १८–१९ साल की अवस्था में काम करने के

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

लिया जाता है। ५८-६० साल की अवस्था में जब उसके शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं, वह वृद्ध हो जाता है, तब उनसे वह क्वार्टर इस कानून के अन्तर्गत यह कहकर कि तुम अब फैक्टरी के मजदूर नहीं रहे, जबरदस्ती खाली करवा लिया जाएगा। अगर १२ वर्ष तक कोई किसी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो वह जोत की हदबन्दी में आ जाता है। ३० वर्ष तक किसी मकान पर काबिज रहने पर मालिकाना हक पाने का अधिकारी हो जाता है। सरकारी काम में ६० वर्ष तक रहता है तो वह अधिकारी हो जाता है। लेकिन इस विधेयक ने कोई अधिकार नहीं दिया सारे अधिकार श्रमायुक्त को दे दिए। ठीक है, श्रमायुक्त से वह न्याय मांग सकता है। लेकिन वहां न्याय न मिले तो कोर्ट में जाने का मौका होना चाहिये। जो कालोनी श्रम विभाग की ओर से बनायी गयी है, श्रमायुक्त उसके सबसे बड़े अधिकारी हैं, वही उन केसेज का फैसला करेंगे, स्वयं मालिक ही न्याय करने का अधिकारी होगा। उससे न्याय मिलेगा, यह सोचना कठिन है। जैसा कि सेल्सटैक्स विभाग में हुआ कि वहां जो भी रिवीजन थे वे न्यायालय में नहीं जा सके और इसके कारण व्यापारियों पर बहुत आफत आई और उनको तमाम दिक्कतें हुई और बड़ी कठिनाई इस तरह से अपील मंजूर होने में होती हैं इसी प्रकार श्रम आयुक्त ही केवल देखेगा और कोई तीसरा नहीं देखेगा और इस तरह से उन की मनचाही होगी।

इसी प्रकार म्युनिसपैलिटी, महापालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और हाउसिंग बोर्ड में सब जगह यही नियम है कि समर्थ अधिकारी सुनेगा और श्रम आयुक्त और राज्य सरकार के सुनने के बाद किया गया, बाकी के लिये कहा गया कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बाद और महापालिका के बाद यह सब बातें इस तरह से की गई जिसमें केवल जिला जज ही सुन सकेगा। यदि जिला जज के ऊपर जाना होगा तो जा सकेंगे इस तरह का कोई प्राविधान इस विधेयक में नहीं है। इस नाते मैं बहुत ही अदब के साथ मंत्री जी से कहूंगा कि यह प्रश्न मूलभूत आधारों और सिद्धान्तों का है। क्या हम इस तरह से न्यायपालिका को ही समाप्त करना चाहते हैं, क्या हम न्यायपालिका को पंगु बनाना चाहते हैं? क्या हम ऐसी शासन व्यवस्था को स्वीकार करना चाहते हैं जिसमें अधिकारी और शासन ही सब कुछ होगा और न्यायपालिका का कोई अस्तित्व हीं नहीं रहेगा। क्या हम इस हिन्दुस्तान को भी चीन और रूस बनाना चाहते हैं? क्या हम यहां पर डिक्टेटरशिप को चलाना चाहते हैं? इस तरह से हम एक असन्तोष ही जनता म बढ़ायेंगे। यह सिद्धान्तों का प्रश्न है। इस में यह भी कहा गया है कि "यदि सम्बद्ध भू-गृहादि छोटी दूकान, खुला हुआ छोटा खेमा (छतरी या कियास्कि) या इसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण हो' तो इन के बारे में कहा गया है कि अगर समर्थ अधिकारी बेदखल करते हैं तो १५ दिन के अन्दर अपीलें हो सकती हैं। एक तरफ तो अपील की बात जिला जज के यहां की है और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि यदि वह किराया देने को तैयार हो, उस के ऊपर डिग्री हो गई हो और सारा खर्चा जो उसके ऊपर समर्थ अधिकारी ने निकाला हो वह सब वह देना चाहता हो और जमानत भी देना चाहता है तो उस के बावजूद उस को स्टे आर्डर नहीं मिलेगा। इस में आप देखें कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि "भुगतान करने के लिये पर्याप्त प्रतिभूति दे, कोई भी ऐसी स्थगन-आज्ञा नहीं दी जायगी।" यानी वह सारा भुगतान करता है और अपील करना चाहता है तो उस को स्टेआर्डर नहीं मिलेगा और उससे उसकी स्टाल या झोपड़ी खाली करा ली जायगी और जब जिला जज की ओर से फिर दखल की आज्ञा मिलेगी तभी वह उसमें जा सकेगा। यह कहां का न्याय है, यह तो गरीबों पर कुठाराघात है और उन पर एक नई आफत डाली जा रही है। यह प्रजातन्त्र के मौलिक अधिकारों पर एन्क्रोचमेंट नहीं है?

एक बात मैं और कहूंगा कि यदि आप गौर से देखें तो इस विधेयक के हर भाग में एक बात तो बहुत ही गम्भीरतापूर्वक देखने से दिखाई देगी कि हर बात में अर्थ दंड होगा और दीवानी में जाने का अधिकार न होगा। एक ओर तो सूचना न देने वाले पर सीधे सीधे ५०० रुपया जुर्माना होगा और दूसरी ओर उसे दीवानी में जाने का कोई हक भी न दिया जायगा, यह दोनों चीजें प्रकट करती हैं कि सरकार का इरादा कोई अच्छा इरादा नहीं है। सरकार का इरादा इस प्रकार का मालूम पड़ता है कि यह सरकार सारे अधिकारों को अपने हाथ में लेकर उनको ग्रस्त करना चाहती है। उन गरीबों के ऊपर डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट प्रहार करना चाहती है। श्रीमन्, अभी

श्रमायुक्त की बात को लेकर एक भाई ने बताया कि ६ हजार के लगभग कानपुर में ऐसे मजदूर हैं। बनारस में भी इस तरह के मजदूर हैं। १२ वर्ष पहले श्रम विभाग ने बनारस में एक लेबर कालोनी बनाई। यह कालोनी डेढ़ दो साल तक खाली पड़ी रही क्योंकि उसका किराया इतना ज्यादा था कि साधारण जो लेबर हैं वह उसको ले नहीं सकता था। लिखा-पढ़ी चलती रही। श्रम विभाग ने किराया कम नहीं किया। अन्त में जाकर श्रम विभाग ने यह फैसला किया कि जो कोई भी इन क्वार्टरों को लेना चाहे तो ले सकता है। वहां पर बाकी लोगों ने उन क्वार्टरों को किराये पर लिया। १२ साल से वह उन क्वार्टरों में किराये पर किरायेदार के रूप में रह रहे हैं। आज श्रम विभाग उनसे कहता है कि तुम उन क्वार्टरों को खाली कर दो और अलग हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कंट्रेक्ट होता है उसमें सब बात रहती हैं। जब उनको किराये पर दिया गया तो कोई भी शर्त विभाग की ओर से नहीं रखी गई। लेकिन आज सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है। सरकार कोई भी कानून बना सकती है और किराया लेने के लिये, ज्यादा किराया लेने के लिये प्राविधान कर सकती है लेकिन सरकार का यह रवइया कि तुम खाली कर दो, बिना उनके लिये कोई आवास का प्रबन्ध किये हुये यह उचित नहीं कहा जा सकता।

कानपुर में भी मजदूरों के आवास के लिये प्रबन्ध होना चाहिये। नये क्वार्टरों का निर्माण होना चाहिये। हरएक को क्वार्टर मिलना चाहिये और नो प्रोफिट और नो लास के बेसिस पर माहवारी किराया काटकर ३० वर्ष में उनको क्वार्टर दे देना चाहिये। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें गरीबों का हित हो और जिससे गरीब और गिरे हुये मजदूर ऊपर उठ सकें। जब हम गरीबों को ऊपर उठायेंगे तभी हम समानता ला पायेंगे। यदि हम गरीबों को क्वार्टरों से निकालेंगे तो यह केवल समानता का नारा ही रह जायगा और समानता नहीं आ पायेगी। आज हम गरीबों के लिये लड़ते हैं, कामन काज के लिये लड़ते हैं। इसलिये इस नाते हम सरकार से कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। यह सरकार कामन काज को न देखकर अपना निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर अपनी विचार धारा इस प्रदेश में चलाना चाहती है। इस विचारधारा से वह परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसके कारण इस प्रकार का विधेयक लाने से गरीबों के साथ अन्याय होगा।

एक बात और अन्त में निवेदन करना चाहता हूं। इस विधेयक के बिलकुल अन्तिम पैरे में यह बात कही गई है कि "यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी ऐसे अभिदेश पर निर्णय दे दिया गया हो तो निर्णय खंड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम समझा जायगा और निर्णीत प्रश्न को, यथास्थिति समर्थ अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकारी के समक्ष पुनः नहीं उठाया जायगा।" इस दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है कि जो मूल विधेयक के ही विरुद्ध जाता है। सरकार सारे प्रदेश में एक तानाशाही से काम करना चाहती है। यह गरीबों का शोषण करने के लिये खड़ी रहना चाहती है। और इन अधिकारों को लेकर वह अपनी विरोधी भावना प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्त करके अपना लाभ उठाने को सक्षम होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करते हुये इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधान सभा का सत्र आरम्भ हुआ है, उसमें नयी सरकार का गठन हुआ है। नये नये विधेयक आने लगे हैं। जो विधेयक आ रहे हैं, उन्हीं विधेयकों के अन्दर अगर उनकी समीक्षा की जाय तो यह दिखायी पड़ता है कि वे प्रजातंत्र के स्थान पर सामन्तवाद की ओर बढ़ रहे हैं। अभी २ दिन पूर्व भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९ आया जिसमें धारा १०३ में संशोधन किया गया है। उसमें यह प्राविधान था कि हम जो चाहें वह करें या हमारे अधिकारी या पुलिस कर्मचारी जो चाहें

[श्री पारसनाथ सिंह]

करें, उसमें सरकार कोई भी रुकावट नहीं आने देगी। दूसरा विधेयक यह आया है जिससे भी समाज के गरीब लोग ही प्रभावित होते हैं। यह इस प्रकार का द्योतक है कि हमारा जो प्रजातंत्र शासन है वह अधिनायकवाद (डिक्टेटरशिप) की ओर जा रहा है। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि हमारा जो शासक वर्ग है वह दिल्ली से प्रेरणा लेता रहा है। उनका यह कार्य इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहा है। एक समय था जब देश में मुगलों की सरकार थी तो उस समय दिल्ली के निर्देश लखनऊ के नवाबों को मानने पड़ते थे। आज हमारा शासन भी उन्हीं के इशारे पर चल रहा है। वहां से अर्थात् दिल्ली से जो निर्देश मिलता है वही हमारा शासन भी करता है। आज हमारे जो गरीब लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, छोटे-छोटे दुकानदार हैं, छोटी-छोटी स्टाल वाले हैं, वे इससे प्रभावित हुए हैं। उनको सुविधा देने के बजाय इस कानून द्वारा वह सुविधा जो उनको उपलब्ध है, छीनी जा रही है। यह समर्थ अधिकारी कौन होगा? यह वह होगा जिसको सरकार नियुक्त कर देगी और जैसा वह चाहेगा, करेगा। यह अंधे के हाथ में तलवार के समान होगी कि वह चाहे सही को कत्ल करे या गलत को कत्ल करे।

आज देश को आजाद हुए २२ वर्ष हो गये हैं लेकिन मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों के लिये कोई आवास की व्यवस्था नहीं हो पायी है। अगर हायर परचेज सिस्टम पर मकान बनाकर उन्हें दे दिए जाते तो वे मकान आज उनके हो गये होते। हमारे कर्मचारियों के सामने सेवा समाप्त करने के उपरान्त आवास का प्रश्न आता है। जब वे जवान रहते हैं तो घर-गृहस्थी के चक्कर में फंसे रहते हैं और रिटायर होने के उपरान्त उनके सामने आवास का भी प्रश्न आता है। तब वह सोचता है कि मैं पेड़ के नीचे रहूंगा या झोपड़ी में रहूंगा। पहले अगर किसी को मकान से निकाला जाता था तो वह कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने का हक रखता था लेकिन आज यह कानून बनाकर यह कर दिया गया है कि जो हमारे कर्मचारी हैं हमारे मजदूर हैं उनको चाहे जब मकान से निकाल दिया जाय। ऐसा भी लगता है कि महमूद बट साहब की सुविधा के लिये ही यह कानून बना दिया गया है। जिस प्रकार से हमारे नवाबों के जमाने में दिलावर साहब ने कत्ले आम मचाया था, तलवार निकल गयी तो निकल गयी। आज लखनऊ में कोहराम मचा हुआ है।

अब तो इस कानून के बनने से हम अपील नहीं कर सकते हैं, हम आवाज नहीं उठा सकते हैं, हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। हमारा कौन रक्षक रहेगा? हम किसके सामने जाकर गिड़गिड़ायेंगे। इन सब कारणों को देखते हुए क्या हम सोच सकते हैं कि क्या हमारा प्रजातंत्र-सुरक्षित है? मान्यवर, आश्चर्य होता है इस कानून को देख कर। दुःख होता है कि हम प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। गरीब मजदूरों की भलाई करते हैं पर कानून ऐसे बनाते हैं जिससे कि वे पिसते जायं। इसमें एक भी ऐसी बात नहीं है जो सर्वसाधारण के हित में बनाई गई हो। जहां पर एक ओर जुर्माना और सजायें की गई हैं तो वहीं कहीं पर पांच सौ रुपये, कहीं एक हजार रुपये और कहीं पर एक वर्ष की सजा और कहीं जुर्माना और सजा दोनों साथ-साथ चलेंगी, यह सब किया गया है। कौन इस सजा को भोगेगा? पहले जहां एक महीने की अपील की मियाद होती थी वहीं अब १५ दिन की कर दी गई है। वह पन्द्रह दिन में इतने पैसे इकट्ठा करने में असमर्थ रहेगा। अगर वह अपील करने भी जाता है तो उसको कहा जायगा कि पहले मकान खाली कर दो, जमानत जमा कर दो। मकान खाली कर दो, फिर मकान मिले या न मिले। मैं किसी के निर्णय पर चैलेन्ज नहीं करना चाहता। अगर मकान मिलता भी है तो दिलायेगा कौन। यह कानून अक्षरशः ऐसा बना हुआ है जिसका विरोध ही करना चाहिये। यह कानून इतिहास में काला कानून ही कहा जायेगा। इसको दूसरी संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं

प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने रक्खा जाय जहां इस पर विचार किया जाय।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, किराये की वसूली और बेदखली का बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत है इसका जो मतलब और मकसद है उसको सामने रखते हुए मैं इसका स्वागत करता हूं परन्तु इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देने के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करूंगा और कर रहा हूं—खेद की बात है कि जो मुख्य कारण एम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स में इस बिल को प्रस्तुत करने में माननीय मंत्री जी ने लिखे हैं वे इस सदन के लिये, प्रजातंत्र में हम सबके लिये शर्मनाक हैं। वह यह जाहिर करता है कि हम लोगों ने जल्दी-जल्दी में कुछ ऐसे कानून बना डाले सन् १९५२ में पांच-छः दफा हाई कोर्ट ने न्यायपालिकाओं ने गलत करार दे दिया जिसके आधार पर उनको लाने की इस बिल के अमेन्डमेंन्ट के रूप में जरूरत पड़ी। श्रीमन् देश के अन्दर प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिये जब इस ढांचे को लेजिस्लेचर, जुडिशयरी और एक्जीक्यूटिव में बांटा गया तो जूडिशियरी की जिम्मेदारी यह रही कि हर कानून की वह गहराई में जाकर उसका इन्टरप्रेटेशन करे। इससे यह साबित होता है कि जो कानून सन् ५२ में बना और इसके अलावा और भी जो प्रक्रिया बन रही है उन सबके लिये अमेण्डमेंट लाने को मजबूर हैं। न्यायपालिका ने पास कर दिया, हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर कर दिया। अब इसका इलाज यही है कि संशोधन कर दो ताकि न्यायपालिका उसके मुताबिक मजबूर हो जाय कि हमें अपना कानून लागू करने में कोई दिक्कत न हो। यह इस बात का सबूत है कि जब एक तरफ अटार्नी जनरल मौजूद है और पूरा एल० आर० का डिपार्टमेन्ट मौजूद है और सरकार को पूरी सुविधा इस बात की है कि जो भी बिल यहां इस सदन के सामने पास होने के लिये रखें उसकी पूरे तरीके से छानबीन करा लें कि उसमें कानूनी तौर से कमी तो नहीं रह गई है। कोई पार्टी न्यायपालिका में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बिल के खिलाफ वर्डिक्ट ले ले और उसमें हमको नाकामयाबी हो। यह इस वजह से मुझे अफसोस है। हम यह नहीं चाहते कि बिल यहां से पास होने के बाद जब इन्टरप्रेटेशन के लिये जुडिशियरी में जाय तो हमें मुंह की खानी पड़े। इसलिये हमने यह संशोधन रखा है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि तफसील के साथ और इतमिनान के साथ उस पर बहस हो सके, उसके लीगल आस्पेक्ट्स को देखा जा सके और यदि आवश्यक हो तो एल० आर० अथवा एडवोकेट जनरल की भी राय ली जा सके। हम चाहते हैं कि जो भी बिल यहां से पास हो वह ऐसा हो कि हमें बाद को जुडिशियरी के सामने हार न खानी पड़े। मैं समझता हूं कि ओरीजनली जब वह बिल यहां लाया गया होगा तब भी प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव विरोध पक्ष से जरूर आया होगा और यहां पर हां पक्ष की संख्या अधिक होने के बल पर उसे अस्वीकार कर दिया होगा।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने ५—६— मिसालें रखीं जिनके कारण यह बिल यहां आया है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने कुछ धाराओं को संविधान के आर्टिकिल १४ के खिलाफ घोषित किया है। मान्यवर, अगर कोई बारीक बात रह गयी होती तब तो समझ में आ सकता था कि बिल बनाते वक्त एल० आर० या एडवोकेट जनरल की निगाह से वह रह गयी होगी, किन्तु जब हम देखते हैं आर्टिकिल १४ का ही उल्लंघन हो गया तो यह देख कर बड़ा अफसोस होता है। कान्सटीट्यूशन की जब कोई कमजोरी विधेयक में रह जाती है तो देख कर अफसोस होता है। यहां पर विधेयक रख दिया जाता है, २—३ घंटे में उसे पास करा लिया जाता है, फिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसकी कमियों को दूर किया जा सके? उसी को दूर करने के ख्याल से ही हम लोग यह प्रस्ताव रखते हैं कि विधेयक को पास करने से पहले प्रवर समिति को भेजा जाया करे ताकि उस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके। अब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

कल ही जल्दी जल्दी में एक विधेयक पास कराया गया। अरबन एरिया में किराया नहीं बढ़ाया गया, जबकि रूरल एरिया में किराया बढ़ा दिया गया। तो जब इस तरह की कमियां रहेंगी, डिस्क्रीमिनेशन रहेगा, तो जब जुडिशियरी में जिस की धारा को लेकर कोई जायेगा तो वह अवश्य अवैध घोषित हो जायेगी। इसलिये जल्दी जल्दी में किसी बिल को पास कराना ठीक नहीं है।

मान्यवर, इस विधेयक द्वारा न्यायपालिका में जाने का मौका कम दिया गया है। संविधान में जुडिशियरी का एक स्थान है। इसलिये उस राइट को करटेल करना कहां तक ठीक है, यह सोचना पड़ेगा। यह सही है कि दीवानी में टाइम लगता है। लेकिन इसके लिये कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। एक दिन में बिल को पास करना ठीक नहीं है। जनता के हुकूक को छीनना ठीक नहीं है। हमको लीगल राय भी प्राप्त करना चाहिये, ताकि बाद को मुंह की न खानी पड़े। ताकि ठन्डे दिल से उस पर विचार हो, लीगल ओपीनियन ली जा सके, जिससे कि फिर वह चीज हमारे सामने न आए कि यह कमी रह गई। इस आधार पर मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में हूं और इसका समर्थन करता हूं।

*श्री गनेशदत्त वाजपेई (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि कुछ मिनट का समय आपने इस विधेयक पर बोलने के लिये मुझे दिया। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर ३ हिस्सों में विचार होना चाहिए। इसके पहले मैं कुछ कहूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं इस चीज को सरकार के लिए एक अच्छा कदम समझूंगा कि जब भी वह विधेयक लाए, जो भी अमेंडिंग-ला लाएं, वह किस परिस्थिति में जरूरी है वह तफसील में मेमोरैन्डम की सूरत में लिखकर सब सदस्यों को मिल जाया करे तो उनके द्वारा अंधेरे में तलवार नहीं चलेगी। थोड़े से अल्पज्ञान को लेकर विचार करने में गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। जब सदस्यों के सामने वे परिस्थितियां खुलासा नहीं होती हैं और बाद में मंत्री महोदय अपने ज्ञान से उन्हें सब चीजें बताते हैं, तो लोगों की समझ में आता है। तो यह तो बात विधेयक में तरमीम के बारे में हुई।

अब मैं दूसरी बात मकानात की जैनरलिटी के बारे में चाहता हूं। हमारे प्रदेश में मकानों की बहुत कमी है। वह विगेस्ट इंडस्ट्री यू० पी० की होनी चाहिए, किन्तु उस पर बोलने का यह समय नहीं है। अगर हमारी सरकार हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन के रेट को डबल न करती मौजूदा रेट से, स्माल स्केल इंडस्ट्री पर ध्यान देती और हमारे मकान जिस स्पीड से बन रहे हैं, वैसा होता तो चार-पांच गुना मकान होते। यह चीज इतिहास में कुछ छोड़कर मरने वाली नहीं है। लेकिन उनका जिक्र करना यहां पर समीचीन नहीं है। लेकिन मैं दो चीजों का जिक्र यहां पर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक पूर्व वक्ता को कहते सुना और उससे ऐसा लगा कि उनकी बड़ी सहानुभूति श्रमिकों के लिये थी, इसलिए उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। किन्तु असल में ऐसी बात नहीं है। हमारे जिले कानपुर में ५,३०० मजदूरों के क्वार्टर्स ऐसे हैं, जिन पर औद्योगिक श्रमिकों, कर्मचारियों का हक होना चाहिए था, लेकिन जिन पर नान इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने कब्जा कर रखा है। हम ऐसे नान अथोराइज्ड लोगों को वर्षों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में हमारा वर्तमान कानून नाकाम साबित हुआ है। हम उन क्वार्टरों को खाली नहीं करा सके। इसका कारण यह था कि इस कानून में डिफेक्ट था, जो कि आर्टिकल १४ से सम्बन्धित था। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि हम लोग लेजिस्लेशन बहुत हरी में, बहुत जल्दी में बनाते हैं और वहीं से फिर हमको मुंह की खानी पड़ती है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी विधान सभा नहीं संसार में हो सकती है और न कयामत तक होगी जिसके बने हुए विधानों पर उच्च न्यायालय रबर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टैम्प लगा दे। जब तक मनुष्य है किसी भी समस्या पर दो रायें हो सकती हैं। इसलिए मैं इस चीज को अपनी हार नहीं मानता हूं, इस चीज को मैं सदन के लिए कोई लज्जा या शर्म की बात नहीं समझता हूं। यह हो सकता है कि यह कानून जल्दी में बन गया हो, लेकिन यदि उच्च न्यायालय हमारे किसी भी विधेयक को टर्न-डाउन करता है तो यह उनका अधिकार है, हम उसकी इज्जत में सिर झुकाते हैं, हम अपना संशोधन कर लेंगे। तो मैं कह रहा था कि श्रमिकों के सब्जीडाइज्ड क्वार्टर्स पर अधिकृत लोगों को कैसे बसावें और अनधिकृत लोगों को कैसे हटावें, ये हमारे सामने एक समस्या है। ५,३०० क्वार्टर्स केवल कानपुर में ही हैं। इस प्रदेश में जो लोकल बाडीज हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं और जो महापालिका हैं, उनके निवासों में अगर लोग गैरकानूनी ढंग से घुस गये हैं, तो क्या माननीय सदस्य नहीं चाहेंगे कि अनधिकृत लोग उनमें से हटें और कोई अधिकृत किरायेदार वहां पहुंचे? कानूनी कमजोरी से ऐसा हुआ है और होता है, इंडस्ट्रियल हाउसिंग कानून में होता है और चूंकि उच्च न्यायालय ने इसे होल्ड किया है, इसलिए यह लाजिमी है। इसमें शर्म की बात नहीं है। इसके पीछे जो मुद्दा है वह श्रमिकों को बसाने का है। १५–२० लाख रुपये जो हम किराये का नहीं वसूल कर पाये उससे दो हजार क्वार्टर बन चुके होते। इन सब बातों को इसलिये रखना चाहता हूं ताकि सही परस्पेक्टिव में इस अधिनियम को स्टडी किया जाय।

मैं यह भी जानता हूं कि इसके कुछ प्राविजन गरीब किरायेदारों के लिए बहुत हार्ड साबित होंगे ऐसे किरायेदार जो सरकारी या नीम सरकारी मकानों के किरायेदार नहीं हैं वह कहां जायेंगे? यह मैं सोच नहीं पाता क्योंकि मकान रहने को नहीं हैं। आप कहेंगे कि मकान मालिक उन मकानों की मरम्मत ही नहीं करवाता, इतना कम किराया मिलता है, या मिलता ही नहीं। वह समस्या मैं जानता हूं। लेकिन जो यह बिल पेश किया गया है यह उस समस्या का हल भी नहीं है। गरीब किरायेदारों को इसके कुछ प्राविजन्स से हार्डशिप उठानी पड़ेगी। फिर भी चूंकि मकानों को मुहइया करने की समस्या दूसरी है और जो किरायेदार होने के हकदार नहीं हैं, जबरदस्ती किरायेदार बने हुये हैं और सरकार का १५ लाख रुपये का नुकसान हो चुका है, ५३ सौ श्रमिकों की जिनकी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, जिनको हम उन क्वार्टरों में बसाना चाहते हैं, उन क्वार्टरों को खाली करवाना चाहते हैं। उसके लिये कुछ कदम उठाना आवश्यक पड़े जो लिए गए हैं। इसलिए मेरा लिमिटेड समर्थन है। केवल इतना ही मुझे कहना है।

श्री गोपालदत्त (जिला पिथौरागढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है। मैं, श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा ने जो प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजने का किया है उसका समर्थन करता हूं। वैसे कुमायूं में चार-पांच वर्षों से सरकारी जमीन खाली कराने के लिये कोई नियम नहीं था। जैसा सब को ज्ञात है पहाड़ों में जंगलों की बरबादी होती चली जा रही है और गवर्नमेन्ट की जमीन को लोग अपने कब्जे में करते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी हो गया था कि ऐसा कानून बनाया जाय जो नाजायज जमीन को खाली करवाये और जंगलों को बरबाद करने से रोका जाय। इसके लिये मैं राजस्व मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आज चार-पांच साल के बाद, जो कानून हाई कोर्ट ने अवैध कर दिया था उन्होंने उसे पुनः पेश करने का साहस किया है।

हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उससे पुराने अधिनियम में बहुत सारी कमियां समझ में आयी हैं। कुमायूं में लोग पचासों साल से जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं। उन पर काफी हद तक मेहनत की है। तो आज अगर पब्लिक अथारिटी के द्वारा वह खाली करवाएंगे, तो उनके लिए कितना अन्याय होगा। जो ट्रेस्पासर्स थे वर्ग ५ के उनका फारेस्ट ऐक्ट की दफा ३३ के अनुसार चालान किये जा रहे हैं और जुरमाना किया जा रहा है, जब कि एक तरफ हम कहते हैं कि वृक्षारोपण बढ़ाया जाय, खेत वहां बहुत कम हैं, दूसरी तरफ इतने पुराने कब्जे वाली जमीन

[श्री गोपाल दत्त]

को एक नोटिस देकर खाली करवाना उनके लिए कितना अन्याय होगा यह भी सोचने की बात है। मैंने इस विधेयक को देखने की कोशिश की है। १९६८ का जो उच्च न्यायालय का फैसला है वह भी देखने की कोशिश की है। इसके सम्बन्ध में पंजाब और बंगाल का कानून भी देखने की कोशिश की है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि किसी का पुराना कब्जा है तो आप ने इस विधेयक के अन्दर किसी लिमिटेशन का, मियाद का प्राविजन नहीं किया है। नोटिस देकर अगर आप उससे खाली करवा लेंगे तो वह खेती नहीं कर सकेगा। उसकी गुजर फिर कैसे हो सकेगी? वह बरबाद हो जायगा। ऐसे बहुत से कब्जे वाले कुमायूं में मौजूद हैं। कोई भी कानून कब्जे के मुताल्लिक होता है, कोई भी दीवानी का वाद होता है तो उसमें लिमिटेशन का प्राविजन अवश्य होता है लेकिन इस विधेयक में लिमिटेशन का प्राविजन नहीं है। राजस्व मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसे प्रवर समिति में भेजकर गहराई से वहां इस पर विचार करें ताकि इन बातों पर वहां विचार किया जा सके कि लिमिटेशन का प्राविजिन करने की आवश्यकता है या नहीं क्योंकि वहां कुमायूं में बहुत से लोगों ने जिन्होंने कब्जे में जमीन पुरानी कर रखी है उनको आप नोटिस देकर निकाल देंगे। हजारों आदमी इससे बरबाद हो जायेंगे क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं रह जायगी और उनके साथ इस प्रकार अन्याय हो जायगा।

मद्रास में एक सेल्स टैक्स ऐक्ट बनाया गया है। उसमें एक ऐसी दफा है जिसके मातहत वह किसी भी आदमी को टैक्स एसेस करने के लिये नियुक्त कर सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं अगर आप इसी तरह से पब्लिक अथारिटी को नियुक्त करते हैं तो उसकी क्या योग्यता क्या स्टेट्स है इसका कोई अगर प्राविजन नहीं होता है इसको देखना चाहिए। मिसाल के लिये एस० डी० एम० को अधिकतर पब्लिक अथारिटी नियुक्त करते हैं जो हर काम को देखने के साथ इसे भी देखेगा तो क्या आप निरंकुश अधिकार उसके साथ में दे देना चाहते हैं? इस तरह से सरकार निरंकुश रूप से किसी को भी पब्लिक अथारिटी नियुक्त कर सकती है या नहीं, इसे भी सरकार को देखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी देखा जा रहा है कि जो कानून को तोड़ते हैं उनके साथ बहुत लिबरल रूप से व्यवहार किया जाता है। विधेयक में संशोधन करके जो जुर्माना रखा है वह केवल १००० रुपये रखा है। जो आदमी १० एकड़ जमीन पर बहुत अर्से से नाजायज कब्जा किये हुए हैं, उस पर आप केवल १ हजार रुपया जुर्माना करते हैं तो उसको तो वह दो फसलों की पैदावार से ही अदा कर देगा। जो कानून को तोड़ कर जमीन को नाजायज आबाद करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते उनको मैं समझता हूं कि १ हजार रुपया जुर्माना करना बहुत कम है और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है कि जो कानून को अपने हाथ में ले कर उसे तोड़ते हैं उनके साथ सरकार को सख्ती के साथ पेश आना चाहिये और उनको सख्त सजा देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में १३–ख (१) में यह प्राविधान किया गया है "यदि सार्वजनिक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किसी सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अध्यासन है तो वह उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के, जिनका सार्वजनिक भूमि पर अध्यासन हो, नाम तथा अन्य और ब्योरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें और प्रत्येक व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा।" अब मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति गांव में रहता है, पब्लिक अथारिटी से उसकी रंजिश है तो उसे वह बाध्य करेगा कि रिपोर्ट देने के लिये कि कितना कब्जा उसके पास है। मैं समझता हूं कि आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। आज किसी आदमी को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह ब्रिटिश काल की तरह हुकूमत करने का विधेयक है। मान्यवर, इसका तरीका यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से या पटवारी, लेखपाल, कानूनगो या नायब

तहसीलदार से आप रिपोर्ट मंगवा सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कहीं कोई और व्यक्ति परेशान तो नहीं है। श्रीमन्, यह देखने की बात है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जैसा कि हाई कोर्ट की २४-५-१९६८ की रूलिंग से स्पष्ट है—

"Thus the proceedings under the Act are of a more drastic nature and are more prejudicial to the person against whom they may be employed. Then the ordinary legal proceedings in courts which is not barred by the act".

तो श्रीमन्, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो जमीन खाली किसानों को पड़ी है उसे आप नोटिस देकर के नाजायज तरीके से लेना चाहते हैं। पुराना जो अधिनियम था उसमें भी अभी तक संशोधन ठीक तौर पर नहीं हुआ है। वही पुराना ड्रास्टिक कानून वैसे का वैसा आप यहां पर लाये हैं। बहुमत आपका है, आप इसे पास करवा सकते हैं। असंतुष्ट पार्टी हाई कोर्ट में जा सकती है। अतः मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ताकि इस पर गम्भीरता से बहस हो सके। जो अधिनियम बनने जा रहा है वह भी अभी हाई कोर्ट में जा सकता है। इससे गरीब किसानों को काफी खर्च उठाना पड़ेगा। मैं राजस्व मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम इस सदन में कई वर्ष से बैठ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाय। हमारे जो अधिकार हैं वे भी इस विधेयक के द्वारा खत्म हो जाते हैं। सेपरेशन आफ जुडीशियरी तो होनी ही चाहिए। आपको इस पर स्वयं फैसला करना चाहिए। यह एक प्रगतिशील कदम है। इस पर अमल करना चाहिए। हो सकता है कभी किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर किसी के सिखाने या उकसाने से काश्तकार की जमीन ली जावे। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें इस विधेयक में कही गई हैं। अतः मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने २४-५-६८ को राजाराम वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार आदि केस में दिया जिसमें बहुत सी बातें कही गईं उस निर्णय को पैरावाइज देखकर किसान के हित में संशोधन करना चाहिये। अतः इस विधेयक को गहराई से देखकर इसमें संशोधन करके इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये। ताकि जो गरीब किसान हैं, खासतौर से पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं उनको मदद मिलेगी इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को इससे राहत मिलेगी। आपने जो मुझे इस कठिन विषय पर बोलने का मौका दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस संशोधन के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से सबसे पहले तो यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने से पूर्व उन गरीबों और मजदूरों के ऊपर ध्यान देते जिनसे कि आप उनका मकान छीनने जा रहे हैं। इस विधेयक को लाने के पहले आपको यह सोचना चाहिये था कि जिन मजदूरों को उन मकानों और उन इमारतों से निकाला जायगा वे अपने बच्चों, स्त्री, परिवार को लेकर कहां बसायेंगे। आपने उनके बसाने की कोई बात नहीं सोची केवल उजाड़ने की सोची। यही नहीं, इस सरकार द्वारा जो भी अधिनियम यहां लाये जा रहे हैं, इसी प्रकार के हैं। जो बुनियादी बातें हैं, सरकार अपने को उनकी तरफ से उदासीन किये हुए है, अपनी आंखों को बन्द किये हुए है। ऐसा हर एक विधेयक में है। विशेष रूप से जिन मजदूरों को उनके मकानों से आप निकाल देंगे उनका भविष्य क्या होगा? राजस्व मंत्री जी को यह मालूम होगा कि उच्च न्यायालय ने ऐसे बहुत से स्टे दिये हैं, उनको रोक रखा है।

(इस समय ३ बजकर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नित्यानन्द स्वामी पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चरण]

यह उनका संवैधानिक अधिकार है कि वह जिस मकान में रह रहे हैं, उसमें से उनको न निकाला जाय। यदि किसी आदमी ने किसी मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उस मकान से उसको चला जाना चाहिये, लेकिन उसको निकालने के पूर्व क्या आपने यह भी सोचा है कि वह जायगा कहां? दूसरे स्थान पर वह जाकर बसेगा? अगर उसने किराया नहीं दिया तो आपको बुनियादी बात यह सोचनी है कि वह किराया लायेगा कहां से। वह किराया क्यों नहीं दे पा रहा है? अगर आप किराया न देने वाले आदमी को निकालना शुरू करेंगे तो हिन्दोस्तान में और इस प्रदेश में न मालूम कितने ऐसे आदमी निकल जायेंगे जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। जब उसको खाने को रोटी नहीं है तो वह किराया देने के लिये पैसा कहां से लायेगा? आपको यह सोचना चाहिये कि कोई आदमी किसी के मकान में रह रहा है और वह उसका १०–२०–५० रुपया माहवार किराया नहीं दे पा रहा है तो वह इस बात पर तैयार हो रहा है २–४–१० दिन के बाद उसको नोटिस मिलेगा और वह मकान से निकाल दिया जायगा। इससे पहले राजस्व मंत्री जी को यह सोचना चाहिये कि इस विधेयक के द्वारा कितने गरीब और मजदूर निकाल दिये जायेंगे, क्या उन मजदूरों के रहने का ठिकाना है। इलाहाबाद में इसी तरह से महमूद बट ने लोगों को निकाला और जब हमने प्रश्न उठाया तो कह दिया गया कि इलाहाबाद को सजाने के लिये ऐसा किया जा रहा है। सजाने का मतलब है कि वे गरीब जो अपने ठेले पर पान बेचा करते थे या कोई खोमचा रखे हुए थे, उनको लुटवा दिया गया। जवाब यह दिया गया कि उन लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ था, इसलिये उसको हटा दिया गया। मान लीजिये आज किसी जमीन पर किसी किसान या मजदूर ने कब्जा किया और आज आपने उससे कुछ नहीं कहा। २–४–६ महीने के बाद या एक साल के बाद वह यह समझ कर कि यह मेरी जमीन हो गयी, कोई मकान या गुमटी उस पर बना लेता है, लेकिन अब आपके कर्मचारी जाते हैं और उसको हटा देते हैं तो बताइये उस गरीब के दिल पर, उसके स्त्री-बच्चों के दिल पर और उसके परिवार वालों के दिलों पर भला क्या असर होगा। बताइये वह अपने बाल-बच्चों को आवारा की भांति कहां घुमाये?

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि वे जिनको बेदखल करने जा रहे हैं या जिनको किराया न देने के कारण निकालने जा रहे हैं, उनके बारे में जरा यह भी सोच लें कि उनका भविष्य क्या होगा। इस बुनियादी बात पर विचार करने के बाद ही उनको यह विधेयक लाना चाहिये था। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाय, जो विचार करके उस पर अपनी रिपोर्ट दे, उसको स्वीकार कर लिया जाय और माननीय राजस्व मंत्री जी उस पर निर्णय तब करें जब प्रवर समिति की पूरी रिपोर्ट उनके सामने आ जाय।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, इस सदन में अभी तक जितने विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं, सभी के बारे में साधारणतया एक ही बात कही है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिये जायं और वहां अच्छी तरह से विचार हो कर फिर यहां प्रस्तुत किये जायं। अभी तक सभी विधेयक इस मांग के बाद ही पास होते गये। आज जब यह विधेयक सामने आया तो इतना मोटा था और इतनी बारीकियों से भरा हुआ था कि मैं एक वकील होने के बाद भी यह नहीं समझ पाया कि आखिर इस विधेयक के अन्तर्गत है क्या। इसमें जो उद्देश्य और कारण लिखे हुये हैं माननीय माल मंत्री जी ने मोटी–मोटी बातें कह दीं कि एक बार ऐसा मुकदमा चला था उसमें यह फैसला हो गया था और उस फैसले के कारण ऐसी वैधानिक कठिनाइयां आयीं जिसके कारण संशोधन करना बड़ा आवश्यक हो गया। मैं चाहता था कि वह मुकदमे मुझे पढ़ने को मिलें। पूरी लायब्रेरी खोज डाली। वहां के एक ऐडवाइजर बैठे हुये हैं, उनसे मैंने कोशिश की कि वह मुझे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल जायं लेकिन मुझे दुःख है कि इसमें उद्देश्य और कारण के नाम पर जिसका हवाला दिया गया है उसका कारण क्या है, किस कारण से कोर्ट ने ऐसा किया यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। इसलिये मैं यह बात जोर से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जरूर भेजा जाय। कारण यह है कि यह विधेयक आगे दिनों में आया था। विधेयक आने से पहले मेमोरेंडम देना चाहिये ताकि जो सदस्य वकील नहीं हैं वे अच्छी तरह से जान सकें कि इस विधेयक में क्या है। मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले २०–२२ सालों के अन्दर कुछ कठिनाई का सामना हमको जरूर करना पड़ा है। आज एनक्रोचमेंट करने की प्रवृत्ति, सरकारी किराये को न देने की प्रवृत्ति, सरकारी भूमि पर कब्जा करने उसका नुकसान करते हैं और फिर उसकी क्षतिपूर्ति न करने की प्रवृत्ति समाज में बहुत बढ़ी हुई है। आप पूरे प्रदेश में देखें, लेबर कालोनीज में देखें और जगहों पर देखें, कानून है, बन्द करने की व्यवस्था है लेकिन फिर भी एनक्रोचमेंट करने की प्रवृत्ति आये दिन बढ़ती जा रही है।

आज आप लखनऊ, कानपुर और दूसरे शहरों में देखिये, लोगों ने सड़कों पर कब्जा कर रखा है। उन कब्जों को हटाने के लिये सिविल कोर्ट में रेमेडी प्रोवाइडेड है और दूसरे समरी ट्रायल करके कब्जा खाली कराने की व्यवस्था है, लेकिन मैं वकील हूं, मैं जानता हूं कि सिविल कोर्ट में मामला जाने के बाद छोटे-छोटे केसेज में वहां तीन-तीन साल तक मुकदमा चलता है और तब एक छोटा सा केस डिसाइड होता है। रोड आज ब्लाक हुई है, एनक्रोचमेंट कर लिया है, ट्रैफिक जाम हो गया है, निकलने का रास्ता नहीं है। क्या हम इस बात की छूट देंगे कि

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सिविल कोर्ट में मामला जाय और तब कई साल बाद एनक्रोचमेंट हटे। हमने लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद वगैरह में देखा है कि जिन दुकानदारों ने दुकानें लगा ली हैं उनको हटाने के लिये सरकार ने बहुत कोशिश की लेकिन वह हटाये नहीं जा सके। लखनऊ में अमीनाबाद में अमीनुद्दौला पार्क में, हनुमान जी के मंदिर के सामने लगी हुई दुकानों को २० साल से हटाने का प्रयत्न हो रहा है लेकिन नहीं हटा पाये हैं। अब जो कानून बन रहा है, इसमें जितने संशोधन हुये है उनको देखने के बाद हम तो इस बात का पूरा समर्थन दे रहे हैं क्योंकि यह संशोधन आज ऐसी प्रवृत्ति पर ठेस लगाता है। बंगाल में नक्सलपंथियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। बिहार में भी वे काफी सक्रिय हैं। अभी तो खेतों पर कब्जा किया जा रहा है। अभी तो गांव के गांव लूट रहे हैं। कल यह प्रवृत्ति समाज के अन्दर बढ़ेगी और फिर लोग यह समझेंगे कि यह सरकार की चीज है इसके माने हैं कि यह किसी की नहीं है। सरकार की माने सबकी चीज है इस प्रवृत्ति के कारण सरकारी चीज पर कब्जा करेंगे? उनको हटाने का कौन रास्ता होगा? कल को नक्सलवादी अमीनुद्दौला पार्क में, सारी भूमि में लोगों को बसाने की कोशिश करेंगे तो उनको हटाने का क्या प्राविधान होगा। तो जो लोग यह कहते हैं कि नक्सलपंथियों पर रोक लगाना है, तो उनको इस बिल की आवश्यकता होगी। आई० पी० सी० की धारा १०३ को जब संशोधन करने की बात आयी थी उस वक्त कहा गया कि जनतंत्र के अन्दर तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और सार्वजनिक प्रापर्टी नष्ट करने की क्षमता बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिये क्या तरीका होगा? इसलिये राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने के लिये हमें पूरा अधिकार है कि हमारे घर में आग लगाने वालों को आप गोली मार सकते हैं। गोली मारने का अधिकार किसको होगा? पुलिस को होगा, उसको भी अधिकार देना पड़ेगा, हमें ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसके अन्तर्गत ऐसे एन्क्रोचमेंट्स करने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंच सके। तो जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं।

इसमें कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं, जैसे कि सबसे पहले समर्थ प्राधिकारी हैं। लोगों ने मांग की है और मैं भी वकील होने के नाते कहता हूं कि समर्थ प्राधिकारी का मतलब होता है "मैजिस्ट्रेट"। उससे कम की हैसियत वाला अधिकारी नहीं। वह चाहे फस्टं क्लास हो, सेकेण्ड क्लास हो या थर्ड क्लास का हो। वैसे तहसीलदार तक ही सीमित होता है।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

इसलिये कौन होगा ? मैं साफ़-साफ कहना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट से कम पावर रखने वाला सरकार को नहीं बनाना चाहिये । अगर यह कार्य मुंसिफ के हाथ में, मैजिस्ट्रेट के हाथ में जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है । अगर मैजिस्ट्रेट की नीयत पर हमें शक हो जायगा तो पूरी जो न्यायपालिका है उस पर शक हो जायगा ।

एक चीज और कहना चाहूंगा माल मंत्री जी से कि अगर इस ऐक्ट के अन्दर इस बात का प्राविधान किया गया होता कि आई० पी० सी० के मुकदमे सुनने के लिये एस० डी० ओ० रखे गये हैं, माल के मुकदमे के लिये माल के अधिकारी रखे गये हैं और मुंसिफ रखे गये हैं, वैसे ही इन मामलात को तय करने के लिये किसी नये मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करनी चाहिये जो मौके पर जाकर देखे और सही और गलत का निर्णय दे, इससे इसका मतलब पूरा होगा ।

लोग कहते हैं समरी ट्रायल का मतलब न्याय की हत्या, लेकिन रेलवे के अन्दर मैजिस्ट्रेट जाता है और जो लोग बिना टिकट पकड़े जाते हैं उनके समरी ट्रायल होते हैं और हजारों की संख्या में लोग जेल जाते हैं । क्या जो बगैर टिकट चलता है उसको मौका दिया जाय कि वह विदहेल्ड न करके छोड़ दिया जाय । समरी ट्रायल की वहीं आवश्यकता होती है जहां शार्ट-पीरियड में अभियुक्त हो हटाने की बात होती है । अब उसकी कठिनाइयां हैं । यह जरूर है कि उसमें नोटिस वाली बात आती है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो नोटिस जारी किया जाय वह व्यक्तिगत सर्व किया जाय । सिविल कोर्ट के अन्दर पूरा प्राविधान है कि जितने भी नोटिसेज हैं वह व्यक्तिगत रूप से सर्व किये जायं । मैं वकील होने के नाते जानता हूं कि इस तरह १-१ मुकदमे में ६-६ महीने खाली पेशियां की गयी हैं और जो मकान तत्काल इंजंक्शन होकर रोके जा सकते थे वह बनकर खड़े हो गये और बाद में उन पर नोटिस सर्व हुए । तो अगर इसके लिए १५ दिन की अवधि ली है तो वह अच्छा काम किया है और इस बात की छूट भी है कि व्यक्तिगत समन न किये जायं । बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया है जो लेबर क्वार्टर्स हैं । उनको निकालने के लिये अगर नोटिस सर्व किया जायगा तो क्या वह नोटिस पायेंगे ? महीनों कोशिश की जायगी और वह नोटिस नहीं लेगा इसलिये कि मामला चलता रहे और छः महीने नोटिस लेने में बीत जायं । फिर साल भर बाद जब नोटिस आये तो वह हाई कोर्ट में चला जाय और फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाय । इस तरह से चार साल तक मकान खाली नहीं होगा । फिर एलाटमेन्ट की यह हालत है कि एलाटमेन्ट हुआ त्रिवेणी सहाय को और वहां बैठे हैं रमाशंकर जी और उनके निकालने का कोई तरीका नहीं है । समरी ट्रायल का मैं स्वागत करता हूं । हम जानते हैं कि आज इनक्रोचमेन्ट हो रहे हैं और पी० डब्लू० डी० के इनक्रोचमेन्ट हो रहे हैं । बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बन गई हैं, वह कैसे बन गई ? उनके बनने के कुछ कारण होंगे । वह सोचते हैं कि अगर हम कब्जा कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि नोटिस दी जायगी वह भी छः महीने तक नहीं लेंगे उसके बाद देखा जायगा । पुलिस को मिला लेंगे, दारोगा को मिला लेंगे और दूसरे अधिकारियों को मिला लेंगे ।

इसकी वजह से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की यह बहुत बड़ी समस्या है और उसको ध्यान में रखकर अभी जैसा कहा गया है कि श्रमिक बस्तियों में श्रमिकों के अतिरिक्त जो लोग रह रहे हैं उनको निकाला जायगा तो एक बड़ी समस्या पैदा हो जायगी । माननीय मालमंत्री जी ने इसे सदन के समक्ष रखा । हम यह आशा करते थे कि सरकारी पक्ष की ओर से उसका समर्थन किया जायगा परन्तु मुझे दुःख होता है कि सरकारी पक्ष की ओर से माल मंत्री को छोड़कर कोई बोला नहीं है । मैं समझता हूं कि हर सदस्य को चाहिये था कि इसका स्वागत करता । जिस रिट का हवाला दिया गया है अगर उसको पढ़ दिया होता और उसके बाद हम भाषण करते तो मैं इस बात का इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता लेकिन मुझे दुःख है कि जिस बात का जिक्र किया गया वह पूरे रूप में हमारे सामने नहीं आई । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से माल मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं

कि आवश्यकता इस बात की है कि पहले सरकारी पक्ष को पूर्ण रूपेण उसका समर्थन करने के लिये तैयार होना चाहिये, उसके एक एक अंग में अपनी भावनाओं को रखने की तैयारी होनी चाहिये। मैं मालमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी तैयारी नहीं है तो क्या प्रवर समिति में नहीं जाना चाहिये ? राजेन्द्र कुमार जी ने जो प्रवर समिति को इस बिल को भेजने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसको जरूर प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये क्योंकि इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा। प्रदेश में इतनी नगरपालिकायें हैं, नोटीफाईड एरिया हैं, टाउन एरिया कमेटी हैं और पी० डब्लू० डी० के क्वार्टर्स हैं जिनके किराये जो बकाया पड़े है उनकी वसूली पर इसका बहुत असर पड़ेगा। इसलिये, मान्यवर बिल पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं राजेन्द्र कुमार जी के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर,.....

श्री अध्यक्ष—

आप अभी दो-चार मिनट बोल लें फिर कल बोलिएगा।

श्री महीलाल—

जी हां, उधर से माननीय वक्ता ने यह शिकायत की कि श्री गोपी नाथ जी दीक्षित को छोड़कर सरकार की तरफ से कोई माननीय सदस्य नहीं बोले। मान्यवर, उनका भाषण इस आधार पर था कि इस संशोधित अधिनियम की बड़ी आवश्यकता है। नक्सलबाड़ी आज बढ़ते जा रहे हैं, अराजकता बढ़ती जा रही हैं, सार्वजनिक भूमि पर आज कब्जा होता जा रहा है, मजदूरों के क्वार्टर्स पर अवैधानिक कब्जे होते जा रहे हैं। प्रत्येक शब्द उनके इस आशय के थे कि जितनी जल्दी हो सके अविलम्ब इसको पास किया जाना चाहिये। अब इसकी महत्ता और आवश्यकता को देखकर अगर शासकीय पक्ष के कुछ माननीय सदस्य न बोले तो फिर उसकी शिकायत करना यह कहां तक ठीक है इसको देखने के लिये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं। मान्यवर, महोदय, जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है उसकी आवश्यकता और महत्ता को विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है। मान्यवर, उधर से माननीय शास्त्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है तो मैं उनको छोड़ देता हूं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से आज समाज में सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, विधान और कानून की जो सत्ता है उसके प्रति जो अश्रद्धा लोगों में पैदा होती जा रही है, कानूनों को लोग तोड़ते जा रहे हैं तो क्या माननीय सदस्य इस बात की आवश्यकता नहीं समझते हैं कि इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका जाय और इस बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्ति को रोका जाय जिसका असर कमजोर लोगों पर ज्यादा पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

समय समाप्त हो गया। अब कल बोलियेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्तकार के पास काफी गन्ना पड़ा हुआ है। किसान परेशान है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि गन्ने की पिराई का पूरा इन्तजाम कर। आप सरकार से यह कह दें कि कल प्रश्नोत्तर के पश्चात् इसकी ले लिया जाय। यह एक गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष—

यह हमारे सामने आया नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसको कल ही भेज दिया गया था । आप इसके लिये समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत.....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया है । काश्तकारों का १३ लाख रुपया बकाया पड़ा है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त कर दिये हैं । रामकोला शुगर मिल में ७ लाख रु० बकाया पड़ा है । आज कल किसानों के यहां शादी विवाह के दिन है और उनको रुपयों की बहुत अधिक आवश्यकता है । उनको गन्ने की कीमत दिलवाई जाय इसकी व्यवस्था शीघ्र हो जानी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस रुपये को शीघ्र दिलवाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

आज जो हमारे पास प्रस्ताव है उसमें एक है जो श्री नित्यानन्द स्वामी ने दिया है कि हरिद्वार में हैवी एलेक्ट्रिक्स में वहां के श्रमिकों द्वारा ६, ७ मई से हड़ताल करने की धमकी दी गई है । मैंने प्रशासन से कह दिया है और वह इसको देख कर कि अगर वहां पर हड़ताल होने की सम्भावना है तो सरकार की तरफ से उस पर वक्तव्य हो जायगा ।

दूसरा प्रस्ताव है जिसमें शम्भूनाथ चौधरी, अनन्तराम जायसवाल हैं, उसमें कहा गया है कि शक्कर मिलों में रिसीवर नियुक्त किये जाने के बावजूद सरकार किसानों को गन्ने का मूल्य दिलवाने में कहां तक समर्थ रही है । इस विषय में बहुत से प्रश्न यहां पर हो भी चुके हैं । इस लिये मैंने इसको स्वीकार नहीं किया ।

एक प्रस्ताव में श्री परिहार ने यह कहा है कि मेरठ में हजारों मकान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जरिये से खाली करवाये जा रहे हैं । इस कामरोको प्रस्ताव को कामरोको प्रस्ताव की शकल में स्वीकार नहीं किया है ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी का जो प्रस्ताव है जिसमें उन्होंने ५०० एकड़ भूमि को अजन्ता स्टूडियो को लीज पर देने के बारे में दिया है । उसको मैंने नियम ५१ में मंजूर किया ।

श्री बोरा का एक प्रस्ताव है कि आग लगने से ४ व्यक्ति मर गये । उसके बारे में मैंने सरकार से वक्तव्य देने के लिये कहा है और उसको मैंने नियम ५१ में स्वीकार नहीं किया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जिन प्रस्तावों को स्वीकार किया है वक्तव्य देने के लिये, उसके लिये धन्यवाद है परन्तु ऐसा न हो कि कृषि सूख जाय तब वर्षा हो । कल वक्तव्य करा दें । एच० ई० एल० के १० हजार मजदूरों ने ७ तारीख की रात के बाद हड़ताल की नोटिस दी है । लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी है । कल वक्तव्य करा दें तो हो सकता है कि हड़ताल रुक जाय ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, गन्ने की फसल के बारे में मैंने एक दिया था ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने गल्ले के बारे में स्वीकार तो किया था एक।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, बिजली के तारों में आग लगी, सरकार की गलती के कारण, पूरा गांव जल गया, इस पर विचार होना चाहिए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

तारीख मुकर्रर होने के लिए मैंने भेज दिया है। आप कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

ग्राम परसरामपुर, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली की श्रीमती मुन्नी-देवी के अपहरण के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह वक्तव्य पढ़ रहे हैं, पहले आप उसे सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मेरी बात आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्री उल्फत निवासी ग्राम परसरामपुर, थाना हाफिजगंज जिला बरेली से लिखित सूचना प्राप्त होने पर कि दिनांक १०/११ फरवरी, १९७० की रात्रि में उनके ग्राम के अदालती सरपंच अपने नौ साथियों के साथ शस्त्रों से लैस होकर उनके घर गए और उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी को जबरन उठा ले गए, थाने पर धारा १४७,१४८,४५२,३६६,३६५ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी जांच हो रही है। तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, ६ ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है और एक अभियुक्त एक अन्य मुकदमें के सम्बन्ध में जेल में है।

(व्यवधान)

श्रीमती मुन्नी देवी अभी तक नहीं मिली हैं। उनकी खोज के लिए २५० रु० का पुरस्कार घोषित किया गया है। यह अफवाह कि श्रीमती मुन्नी देवी का कत्ल कर दिया गया है सही नहीं प्रतीत होती क्योंकि मुन्नी देवी नामक स्त्री ने २० अप्रैल, ७० को जे० ओ० बरेली के न्यायालय में एक इस्तगासा दायर किया है। श्रीमती मुन्नी देवी के मिलने के बाद उनका बयान लेकर उपरोक्त मुकदमें की जांच पूरी की जायेगी।

(व्यवधान)

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

जिला मजिस्ट्रेट से इस घटना के सम्बन्ध में जो लोग मिले उन्हें उन्होंने यह बताया कि इस सम्बन्ध में हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

यह सही है कि श्री राम आसरे जो घटना के गवाह हैं के खलिहान में कुछ दिन पूर्व किसी ने आग लगा दी किन्तु इस सम्बन्ध में थाने पर कोई सूचना नहीं की गयी। अभी तक यह नहीं पता चला है कि आग किसने लगाई।

(व्यवधान)

अल्प संख्यक और पिछड़ी हुई जातियों में इस घटना के कारण असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की बात सही नहीं है। यह भी सही नहीं है कि साक्षीगण के लिए कोई बाधा उत्पन्न हुई जिससे उनके कामकाज में रुकावट पड़ रही है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, सुनाई नहीं दिया, फिर से पढ़वा दीजिए, प्रश्न कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

लोग बीच में बोलते हैं, मैं क्या करूं।

श्री अमन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जिस विषय को लेकर यह कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था उससे ज्यादा अविलम्बनीय लोकमहत्व का दूसरा प्रश्न हो नहीं सकता। इसी प्रकार आपने यह भी देखा होगा कि वह इन-आर्डर भी है क्योंकि किसानों का इन मिलों पर एक करोड़ रुपया बाकी है और परचेज टैक्स का भी करीब ४ करोड़ रुपये के बाकी है....

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, वह अविलम्बनीय नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह इसलिये अविलम्बनीय है कि आज किसान २ रुपया बिबटल गन्ना बेंचने के लिये मजबूर हो रहा है और मेरठ...।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान कृपया ग्रहण करें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप आज चाहें जो कुछ सजा हमें दे दें लेकिन आज मैं यह बात अपनी कहूंगा जरूर...।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें वर्ना मैं अभी से हाउस को एडजर्न किये देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं बैठ नहीं सकता, मेरी बात आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं एडजर्न किये देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस लोक महत्व के प्रश्न को दबाया जाना हमें स्वीकार न होगा, मैं अपनी बात कहूंगा...

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरे दिन के लिये स्वीकार किया है, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप कोई विवेक भी लगायेंगे या बैसे ही कह दिया...

श्री अध्यक्ष—

तो आप बैठना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर ७ तारीख को लेने की स्वीकृति दे दी है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है इसलिये माननीय जायसवाल जी उसी दिन २ घंटे के समय में इस पर बहस कर लें।

(व्यवधान)

एक आवाज—

वह विषय दूसरा है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें, मैं श्री अनन्तराम जायसवाल जी को नामजद करता हूं, इंगित करता हूं कि वह सदन छोड़ें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप जो चाहें करें लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा क्योंकि वह अविलम्बनीय है।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अनन्तराम जायसवाल साहब को आज के लिये हाउस की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जायसवाल जी कृपा करके अब सदन छोड़ दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप मेरी बात सुन लें, जो आज्ञा होगी वह आपकी शिरोधार्य होगी।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई बात नहीं सुनी जायगी, आप सदन छोड़ें।

श्री बांके लाल—

क्यों नहीं सुनेंगे?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री अनन्तराम जायसवाल को आज के लिये सदन से निलम्बित किया जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

(व्यवधान)

कई सदस्य—

दरवाजे बन्द कराइये।

श्री अध्यक्ष—

विभाजन की घंटी ३ मिनट बजेगी और दरवाजे उस वक्त तक खुले रहेंगे और घंटी बन्द होते ही दरवाजे बन्द हो जायेंगे, यही नियम है और उसके अनुसार ही होगा।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आप बहुत ज्यादा समय घंटी के नाम पर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

३ मिनट का जो समय है उतना ही दिया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है, कई बार यह चीज हो चुकी है कि आप माननीय सदस्यों को इंगित कर देते हैं और तुरन्त माननीय मुख्य मंत्री निकाल देते हैं और आप तब तक वोटिंग के लिये इन्तजार करते हैं जब तक उधर बहुमत न हो जाय।

(व्यवधान)

यदि आप इस तरह से सदन को चलायेंगे तो यह चलने वाला नहीं है। आपके कहने पर मुख्य मंत्री जी हम लोगों को आतंकित करना चाहते हैं।

(शोर)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें कि गैलरी के लोग और प्रेस गैलरी के लोग इस बात को देख रहे हैं कि यह सदन कैसे चल रहा है। आपने अनन्तराम जी जायसवाल को इंगित किया और मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर इकदम प्रस्ताव कर दिया कि उनको हाउस से निकाल दिया जाय। उस समय आपको यह देखना चाहिये था कि 'हां' की तरफ अधिक संख्या है या 'नहीं' की तरफ अधिक संख्या है। आप उस वक्त तक इन्तजार करते रहे जब तक कि पुलिस और आपके लोग मेम्बरों को यहां पर बुला कर नहीं लाये। (शोर)

(व्यवधान)

आप इंगित करते हैं और यहां पर यह इतना क्रूर आदमी बैठा हुआ है कि वह तुरन्त यहां से हमको निकाल देगा।

(व्यवधान)

(शोर करते हुये विरोधी दल के कई सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये।)

(घंटी बन्द होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह नियम है कि जब कोई माननीय सदस्य डिवीजन मांगता है तो ३ मिनट तक घंटी बजती है और ३ मिनट तक लोग आते रहते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री अनन्तराम जायसवाल को आज के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

चूंकि यह प्रस्ताव आपके संकेत पर मुख्य मंत्री ने रखा है कि जायसवाल जी को निकाल दिया जाय...

श्री चरण सिंह—

इसमें संकेत का क्या सवाल है ? यह तो रूल में दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि ३ मिनट तक घंटी बजेगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप कृपया लिखित वोटिंग कराइये।

श्री अध्यक्ष—

"हां" वाले माननीय सदस्य इधर जायंगे और "नहीं" वाले उधर जायंगे।

(विभाजन की प्रक्रिया के चलते रहने पर)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, चौधरी चरण सिंह की इस तानाशाही से यह सदन नहीं चल सकेगा।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, सदन में बहुत सी दुर्घटनायें हो चुकी हैं ।

श्री रामविलास पांडेय—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी गुस्से में आंखें निकालते हैं और उनके डिसीजन के खिलाफ करने से आपको भी धमकाते हैं।

श्री बांकेलाल—

डिवीजन में जितना समय लगा है उतने समय में तो आप माननीय जायसवाल जी को बोलने का ही मौका दे देते अपनी बात कहने का।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आप जो ३ मिनट के समय की बात करते हैं, उस विषय में लोगों में काफी मतभेद है। इससे उस ओर के लोगों को आने का अवसर मिल जाता है। आप, श्रीमन्, इस बात पर एक निश्चय ले लें और लोगों को बुला कर तय कर लें कि किस तरह से मतदान होगा। अगर यह तय हो जायगा तो जो गलतफहमी है, वह दूर हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

जब डिवीजन मांगा जाता है तो ३ मिनट तक घंटी जरूर बजायी जाती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह घंटी तो उन लोगों के लिए बजायी जाती है जो लौबी में होते हैं। श्रीमन्, यह घंटी भी ४–४ और ५–५ मिनट तक बजती है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषय में सभी नेताओं को बुला लें और उनसे बातचीत कर लें ताकि उनका भ्रम दूर हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

घंटी के ३ मिनट बजने के बाद ही मैंने वोटिंग के लिए कहा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरी यह प्रार्थना तो आप मान लें। मैं यह नहीं कहता कि आपके निर्णय गलत होते हैं। आप एक बार तो नेताओं को बुला कर इस बात को तय कर लें कि डिवीजन की प्रक्रिया क्या हो क्योंकि यहां पर पिछले दिनों में यह प्रश्न ४–५ बार आ चुका है।

श्री अध्यक्ष—

असल बात यह है कि माननीय कृष्णानन्द राय जी उधर बैठ गये हैं। सरकार की ओर बैठ कर वे हमेशा घंटी के पक्ष में बोला करते थे।

श्री जगदीश गांधी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने श्री रियासत हुसैन द्वारा किसानों की गिरती हुई आर्थिक दशा के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ७ मई, १९७० को सायंकाल अन्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त २ घंटे का विवाद स्वीकार किया है। अतः मैं भाई जायसवाल जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी बात उस समय में कह लें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं पहले ही कह रहा था कि प्रस्तावों पर बहस हो जाया करे।

श्री अध्यक्ष—

८ तारीख को उस पर बहस हो जायगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

८ तारीख को उस पर बहस नहीं है जिस पर अनन्तराम जायसवाल जी कह रहे थे या जिसको मैंने दिया था। आप इन सवालों को स्वीकार नहीं करेंगे और मुख्य मंत्री जी अपनी तानाशाही चलायेंगे तो इस तरह आखिर काम कैसे चलेगा और फिर इसका रास्ता क्या होगा? आप कोई न कोई रास्ता निकालिये क्योंकि सदन के आप ही कस्टोडियन हैं।

श्री बांकेलाल—

मेरा निवेदन है कि आप सदन चलाना ही नहीं चाहते। न आप सदन को चलने देना चाहते हैं। सारी गड़बड़ी आप करते हैं ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, विभाजन की जब प्रक्रिया चल रही हो तो भाषण का अधिकार आप कैसे दे रहे हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह—

सारे मिनिस्टर आफिसर्स गलरी, गवर्नर गैलरी में मौजूद हैं । ये वहां कैसे पहुंच गये?

श्री अध्यक्ष—

बाहर रह गये तो क्या किया जाय। आ नहीं पाये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर किसी जुर्म में बन्द करवा दिये गये हैं तो बात दूसरी है।

यहां दीर्घा में यह सारे मंत्री कैसे बैठे हैं, वह तो सारे प्रदेश को नचाते हैं, सब जगह उनकी हुकूमत चलती है, उनको इस तरह से वहां क्यों बन्दी किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

देरी से वह पहुंचे हैं और वहां बैठ गये हैं।

अब यह विभाजन का फल आ गया है। पक्ष में १०६ और विपक्ष में ८३, इसलिये यह स्वीकृत हुआ। अब श्री अनन्तराम जायसवाल कृपया सदन छोड़ें।

(व्यवधान)

सदन का विभाजन निम्नलिखित मतानुसार हुआ :—

पक्ष में—१०६

अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अनवार अहमद, श्री
आबिद अली, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी, श्रीमती
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
गायत्री देवी, श्रीमती
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चरण सिंह, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगरनाथ, श्री
जलील अब्बासी, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायणमणि, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भक्तगती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीलाल, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मोहन सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
रामनिहोर, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामलखन, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल राही, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर, श्री
लालू, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
सन्तराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सुखबीर, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सैयद मुर्तजा अली ख , नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हुक्म सिंह, श्री

विपक्ष में—८३

अनन्तराम जायसवाल, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गया प्रसाद, श्री
गिरजा शंकर, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
दुर्जन, श्री
धर्मवीर, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री

नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामरतन, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामसिंह, श्री
राम हरख, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्याम लाल, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
सजीवन लाल, श्री
सन्तूराम, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष जी, मैं सदन के निर्णय का आदर करता हूं और सदन को तो छोड़ ही रहा हूं लेकिन यह....

(व्यवधान)

(इस समय श्री अनन्तराम जायसवाल सदन से चले गये।)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी एक गरिमा है लेकिन मुझे बहुत ही तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यहां.....

(व्यवधान)

[श्री रामविलास पांडेय]

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी मेरा और जिला पूछ रहे थे । वह हर माननीय सदस्य को अपने रोब में डालकर और अध्यक्ष को भी रोब में डालकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं। यदि यह सदन चलेगा तो आप के इस रवैये से नहीं चलेगा । आप जिस जगह पर बैठें हैं उसकी एक गरिमा है और उस को आप ने पाया है, लेकिन आप ही यदि इतना उतावलापन लायेंगे और जल्दबाजी में करेंगे और हर मौके बे मौके इंगित सदस्यों को करेंगे तो यह सदन नहीं चल सकेगा । अध्यक्ष इंगित नहीं किया करता, इंगित तो सदन का नेता करता है । आप हम सब को इंगित करें, यह आपका काम नहीं है । हम सदन को छोड़ना चाहते हैं. . . .

(व्यवधान)

(अत्यन्त शोर के बीच)

इस तरह से सदन नहीं चल सकता ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । ३ बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा । पहला तो यह कि यह तीसरी घटना है जब कि हमारे संसोपा के नेता पर आपके इशारे पर माननीय मुख्य मंत्री का खूनी पंजा लगा है । मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस दिन बारूद का मामला यहां उठा था, उस समय भी श्रीमान् ने इंगित नहीं किया । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने निलम्बन का प्रस्ताव पेश कर दिया था । दूसरी घटना तब हुई जब हमारे दल के एक व्यक्ति को काफी समय के लिये निलम्बित कर दिया गया । तीसरा हमला माननीय बांकेलाल पर हुआ जिन्होंने निवेदन किया था और आप नाराज हो गये थे । उन्होंने तो नार्मल मुद्रा में यही कहा था कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा । चौथी बार आज हमारे नेता पर हमला हुआ । आप राइटफुल बात कहने के लिये इजाजत नहीं दे सकते । माननीय मुख्य मंत्री के इशारे पर यह सदन नहीं चलेगा । इसलिये इस अन्याय के विरोध में हम सब सदन का परित्याग करते हैं ।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

(श्री चतुर्भुज शर्मा के खड़े होने पर) आप शर्मा जी बैठ जाइये ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना निवेदन करना है कि आज की घटना बड़ी दुखद है । इसके पहले एक बार आपको याद होगा कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी यहां खड़े हो गये थे, उस जमाने में हम लोग सरकारी पक्ष में बैठते थे और माननीय चरणसिंह जी इधर विरोध पक्ष में । माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने उपाध्याय हत्या कांड के संबंध में दोबारा जांच की मांग करते हुये यह कहा था कि मैं तब तक नहीं बठूंगा जब तक यह मांग स्वीकार नहीं की जाती । हम लोगों ने उस दिन उस मांग को माना । यही नहीं, इस सदन में न जाने कितने ऐसे अवसर आये जब कि विरोध पक्ष से किसी बात को कहा गया तो हमने उसे पूर्णतया या कभी-कभी अंशतः उसको स्वीकार किया । मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब यहां पर डिवीजन की मांग हुई और जब तक घंटी बजे और लोग आये यहां पर, उस बीच और उसके बाद जिस निर्लज्जता का नग्न रूप यहां चौधरी चरणसिंह जी की पार्टी की तरफ से हुआ वैसा कभी नहीं हुआ. . . . .

(अत्यन्त शोर)

मैं यह कहना चाहता हूं कि वह चीज भी गलत थी और आज भी जो हुआ वह गलत है, लेकिन आज हमारे दिल को दुखाया, सदन के नेता ने दिल को दुखाया, श्रीमान् ने नहीं, और इसके विरोध में हम सब सदन का त्याग करते हैं ।

(कांग्रेस संगठन के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, जो घटना सदन में हुई, प्रातःकाल भी जो घटना यहां हुई, संसोपा के विधायक से संबंधित वह घटना थी, उस सब पर हम लोगों ने जो रुख अख्तियार किया वह आपने देखा होगा। माननीय नेता सदन ने भी देखा होगा, हमने उसकी भर्त्सना भी की। जब उन लोगों ने यहां आकर खेद प्रकाश नहीं किया तो आपने देखा कि हमने अपना प्रस्ताव भी वापस ले लिया जो कुछ लीनिएन्सी बरतनें के बारे में था। किन्तु इस समय की घटना में कुछ थोड़ा सा अन्तर है। इसमें माननीय जायसवाल जी ने यह अवश्य कहा कि मैं अपनी सीट पर नहीं बैठूंगा। वे इस प्रस्ताव पर समय चाहते थे। असल में हमें दो बातों में अन्तर करना पड़ेगा। एक तो कोई व्यक्ति गलत बात करे और उस पर जिद्द पकड़े और एक बात यह है कि कोई आदमी सही बात करे और जनहित की बात करे। उन्होंने गन्ना के किसानों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया जो कि २ रुपये मन पर अपना गन्ना बेचने को विवश हो रहे हैं, और वह एक दल के सम्मानित नेता हैं, उन्होंने इतने महत्वपूर्ण और जनहित के विषय पर कड़ाई का रुख अख्तियार किया, तो मैं समझता हूं कि उसके प्रति ऐसी कठोर कार्यवाही उचित नहीं होगी। यहां आप नियमों के अधीन इंगित करते हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा अन्तर करना पड़ता है। जो प्रश्न उठा रहा है उसका स्टेटस क्या है, वह किस दल का नेता है, वह कितने महत्व की बात उठा रहा है इस पर निर्णय लेते समय आपको गम्भीरता से विचार करना होगा।

(व्यवधान)

मैं तो सोच रहा था कि आप दूसरों की बात सुनने के आदी हैं, लेकिन मुझे अब अपना विचार बदलना पड़ेगा। मैं जायसवाल जी की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह ऐसा प्रश्न उठा रहे थे जो बड़े महत्व का था।

(व्यवधान)

(श्री इम्तियाज हुसैन के बार-बार व्यवधान करने पर) पता नहीं उनका कि[illegible] गन्ना मिल से सम्बन्ध है, जो वह बार-बार खड़े होकर बाधा खड़ी कर रहे हैं। इस विषय में यदि आप नरमाई का रुख अख्तियार कर लेते तो कोई आपकी इज्जत न घट जाती। सदन में जो प्रक्रिया मतदान की हुई, जिस पर यह कहा गया कि ३ मिनट तक सदन के द्वार खुले रहेंगे जब घंटी बज रही होगी, यह आपने रूलिंग दी, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, वह मुझे शिरोधार्य है। लेकिन यहां पर जो प्रक्रिया संसोपा दल के नेता को बाहर निकालने के लिये अपनाई गई और जिन परिस्थितियों में यह हुआ, उससे मुझे घोर आपत्ति है और मैं इसके विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(जन संघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन, मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत आपको सूचना दी थी। आपने उसे स्वीकार नहीं किया। हमारे क्षेत्र में गांवों में बिजली के तारों से आग लगी, पूरे के पूरे खलिहान जल गये। यह बात काबिले बरदाश्त नहीं है। इस पर कोई विचार नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप बाहर जाइये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और न बैठूंगा। हमारे प्रस्ताव पर विचार होना चाहिये। हमारे क्षेत्र के एक गांव के खलिहान पूरे जलकर खाक हो गये हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रस्ताव पर विचार हो। मैं जाने वाला नहीं हूं और बैठने वाला नहीं हूं। हमारे प्रस्ताव पर विचार होना चाहिए।

(व्यवधान, किन्तु माननीय सदस्य बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

अब आईटम नं० १४। लेकिन श्री भानु प्रताप सिंह जी हैं नहीं और श्री सुरेन्द्र विक्रम जी भी नहीं हैं। इसलिये इस पर अब आगे विचार नहीं होगा। इसके आगे वाले आईटम में चूंकि श्री कृष्णानन्द राय जी भी नहीं हैं, इसे नहीं लिया जाएगा।

अब मैं सदन को स्थगित करता हूं और कल ११ बजे फिर हम बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ४५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
५ मई, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

तालिका

जांच के फलस्वरूप पाई गई अनियमितताओं का विवरण

१—खाद भिजवाने के प्रसंग में जिला कृषि अधिकारी, खीरी, ने परिवहन व्यय निर्धारित करने के पूर्व प्रतियोगितात्मक टेण्डर नहीं मांगे थे।

२—उन्होंने श्री चन्द्र भूषण पाण्डेय की नियुक्ति बिना रोजगार दफ्तर से नाम मांगे की थी।

३—उन्होंने शासकीय आदेश संख्या १३०३/१२—ए—७८७-६७, दिनांक ५ अगस्त, १९६८ द्वारा प्रसारित आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण कि शासकीय आदेश संख्या २५९७ए—२०-१९ ७, दिनांक १८—४—४७ द्वारा जिला कृषि अधिकारियों को क्षति राइट आफ करने के अधिकार वापस ले लिये गये हैं, कुल ३३,६८५ रुपये ४१ पैसे की क्षति-सम्बन्धी सर्वे रिपोर्ट गलतफहमी से स्वीकार कर दी थी।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५३ पर)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९६५ की धारा ५ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ५ में, उपधारा (३) में, शब्द "तीन हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "चार हजार दो सौ रुपये" रख दिए जाएं, और शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "सात हजार रुपये" रख दिये जायं।

नई धारा ८-क का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

प्रवेश तथा निरीक्षण करने का अधिकार

"८-क—राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वृत्ति, व्यापार या आजीविका के सामान्य क्रम में या मुख्य अधिकारी द्वारा अपने अन्तर्गत सेवा योजित व्यक्तियों के संबंध में, रखे गये किसी पुस्तिका, लेख्य या लेखे का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है और उस की प्रतिलिपि ले सकता है, और इस प्रयोजन के लिये उस व्यक्ति या मुख्य अधिकारी के किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, पात्र या गाड़ी में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और उस व्यक्ति या मुख्य अधिकारी से ऐसी पूछताछ कर सकता है जो आवश्यक हो।"

धारा १८ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १८ में शब्द "या ऐसे कर के संबंध में अपने दायित्व को स्वेच्छापूर्वक छिपाए" के पश्चात् शब्द "या धारा ८-क के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को उसमें निर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संपादन करने में बाधा डाले या रोके" बढ़ा दिये जायं।

धारा १९ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १९ में—

(१) शब्द "तीन वर्षों" के स्थान पर शब्द "चार वर्षों" रख दिए जायं और सदैव से रखे गए समझे जायं; और

(२) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कर निर्धारण का कोई आदेश किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिये, ऐसे वर्ष

अन्त से चार वर्षों की समाप्ति के पश्चात् या नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो, नहीं दिया जायेगा।"

धारा २० क का बढ़ाया जाना

६—मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

एक तरफा आदेश को रद्द करने की शक्ति

"२०-क—किसी मामले में, जिसमें एकतरफा कर-निर्धारण आदेश दिया गया हो, करदाता आदेश की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसा आदेश रद्द करने और मामले पर पुनर्विचार करने के लिए करनिर्धारण प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि ऐसे प्राधिकारी का या तो यह समाधान हो जाय कि प्रार्थी को नोटिस नहीं प्राप्त हुई थी या वह पर्याप्त कारणवश निश्चित दिनांक पर उपस्थित नहीं हो सका था, तो वह कर-निर्धारण आदेश रद्द कर सकता है और मामले पर पुनर्विचार कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि एक तरफा कर-निर्धारण आदेश रद्द करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र तब तक नहीं ग्रहण किया जायगा जब तक कि उसके साथ स्वीकार किए गए देय कर, या एकतरफा निर्धारित कर का एक-चौथाई, इसमें जो भी अधिक हो, के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न दिया गया हो।"

अनुसूची का प्रतिस्थापन

७—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्:—

अनुसची

[कर की दरें देखें धारा ५ (१)]

	कर की धनराशि रु०
यदि वार्षिक कुल सकल आय—	
(१) ४,२०० रुपये से अधिक किन्तु ५,००० रुपये से अधिक न हो	.. ३६
(२) ५,००० रुपये से अधिक किन्तु ६,००० रुपये से अधिक न हो	.. ६०
(३) ६,००० रुपये से अधिक किन्तु ७,००० रुपये से अधिक न हो	.. ८४
(४) ७,००० रुपये से अधिक किन्तु ८,००० रुपये से अधिक न हो	.. १०८
(५) ८,००० रुपये से अधिक किन्तु ९,००० रुपये से अधिक न हो	.. १३२
(६) ९,००० रुपये से अधिक किन्तु १०,००० रुपये से अधिक न हो	.. १७६
(७) १०,००० रुपये से अधिक हो ..	.. २५०

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९७० का निरसन

८—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ की धारा १९ में यह व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी वित्तीय वष के संबंध में किसी कारणवश कर निर्धारण न किया गया हो अथवा कर निर्धारण कम आंका गया हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे संबद्ध कर-निर्धारण वर्ष से आगामी ३ वर्षों में किसी भी समय ऐसे कर के लिए देनदार व्यक्ति पर नियत प्रपत्र में नोटिस तामील कर सकता है, और उस व्यक्ति के संबंध में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये कार्यवाही कर सकता है। तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष १९६६-६७ से संबंधित मामलों के विषय में केवल ३१ मार्च, १९७० तक कार्यवाही हो सकती थी किन्तु सरकार को सूचना मिली कि उक्त कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में बहुत बड़ी संख्या में मामले अभी शेष हैं, और अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर कर दाताओं के नाम नोटिस जारी करना भी संभव नहीं था। अतएव, राज्य के राजस्व का बचाव करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि उक्त अवधि को बढ़ा कर चार वर्ष कर दिया जाय। इसलिये उपर्युक्त धारा १९ को संशोधित करने के लिये, दिनांक ३१ मार्च, १९७० को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। इस विधेयक द्वारा उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

२—अब यह भी निर्णय किया गया है कि अधिनियम की धारा ५ और उसकी अनुसूची को संशोधित करके छूट की सीमा को व्यक्तियों, फर्मों तथा कंपनी आदि की दशा में ३,५०० रु० से बढ़ाकर ४,२०० रु० तथा किसी अविभाजित हिन्दू परिवार की दशा में ६,००० रु० से बढ़ाकर ७,००० रु० कर दी जाय। साथ ही साथ, इस प्रकार छूट की सीमा को बढ़ाए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि की पूर्ति करने के लिये ऐसे करदाताओं के प्रति जिनकी वार्षिक कुल सकल आय ९,००० रु० से अधिक हो, कर की दरों में भी वृद्धि की जा रही है।

३—इस अवसर का उपयोग अधिनियम में कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है। कर निर्धारण प्राधिकारियों को करदाताओं का सर्वेक्षण और निरीक्षण करने का अधिकार देने के लिये धारा ८-क बढ़ाई जा रही है। धारा २०-क कर दाता के प्रार्थना-पत्र पर एक तरफा कर-निर्धारण आदेशों को रद्द करने के लिये रखी जा रही है।

४—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

बलवीर सिंह
वित्त-कर मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—५२ एल० ए०—१९७०—८४५।